खान मंत्रालय
भारत सरकार

राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास

(खान मंत्रालय के तत्वधान में एक स्वायत्त निकाय)

वार्षिक रिपोर्ट 2022-23

विषय-सूची

क्र. सं.	अध्याय	पृष्ठ सं
1	राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास: एक अवलोकन	02
2	राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास का गठन	04
3	परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन	08
4	शासी निकाय, कार्यकारी समिति और तकनीकी-सह-लागत समिति की बैठकें	10
5	पुरस्कार और प्रोत्साहन	18
6	आधारभूत सर्वेक्षण और डेटा सृजन	19
7	परियोजनाओं की स्थिति	20
8	वित्तीय कार्य निष्पादन	25
9	एनएमईटी द्वारा किए गए कार्यों की मुख्य विशेषताएं	27
10	एनएमईटी सचिवालय में कार्यरत कार्मिकों का ब्योरा	30
	अनुबंध-1 एनएमईटी की अधिसूचना	30
	अनुबंध -2 एनएमईटी के नियम	33
	अनुबंध -3 एनएमईटी संशोधन नियम, 2018	43
	अनुबंध -4 राज्य सरकार/अधिसूचित गवेषण एजेंसियों को निधि जारी करने की योजना	47
	अनुबंध -5 खनिज ब्लॉकों की नीलामी के संबंध में राज्य सरकार को प्रोत्साहन योजना	51
	अनुबंध -6 राज्य सरकारों को मशीनरी/प्रयोगशाला उपकरण/यंत्रों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना	53
	अनुबंध -7 समग्र लाइसेंस धारकों के लिए गवेषण व्यय की आंशिक प्रतिपूर्ति के लिए योजना	57
	अनुबंध -8 खनिज गवेषण में अधिसूचित निजी गवेषण एजेंसियों की भागीदारी के लिए योजना	79
	अनुबंध -9 वित्तीय सहायता के लिए मशीनरी/प्रयोगशाला उपकरण/यंत्र की खरीद की विस्तृत सूची	87
	अनुबंध -10 वित्त वर्ष 2022-23 के लिए खरीद परियोजनाएं	89
	अनुबंध -11 वित्त वर्ष 2022-23 में आधारभूत भू-वैज्ञानिक परियोजनाओं की सूची	93
	अनुबंध -12 वित्त वर्ष 2022-23 में अनुमोदित खनिज गवेषण परियोजनाओं की सूची	94
	अनुबंध -13 फ़ील्ड फ़ोटोग्राफ़	100

खान मंत्रालय
भारत सरकार

राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास: एक अवलोकन

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9 ग (1) और 9 ग (2, 3, 4 और 13) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने क्रमशः दिनांक 14 अगस्त, 2015 की राजपत्र अधिसूचना और राष्ट्रीय खनिज गवेषण नियम, 2015 द्वारा 'राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास' (एनएमईटी) की स्थापना की जिसका उद्देश्य उन्नत वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय पद्धतियों के आधार पर क्षेत्रीय और विस्तृत खनिज गवेषण गतिविधियों, खनिज विकास, सतत अंगीकरण और खनिज निष्कर्षण धातुकर्म आदि को बढ़ावा देना है। इस न्यास को खनन पट्टा और पूर्वेक्षण लाइसेंस -सह-खनन पट्टा धारकों से योगदान मिलता है। रॉयल्टी के भुगतान के साथ-साथ एनएमईटी योगदान के रूप में दूसरी अनुसूची के तहत खनिजों के लिए भुगतान रॉयल्टी के 2% के समतुल्य है। एनएमईटी की अधिसूचना और नियम अनुबंध-1, 2 और 3 के रूप में संलग्न हैं।

इस न्यास का समग्र नियंत्रण, आवधिक समीक्षा और नीति निर्देश माननीय केंद्रीय खान मंत्री की अध्यक्षता वाली शासी निकाय (जीबी) के पास है। सचिव, खान मंत्रालय की अध्यक्षता वाली कार्यकारी समिति (ईसी), न्यास की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों का प्रबंधन, कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण करती है। खनिज गवेषण परियोजना प्रस्तावों के तकनीकी और लागत मापदंडों का मूल्यांकन करने के लिए एक तकनीकी-सह-लागत समिति (टीसीसी) का भी गठन किया गया है। टीसीसी अनुमोदन के लिए ईसी को उपयुक्त प्रस्तावों की सिफारिश करती है।

विजन

भारत में खनन क्षेत्र की वृद्धि और विकास के लिए क्षेत्रीय और विस्तृत गवेषण गतिविधियों को बढ़ाना।

उद्देश्य और कार्य

1.	गहरे स्थित या छुपे हुए खनिज निक्षेपों की पहचान, गवेषण, निष्कर्षण, सज्जीकरण करना और परिष्कृत करना।
2.	खनिज विकास, सतत खनन, उन्नत वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय पद्धतियों को अपनाने तथा खनिज निष्कर्षण, धातुकर्म हेतु अध्ययन करना।
3.	विशेष रूप से सामरिक और महत्वपूर्ण खनिजों को प्राथमिकता देते हुए, अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार खनिज रियायतें प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय और विस्तृत गवेषण के लिए क्षेत्रों का गवेषण शुरू करना।
4.	आधुनिक प्रौद्योगिकियों के माध्यम से गहरे स्थित खनिज निक्षेपों के लिए उच्च जोखिम गवेषण करने सहित स्पष्ट भूवैज्ञानिक क्षमता (ओजीपी) क्षेत्रों (जी3) में ब्राउन-फील्ड क्षेत्रीय खोज परियोजनाओं को पूरा करने में सुविधा प्रदान करना।
5.	पूरे भारत में जी3 चरण गवेषण पूर्ण हो चुके क्षेत्रों में विस्तृत गवेषण (जी2 और जी1) को बढ़ावा देना।
6.	ओजीपी क्षेत्रों और शेष भारत के भूभौतिकीय, जमीनी और हवाई सर्वेक्षण और भू-रासायनिक सर्वेक्षण को सुसाध्य बनाना।
7.	पृथ्वी विज्ञान में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने तथा खनिज संभावनाओं के मूल्यांकन के लिए एक राष्ट्रीय कोर भंडार की सुविधा प्रदान करना।
8.	गवेषण में लगे या लगाये जाने वाले कार्मिकों की तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना।

खान मंत्रालय
भारत सरकार

राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास का गठन

राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास दो स्तरीय संरचना में काम करता है, जिसमें शासी निकाय (जीबी) और कार्यकारी समिति (ईसी) के रूप में इसके दो सर्वोच्च प्राधिकरण हैं। एनएमईटी का समग्र नियंत्रण, आवधिक समीक्षा और नीति निर्देश शासी निकाय के पास है, जबकि कार्यकारी समिति न्यास की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों का प्रबंधन, कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण करती है।

शासी निकाय के कार्य

1. शासी निकाय एनएमईटी के कामकाज के लिए व्यापक नीतिगत ढांचा तैयार करता है और इसके कामकाज की समीक्षा करता है।
2. कार्यकारी समिति की सिफारिशों पर शासी निकाय एनएमईटी की वार्षिक योजना और वार्षिक बजट को भी मंजूरी देता है।

शासी निकाय का गठन

क्र. सं.	सदस्य
1	श्री प्रल्हाद जोशी, माननीय कोयला एवं खान मंत्री अध्यक्ष, पदेन
2	श्री हरदीप सिंह पुरी, माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री सदस्य, पदेन
3	डॉ. जितेन्द्र सिंह, माननीय परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री सदस्य, पदेन
4	श्री राव साहब पाटील दानवे, माननीय खान राज्य मंत्री सदस्य, पदेन
5	श्री अचार हलप्पा बसप्पा, माननीय खान एवं भूविज्ञान मंत्री, कर्नाटक सरकार, सदस्य, पदेन
6	श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह, माननीय खान एवं भूविज्ञान मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार, सदस्य, पदेन
7	श्री प्रमोद जियान भाया, माननीय खान एवं भूविज्ञान मंत्री, राजस्थान सरकार, सदस्य, पदेन
8	श्रीमती नंदिता गरलोसा, माननीय खान एवं भूविज्ञान मंत्री, असम सरकार, सदस्य, पदेन
9	श्री दादाजी भुसे, माननीय खान एवं भूविज्ञान मंत्री, महाराष्ट्र सरकार, सदस्य, पदेन
10	श्री दुरई मुरुगन, माननीय खान एवं भूविज्ञान मंत्री, तमिलनाडु सरकार, सदस्य, पदेन
11	श्री आलोक टंडन, सचिव, खान मंत्रालय, संयोजक, पदेन (सितंबर, 2022 तक) श्री विवेक भारद्वाज, सचिव, खान मंत्रालय, संयोजक, पदेन (अक्टूबर, 2022 से)

कार्यकारी समिति के कार्य

1. कार्यकारी समिति एनएमईटी की गतिविधियों का प्रबंधन, कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण करती है तथा नियमित अंतराल पर निधियों के व्यय की निगरानी और समीक्षा करती है।
2. कार्यकारी समिति वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए योजना भी तैयार करती है और उसे अंतिम रूप देती है ।
3. कार्यकारी समिति, राज्य सरकार/केन्द्र और राज्य एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या किसी निजी क्षेत्र की संस्थाओं से परियोजना प्रस्ताव प्राप्त होने पर इन परियोजनाओं की मंजूरी और कार्यान्वयन के लिए भी उत्तरदायी है।

कार्यकारी समिति का गठन

क्र. सं.	सदस्य
1	श्री आलोक टंडन, सचिव, खान मंत्रालय (सितंबर, 2022 तक) अध्यक्ष, पदेन श्री विवेक भारद्वाज, सचिव, खान मंत्रालय (अक्टूबर, 2022 से) अध्यक्ष, पदेन
2	श्री संजय लोहिया, अपर सचिव, खान मंत्रालय एवं महानियंत्रक, आईबीएम सदस्य सचिव, पदेन
3	डॉ. एस. राजू, महानिदेशक, जीएसआई, सदस्य, पदेन
4	श्रीमती निरुपमा कोतरू, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, खान मंत्रालय सदस्य, पदेन
5	डॉ. डी के सिन्हा, निदेशक, परमाणु खनिज निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग (दिसंबर, 2022 तक) डॉ. बी. सर्वाणन, निदेशक, परमाणु खनिज निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग (जनवरी, 2023 से) सदस्य, पदेन
6	श्री पीयूष कुमार, निदेशक, कोयला मंत्रालय (दिसंबर, 2022 तक) श्री आनंदजी प्रसाद, सलाहकार, कोयला मंत्रालय (जनवरी, 2023 से) सदस्य, पदेन

क्र. सं.	सदस्य
7	श्री आर. के. कुरील, निदेशक, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय सदस्य, पदेन
8	श्री विनीत ऑस्टिन, निदेशक, मध्य प्रदेश सरकार (सितंबर, 2022 तक) श्री निकुंज श्रीवास्तव , प्रधान सचिव, मध्य प्रदेश सरकार (अक्टूबर, 2022 से) राज्य प्रतिनिधि, सदस्य
9	श्री रवीन्द्र गुरव, संयुक्त सचिव, महाराष्ट्र सरकार (अक्टूबर, 2022 से) राज्य प्रतिनिधि, सदस्य
10	श्री संदेश नायक, निदेशक, राजस्थान सरकार (अक्टूबर, 2022 से) राज्य प्रतिनिधि, सदस्य
11	श्री जे. जयकांतन, आयुक्त (उद्योग), तमिलनाडु सरकार (अक्टूबर, 2022 से) राज्य प्रतिनिधि, सदस्य
12	श्री वी. के. ओझा , निदेशक, डीजीएम, झारखंड सरकार (सितंबर, 2022 तक) राज्य प्रतिनिधि, सदस्य
13	श्री कैलाश डोंगरे, संयुक्त निदेशक, एमआरडी, छत्तीसगढ़ सरकार (सितंबर, 2022 तक) राज्य प्रतिनिधि, सदस्य
14	श्री रवि चंद, संयुक्त निदेशक, डीएमजी, आंध्र प्रदेश सरकार (सितंबर, 2022 तक) राज्य प्रतिनिधि, सदस्य
15	प्रो. एच एस पंडलाई (सेवानिवृत्त), आईआईटी बॉम्बे, तकनीकी विशेषज्ञ (सितंबर, 2022 तक)
16	श्री नरेश नौटियाल (सेवानिवृत्त), प्रमुख (बीडी एंड पी), एमईसीएल, तकनीकी विशेषज्ञ
17	श्री आलोक शर्मा (सेवानिवृत्त), महाप्रबंधक एवं विभागाध्यक्ष (गवेषण), सीएमपीडीआईएल, तकनीकी विशेषज्ञ
18	श्री पी.एस. परिहार, निदेशक (सेवानिवृत्त), एएमडी, तकनीकी विशेषज्ञ (सितंबर, 2022 तक)
19	डॉ. एल. एस. शेखावत, उप महानिदेशक (सेवानिवृत्त), जीएसआई, तकनीकी विशेषज्ञ (अक्टूबर, 2022 से)
20	डॉ. यमुना सिंह, वैज्ञानिक-एच (सेवानिवृत्त), एएमडी, तकनीकी विशेषज्ञ (अक्टूबर, 2022 से)
21	डॉ. सहेंद्र सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, आईआईटी (आईएसएम), धनबाद तकनीकी विशेषज्ञ (अक्टूबर, 2022 से)
22	श्री जनार्दन प्रसाद, अपर महानिदेशक, जीएसआई एवं अध्यक्ष, टीसीसी, आमंत्रित

खान मंत्रालय
भारत सरकार

परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन

कार्यकारी समिति ने दिनांक 21 फरवरी, 2021 को आयोजित अपनी चौथी बैठक में परियोजनाओं के तकनीकी और लागत मूल्यांकन के लिए एनएमईटी की तकनीकी-सह-लागत समिति (टीसीसी) के गठन को मंजूरी दी।

तकनीकी-सह-लागत समिति का गठन

क्र. सं.	सदस्य
1	श्री जनार्दन प्रसाद, अपर महानिदेशक एवं विभागाध्यक्ष, जीएसआई, द. क्षे. (अध्यक्ष)
2	श्री रंजन कुमार सिन्हा, महानियंत्रक (सेवानिवृत्त), आईबीएम
3	श्री हेमराज सूर्यवंशी , अपर महानिदेशक (सेवानिवृत्त), जीएसआई
4	श्री एम के पटेल, उप महानिदेशक और क्षेत्रीय मिशन प्रमुख –II, जीएसआई, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता
5	श्री एस के अधिकारी, मुख्य खनन भूवैज्ञानिक, आईबीएम, नागपुर
6	डॉ. अंजनी कुमार, उप. महाप्रबंधक (गवेषण) एवं विभागाध्यक्ष -योजना (सेवानिवृत्त), एमईसीएल
7	श्री नईम अहमद, महाप्रबंधक (गवेषण) (सेवानिवृत्त), सीएमपीडीआई लिमिटेड
8	डॉ. बी. सर्वाणन, अपर निदेशक, परमाणु खनिज निदेशालय, (दिसंबर, 2022 तक) श्री के. एल मुंद्रा, प्रमुख-आरएमआरई, परमाणु खनिज निदेशालय, (जनवरी, 2023 से)
9	श्री अमित सरन, निदेशक एवं विभागाध्यक्ष एनएमईटी, खान मंत्रालय श्री विवेक कुमार शर्मा, निदेशक एवं विभागाध्यक्ष एनएमईटी, खान मंत्रालय
10	श्री विनय पाल, लागत लेखा अधिकारी, जीएसआई, मध्य क्षेत्र, नागपुर
11	श्री पी. के. महाराणा, एजीएम (वित्त), नालको, भुवनेश्वर
12	श्री रवि गुप्ता, डीजीएम (वित्त), एचसीएल, कोलकाता
13	श्री सुरेश चंदर, निदेशक, जीएसआई, पश्चिमी क्षेत्र, जयपुर (सदस्य सचिव)

एनएमईटी सचिवालय का गठन

1. श्री आलोक टंडन, सचिव, खान मंत्रालय (सितंबर, 2022 तक
   श्री विवेक भारद्वाज, सचिव, खान मंत्रालय (अक्टूबर, 2022 से) अध्यक्ष, पदेन
2. श्री संजय लोहिया, अपर सचिव, खान मंत्रालय
3. श्री विवेक कुमार शर्मा, निदेशक एवं विभागाध्यक्ष
4. श्री मनीष खर, निदेशक
5. श्रीमती रूपा कुंडू, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक
6. डॉ. संगीता गुप्ता, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक
7. श्रीमती अंजू सी. एस., वरिष्ठ भूवैज्ञानिक
8. श्री सुभाष कुमार, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक
9. श्रीशशि कांत, सहायक लागत लेखा अधिकारी
10. श्री रवि दत्त, सहायक लागत लेखा अधिकारी
11. श्री सुनील कुमार, प्रशासनिक अधिकारी
12. श्रीमती उज्ज्वला शर्मा, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक

खान मंत्रालय
भारत सरकार

शासी निकाय, कार्यकारी समिति और तकनीकी-सह-लागत समिति की बैठकें

राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास का समग्र नियंत्रण, आवधिक समीक्षा और नीति निर्देश शासी निकाय (जीबी) के पास निहित हैं।

शासी निकाय

शासी निकाय की चौथी बैठक दिनांक 13 अप्रैल, 2022 को आयोजित की गई। बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार हैं:

- **गवेषण एजेंसियों को अग्रिम धनराशि जारी करने की योजना:** गवेषण परियोजनाओं की बढ़ती संख्या और गवेषण लागत की समय पर प्रतिपूर्ति में अनिश्चितता को देखते हुए, राज्य डीएमजी/डीजीएम, केंद्रीय पीएसई और राज्य पीएसई को तीन किस्तों में अग्रिम प्रदान करने के लिए गवेषण एजेंसियों को अग्रिम धनराशि जारी करने की योजना को मंजूरी दे दी गई है **(अनुबंध-4)**।

- **वित्तीय प्रोत्साहन की योजना:** राज्यों द्वारा खनिज ब्लॉकों की नीलामी में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास से राज्य सरकारों को वित्तीय प्रोत्साहन की योजना को मंजूरी दी। **(अनुबंध-5)**।

- **खरीद के लिए वित्तीय सहायता योजना:** केंद्र सरकार के संगठनों और राज्य डीजीएम/डीएमजी को मशीनरी/उपकरण/यंत्रों की खरीद/ मौजूदा सॉफ्टवेयर और अन्य नवीनतम प्रौद्योगिकी उपकरणों के उन्नयन के भुगतान के लिए वित्तीय सहायता योजना को मंजूरी दी गई है **(अनुबंध-6)**। इस योजना के तहत केंद्र सरकार के संगठनों की ₹ 126.78 करोड़ रुपये की छह परियोजनाओं और राज्य डीजीएम/डीएमजी की ₹ 55.35 करोड़ की तेईस परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

- **आंशिक प्रतिपूर्ति की योजना:** गभीरस्थ खनिजों पर ध्यान देते हुए खनिज गवेषण के सभी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुकर बनाने, प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए कुछ खनिजों के गवेषण के लिए नीलामी के माध्यम से प्रदान किए गए समग्र लाइसेंस (सीएल) धारकों के लिए एनएमईटी से गवेषण व्यय की आंशिक प्रतिपूर्ति की योजना को मंजूरी दी गई। **(अनुबंध-7)**।

- **अधिसूचित निजी गवेषण एजेंसियों की भागीदारी की योजना:** खनिज गवेषण में अधिसूचित निजी गवेषण एजेंसियों (एनपीईए) की भागीदारी के लिए तंत्र निर्धारित करने के उद्देश्य से, एनएमईटी या राज्य सरकारों द्वारा वित्तपोषण के माध्यम से खनिज गवेषण में एनपीईए की भागीदारी की योजना को भी शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया गया। इस योजना में खान मंत्रालय द्वारा अधिसूचित एनपीईए की भागीदारी के तीन तरीके (मोड) अर्थात मोड 'ए', मोड 'बी एवं मोड 'सी' शामिल हैं। **(अनुबंध-8)**।

- सभी राज्य सरकारों के बीच एनएमईटी के विजन और उद्देश्य का प्रचार करने के लिए, सभी राज्य मंत्रियों की एक बैठक आयोजित करने की आवश्यकता है ताकि उन्हें राज्य सरकारों द्वारा एनएमईटी योजनाओं का अधिकतम उपयोग करने के लिए प्रक्रियाओं और वित्तपोषण तंत्र से अवगत कराया जा सके।

- एनएमईटी से वित्त पोषण के लिए गुणवत्तापूर्ण परियोजनाएं प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, जिसमें गभीरस्थ, महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इसलिए, शासी निकाय द्वारा यह सुझाव दिया गया कि एनएमईटी निधि के माध्यम से स्वीकृत परियोजनाओं के निष्पादन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सभी हितधारकों/मंत्रालयों/संगठनों के साथ सचिव या अपर सचिव स्तर के अधिकारियों की कार्यशालाएं/बैठकें आयोजित की जाएं ताकि इन्हें निर्धारित समय में पूरा किया जा सके और अगले संभावित खनिज ब्लॉकों की नीलामी की जा सके। इन परियोजनाओं का निष्पादन गवेषण एजेंसियों द्वारा नियोजित समय सीमा के साथ मिशन तरीके से किया जाना चाहिए ताकि वांछित लक्ष्य प्राप्त किया जा सके और खनन क्षेत्र में '**आत्मनिर्भर भारत**' का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

- सामंजस्य प्रक्रिया पूरी होने के बाद वित्त वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के खातों की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा की गई।

- एनएमईटी वित्त पोषित गवेषण परियोजनाओं के भुगतान के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अनुपूरक अनुदान में ₹125 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए, स्वीकृत परियोजनाओं पर व्यय के लिए ₹100 करोड़ के बजट अनुमान की मंजूरी दी गई है। शासी निकाय ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक योजना और वार्षिक बजट को मंजूरी दी।

- एनएमईटी की गतिविधियों की बढ़ती मात्रा और प्रकृति के कारण, उचित तकनीकी, प्रशासनिक और वित्त स्कंध के साथ एक स्वायत्त निकाय बनाने की आवश्यकता है। स्थापना व्यय समिति ने एनएमईटी के लिए पदों के सृजन की सिफारिश करते हुए मंजूरी दी। पदों के सृजन का प्रस्ताव व्यय विभाग (डीओई) को भेजा गया था और व्यय विभाग से 12 पदों के सृजन की मंजूरी 04 अप्रैल, 2022 को प्राप्त हुई। माननीय खान मंत्री के अनुमोदन से संशोधित लेखांकन प्रक्रियाएं आर्थिक कार्य विभाग (डीईए), वित्त मंत्रालय को भी प्रस्तुत की गईं।

- ओडिशा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक राज्यों से कार्यकारी समिति के वर्तमान में मनोनीत सदस्यों (पदेन) का कार्यकाल पूरा हो चुका है। अत: शासी निकाय द्वारा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड के प्रतिनिधियों का कार्यकारी समिति में सदस्य (पदेन) के रूप में नामांकन को मंजूरी दी। अन्य प्रमुख खनिज राज्यों को आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया जाए।

- गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, मेघालय, महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्यों से वर्तमान में नामित खान एवं भूविज्ञान प्रभारी मंत्रियों का कार्यकाल पूरा हो गया है। अत: राजस्थान, कर्नाटक, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों के खान एवं भूविज्ञान प्रभारी मंत्रियों को शासी निकाय में सदस्य (पदेन) के रूप में नामित किया गया।

कार्यकारी समिति

वर्ष 2022-23 के दौरान कार्यकारी समिति की छह बैठकें (24वीं से 29वीं) आयोजित की गईं। कार्यकारी समिति ने वर्ष के दौरान ₹ 355.91 करोड़ की लागत की अठानवे (98) परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें देश में खनिज गवेषण के लिए 67 परियोजनाएं, आधारभूत सर्वेक्षण के लिए 2 परियोजनाएं तथा केंद्रीय एजेंसियों और राज्य सरकार को उनकी क्षमता निर्माण और प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए मशीनरी की खरीद हेतु वित्तीय सहायता के लिए 29 परियोजनाएं शामिल हैं।

कार्यकारी समिति ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए:

24वीं कार्यकारी समिति का निर्णय:

- कार्यकारी समिति ने कोयला संसाधन आकलन के लिए भारतीय मानक प्रक्रिया [आईएसपी] 2022 के अनुमोदन के बाद सीएमपीडीआईएल को कोयला गवेषण के लिए 10 परियोजनाओं की मंजूरी दी है, जिसकी अनुमानित लागत 57.24 करोड़ रुपये है।
- कार्यकारी समिति ने एनएमईटी निधि से डब्ल्यूडी-एक्सआरएफ और आईसीपी-एमएस की खरीद के लिए भारतीय खान ब्यूरो के खरीद प्रस्ताव को मंजूरी दी।
- कार्यकारी समिति ने थोक और सामरिक खनिजों के लिए 5 प्रस्तावों को भी मंजूरी दी।

25वीं कार्यकारी समिति का निर्णय:

- कार्यकारी समिति ने वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियम (डीएफपीआर), 1978 की अनुसूची-V और VI के अनुसार आकस्मिक और विविध व्यय करने के लिए संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार के परामर्श से कार्यालय प्रशासनिक व्यय के संबंध में कार्यकारी समिति के सदस्य सचिव को पूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां प्रत्यायोजित की।
- कार्यकारी समिति ने खनन क्षेत्र में स्वचालन को बढ़ावा देने के लिए 'आजादी का अमृत महोत्सव' के एक भाग के रूप में खान एवं खनिज पर 6वें राष्ट्रीय कॉन्क्लेव के आयोजन को मंजूरी दी।
- कार्यकारी समिति ने वर्ष 2021-22 के दौरान खानों को शीघ्र मंजूरी देने और खनिजों का उत्पादन शीघ्र शुरू करने में उनके प्रदर्शन के लिए राज्य सरकारों को 'राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार (आरकेवीपी)' के रूप में राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों के वितरण को भी मंजूरी दी।
- कार्यकारी समिति ने एनएमईटी निधियों से भूभौतिकीय उपकरणों की खरीद के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के खरीद प्रस्ताव को मंजूरी दी।

26वीं कार्यकारी समिति का निर्णय:

- कार्यकारी समिति ने बैठक के दौरान 20.08 करोड़ रुपये की लागत के नौ गवेषण प्रस्तावों को मंजूरी दी तथा एमईसीएल की 5 परियोजनाओं की समयसीमा बढ़ाई।

27वीं कार्यकारी समिति का निर्णय:

- ओडिशा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक राज्यों से कार्यकारी समिति के मनोनीत सदस्यों (पदेन) का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इस कारण, कार्यकारी समिति ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों के प्रतिनिधियों को दो वर्ष की अवधि के लिए कार्यकारी समिति के सदस्य (पदेन) के रूप में मनोनीत किया। इसके अलावा, 27वीं बैठक के दौरान कार्यकारी समिति के सदस्यों के रूप में तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति का निर्णय भी लिया गया।

- कार्यकारी समिति ने राज्य डीजीएम/डीएमजी को एनएमईटी फंड के माध्यम से वित्तीय सहायता के लिए मशीनरी/प्रयोगशाला उपकरण/उपकरणों की खरीद की व्यापक सूची को मंजूरी दी। उपकरणों की सूची अनुलग्नक-9 में दी गई है।

- कार्यकारी समिति ने बैठक के दौरान 36.99 करोड़ रुपये की लागत वाले तेईस (23) गवेषण प्रस्तावों को मंजूरी दी और राज्य सरकार और केंद्रीय एजेंसियों को 11.31 करोड़ रुपये की लागत से वित्तीय सहायता के लिए 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी।

28वीं कार्यकारी समिति का निर्णय:

- कार्यकारी समिति ने खनिज गवेषण परियोजनाओं के प्रस्तावों की तैयारी के लिए शुल्क अनुसूची में संशोधन करते हुए इसे "अनुमोदित परियोजना लागत का 2%, अधिकतम ₹ 5 लाख तक" करने को अनुमोदन प्रदान किया।

- कार्यकारी समिति ने एनएमईटी के टीसीसी में एएमडी के प्रतिनिधि के रूप में परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रमुख आरएमआरई को सदस्य के रूप में नामित करने को मंजूरी दी।

- भारत ने निजी कंपनियों के लिए गवेषण क्षेत्र खोला, खान मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022-23 में गुजरात में निकल और प्लेटिनम समूह तत्वों की खोज के लिए राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (एनएमईटी) के माध्यम से निजी गवेषण एजेंसियों (मेसर्स जियोवेल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड) को महत्वपूर्ण खनिज की 01 परियोजना स्वीकृत की।

- बैठक के दौरान कार्यकारी समिति ने ₹ 31.18 करोड़ की लागत वाली तेरह (13) गवेषण प्रस्तावों को मंजूरी दी और राज्य सरकार और केंद्रीय एजेंसियों को वित्तीय सहायता के लिए₹ 25.57 करोड़ की लागत वाले 8 प्रस्तावों को मंजूरी दी।

29वीं कार्यकारी समिति का निर्णय:

- खनिज गवेषण के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए खान मंत्रालय ने कर्नाटक राज्य में मेसर्स जियोएक्सपोअर प्राइवेट लिमिटेड को एनआई और पीजीई के लिए दो गवेषण प्रस्तावों को मंजूरी दी। बैठक के दौरान दो गवेषण प्रस्तावों के अलावा सामरिक और थोक खनिजों को भी मंजूरी दी गई।

- कार्यकारी समिति द्वारा ₹ 6.22 करोड़ की लागत वाली वित्तीय सहायता के 7 प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।

तकनीकी-सह-लागत समिति

कार्यकारी समिति ने एनएमईटी द्वारा वित्तपोषण के लिए प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों का तकनीकी मूल्यांकन करने और कार्यकारी समिति को उनकी सिफारिश करने के लिए एक तकनीकी समिति (टीसी) का गठन किया। इन परियोजनाओं के लागत पहलुओं को एमईसीएल द्वारा उनकी स्वीकृत दरों के अनुसार तैयार किया गया था। यह देखा गया कि टीसी की टिप्पणियां परियोजना की तैयारी और लागत अनुमान में सही रूप से परिलक्षित नहीं हो रही हैं। अत:, कार्यकारी समिति ने अपनी 5वीं बैठक में यह निर्णय लिया कि टीसी के कार्य के दायरे का विस्तार किया जाएगा ताकि परियोजना प्रस्तावों के लागत अनुमानों की जांच की जा सके और इन्हें अंतिम रूप दिया जा सके। तदनुसार, टीसी को तकनीकी-सह-लागत समिति (टीसीसी) कहा जाएगा। टीसीसी की वर्तमान संरचना इस प्रकार है:

तालिका 1: तकनीकी-सह-लागत समिति का गठन, एनएमईटी

1	श्री जनार्दन प्रसाद, अपर महानिदेशक एवं विभागाध्यक्ष, जीएसआई, द. क्षे. (अध्यक्ष)	अध्यक्ष
2	श्री रंजन कुमार सिन्हा, महानियंत्रक (सेवानिवृत्त), आईबीएम	सदस्य
3	श्री हेमराज सूर्यवंशी, उप महानिदेशक एवं एनएमएच- II (सेवानिवृत्त), जीएसआई	सदस्य
4	श्री एम के पटेल, उप महानिदेशक और क्षेत्रीय मिशन प्रमुख –II, जीएसआई, पूर्वी क्षेत्र	सदस्य
5	श्री एस के अधिकारी, मुख्य खनन भूवैज्ञानिक, आईबीएम	सदस्य
6	डॉ. अंजनी कुमार, उप. महाप्रबंधक (गवेषण) एवं विभागाध्यक्ष –(योजना) (सेवानिवृत्त), एमईसीएल	सदस्य
7	श्री नईम अहमद, महाप्रबंधक (गवेषण) (सेवानिवृत्त), सीएमपीडीआई लिमिटेड	सदस्य
8	श्री के. एल मुंद्रा, प्रमुख-आरएमआरई, परमाणु खनिज निदेशालय	सदस्य
9	श्री विवेक कुमार शर्मा, निदेशक एवं विभागाध्यक्ष, एनएमईटी, खान मंत्रालय	सदस्य
10	श्री विनय पाल, लागत लेखा अधिकारी, जीएसआई	सदस्य
11	श्री पी. के. महाराणा, एजीएम (वित्त), नालको	सदस्य
12	श्री रवि कुमार गुप्ता, जीएम (वित्त), एचसीएल	सदस्य
13	श्री सुरेश चंदर, निदेशक, जीएसआई	सदस्य सचिव

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कुल बारह टीसीसी बैठकें (40वीं से 51वीं) आयोजित की गईं और 98 परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन किया गया तथा एनएमईटी द्वारा वित्तपोषण के लिए संस्तुत की गई (अनुबंध-10)।

विभिन्न टीसीसी और अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

- 40वीं टीसीसी ने ₹ 5.13 करोड़ की लागत वाले 3 गवेषण प्रस्तावों की सिफारिश की। इसने 2 चालू परियोजनाओं की समीक्षा की और 4 चालू परियोजनाओं की समयसीमा का विस्तार किया। इसने टोंडा ब्लॉक (₹ 18, 967), नैला की ढाणी (₹ 18, 967) और मुंडादेवता (₹ 18, 967) को अतिरिक्त लागत की मंजूरी दी।
- 41वीं टीसीसी ने ₹4.45 करोड़ की लागत वाले 4 गवेषण प्रस्तावों की सिफारिश की। इसने 4 चालू परियोजनाओं की समीक्षा की और 1 चालू परियोजना की समयसीमा का विस्तार किया। इसने लखासर ब्लॉक (₹16,28,056) को अतिरिक्त लागत स्वीकृत की। इसने बेसलाइन सर्वेक्षण (टीएस-क्यूसी, ब्लॉक 13 से 16) के प्रस्ताव की भी सिफारिश की। बैठक के दौरान टीसीसी द्वारा गभीरस्थ खनिज पूर्वानुमान पर परियोजना की भी सिफारिश की गई। ₹32.18 करोड़ की लागत वाले भूभौतिकीय उपकरणों की खरीद के लिए जीएसआई के खरीद प्रस्ताव की भी मंजूरी के लिए सिफारिश की गई।
- 42वीं टीसीसी ने ₹ 11.67 करोड़ की लागत वाले 5 गवेषण प्रस्तावों की सिफारिश की। इसने 3 चालू परियोजनाओं की समीक्षा की और 1 चालू परियोजना के लिए समयसीमा विस्तार प्रदान किया।
- 43वीं टीसीसी ने ₹ 11.68 करोड़ की लागत वाले 5 गवेषण प्रस्तावों की सिफारिश की। इसने 3 चालू परियोजनाओं की समीक्षा की और 3 चालू परियोजनाओं के लिए समयसीमा विस्तार प्रदान किया। इसने ईसी की मंजूरी के लिए मुंडादेवता-दरखुली ब्लॉक (₹ 33,40,000) के लिए अतिरिक्त लागत की सिफारिश की।
- 44वीं टीसीसी ने ₹ 17.69 करोड़ की लागत वाले 7 गवेषण प्रस्तावों की सिफारिश की। इसने 4 चालू परियोजनाओं की समीक्षा की और 2 चालू परियोजनाओं के लिए समयसीमा विस्तार प्रदान किया।
- 45वीं टीसीसी ने ₹ 2.99 करोड़ की लागत वाले 2 गवेषण प्रस्तावों की सिफारिश की। इसने 6 चालू परियोजनाओं की समीक्षा की। इसने सीएमपीडीआईएल की दो परियोजनाओं को अतिरिक्त लागत की मंजूरी दी। आईबीएम और कर्नाटक और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों के खरीद प्रस्ताव की भी मंजूरी के लिए सिफारिश की गई।
- 46वीं टीसीसी ने ₹ 4.99 करोड़ की लागत वाले 5 गवेषण प्रस्तावों की सिफारिश की। इसने 7 चालू परियोजनाओं की समीक्षा की। आईबीएम और असम राज्य सरकार के खरीद प्रस्ताव की भी मंजूरी के लिए सिफारिश की गई।
- 47वीं टीसीसी ने ₹ 8.54 करोड़ की लागत वाले 7 गवेषण प्रस्तावों की सिफारिश की। इसने 1 चालू परियोजना की समीक्षा की। जीएसआई, आईबीएम और कर्नाटक, असम और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों के खरीद प्रस्तावों की भी मंजूरी के लिए सिफारिश की गई।
- 48वीं टीसीसी ने 4.32 करोड़ रुपये की लागत वाले 4 गवेषण प्रस्तावों की सिफारिश की। इसने 2 चालू परियोजनाओं की समीक्षा की। राजस्थान, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम राज्य सरकारों के खरीद प्रस्तावों की भी मंजूरी के लिए सिफारिश की गई।
- 49वीं टीसीसी ने 5.78 करोड़ रुपये की लागत वाले 5 गवेषण प्रस्तावों की सिफारिश की। इसने 8 चालू परियोजनाओं की समीक्षा की। अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों के खरीद प्रस्तावों की भी मंजूरी के लिए सिफारिश की गई। इसने ईसी से अतिरिक्त नमूना विश्लेषण के लिए सीएमपीडीआईएल को अतिरिक्त लागत की मंजूरी के लिए सिफारिश की।
- 50वीं टीसीसी ने ₹ 11.09 करोड़ की लागत वाले 8 गवेषण प्रस्तावों की सिफारिश की। इसने 5 चालू परियोजनाओं की समीक्षा की। नागालैंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राज्य सरकारों के खरीद प्रस्तावों की भी मंजूरी के लिए सिफारिश की गई। इसने ईसी से अतिरिक्त नमूना विश्लेषण के लिए सीएमपीडीआईएल को अतिरिक्त लागत की मंजूरी के लिए सिफारिश की।
- 51वीं टीसीसी ने ₹ 9.56 करोड़ की लागत वाले 4 गवेषण प्रस्तावों की सिफारिश की। इसने 10 चालू परियोजनाओं की समीक्षा की। बिहार, गोवा, मध्य प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की राज्य सरकारों के खरीद प्रस्तावों की भी मंजूरी के लिए सिफारिश की गई।

चित्र: दिनांक 13.04.2022 को आयोजित शासी निकाय की चौथी बैठक

प्रोत्साहन एवं पुरस्कार

एनईएमटी ने गवेषण एजेंसियों के मनोबल को बढ़ाने और उन्हें अधिक से अधिक खनिज गवेषण प्रस्ताव प्रस्तुत करने तथा खनिजों के क्षेत्र में भारत को "आत्मनिर्भर" बनाने के लिए अधिक ब्लॉकों की नीलामी करने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं।

इस दिशा में खान मंत्रालय ने खानों के लिए शीघ्र मंजूरी देने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित करने और खनिज उत्पादन बढ़ाने की पहल करने वाले राज्यों में उत्पादन शीघ्र शुरू करने की सुविधा के लिए "राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार (आरकेवीपी)।" शुरु किया है।

राज्य सरकारों को पुरस्कार तीन श्रेणियों में प्रदान किए गए हैं:

01 लौह अयस्क, चूना पत्थर एवं बॉक्साइट,

02 अन्य खनिज,

03 अभ्रक, ग्रेनाइट, संगमरमर आदि जैसे गौण खनिज (बालुआ पत्थर, कंकड़ के अलावा)।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, दो वित्त वर्षों यानी 2019-20 और 2020-21 के संयुक्त कार्य निष्पादन के लिए गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान राज्यों को एनएमईटी निधि से आरकेवीपी पुरस्कार के रूप में ₹17 करोड़ की राशि दी गई। (**अनुबंध-10**)।

वित्त वर्ष 2022-23, में 70 खनिज ब्लॉकों की सफल नीलामी के लिए आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों को ₹14 करोड़ की राशि जारी की गई।

छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों को रद्द किए गए खनिज ब्लॉकों जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा नीलामी के लिए रखा गया था के लिए ₹1.72 करोड़ की राशि दी गई थी।

वित्त वर्ष 2022-23 में खनिज ब्लॉकों की उपलब्धता के लिए बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों को ₹ 1.40 करोड़ का राज्य प्रोत्साहन दिया गया।

आधारभूत सर्वेक्षण और डेटा सृजन

जीएसआई द्वारा एनएमईटी निधि के माध्यम से चुंबकीय-ग्रेडियोमेट्री और रेडियोमेट्रिक सर्वेक्षणों के साथ राष्ट्रीय हवाई-भूभौतिकीय मानचित्रण कार्यक्रम (एनएजीएमपी) को शुरुआत में स्पष्ट भूवैज्ञानिक क्षमता (ओजीपी) के क्षेत्रों में और उसके बाद परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) को शामिल करके पूरे देश को कवर करते हुएएक समान हवाई-भूभौतिकीय डेटा प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य (1) हाई रिज़ॉल्यूशन आधारभूत हवाई-भूभौतिकीय डेटा प्राप्त करना,(2) खनिज पूर्वानुमान के लिए नए लक्षित क्षेत्रों की पहचान करना,(3) उपसतह भूवैज्ञानिक और संरचनात्मक ढाँचा को समझना है। आधारभूत भू-विज्ञान डेटा के अधिग्रहण के लिए ओजीपी क्षेत्र को ब्लॉक-1 से 12 और ब्लॉक-13 से 22 में विभाजित किया गया है। एनएजीएमपी के तहत ओजीपी ब्लॉक-1, 2, 3, 4 और 11 का सर्वेक्षण और डेटा अधिग्रहण कार्य पूरा हो चुका है। संग्रहीत भूभौतिकीय, भूवैज्ञानिक और ज्ञात खनिजकरण डेटा के साथ इन हवाई-भूभौतिकीय डेटा के एकीकरण के आधार पर, अनुवर्ती कार्रवाई के लिए कुल 150 संभावित ब्लॉकों की पहचान की गई है। ओजीपी ब्लॉक-6 और 8 में सर्वेक्षण कार्य और डेटा अधिग्रहण प्रगति पर है। हवाई – भूभौतिकीय सर्वेक्षण का उद्देश्य कम समय में पूरे ओजीपी क्षेत्रों को कवर करना और अधिक विस्तृत हवाई सर्वेक्षणों के लिए चुने गए क्षेत्रों की शीघ्र पहचान करना है। यह खनिज क्षेत्र के लिए गवेषण कार्य को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में काम करेगा और गवेषण गतिविधियों में सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आंकड़ा संग्रह के माध्यम से विभिन्न हितधारकों के लिए हवाई – भूभौतिकीय आंकड़ा भी उपलब्ध कराएगा।

राष्ट्रीय भू-विज्ञान आंकड़ा संग्रह(एनजीडीआर) परियोजना को कार्यकारी समिति द्वारा मंजूरी दे दी गई है। एनजीडीआर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) को नोडल एजेंसी घोषित किया गया है। एनजीडीआर का कार्य प्रगति पर है। राष्ट्रीय भू-विज्ञान आंकड़ा संग्रह (एनजीडीआर) सृजन परियोजना की परिकल्पना राष्ट्रीय खनिज खोज नीति (एनएमईपी), 2016 के भाग के रूप में खान मंत्रालय (एमओएम) द्वारा की गई । परियोजना का विज़न डिजिटलभू-स्थानिक प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक डोमेन में सभी भूवैज्ञानिक, भूरासायनिक, भूभौतिकीय और खनिज गवेषण डेटा उपलब्ध कराने हेतु एक व्यापक, बहु उद्देश्यीय कार्यक्रम बनाना है । इसमें आधारभूत भू-विज्ञान डेटा शामिल होगा और विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकारी एजेंसियों व खनिज रियायत धारकों द्वारा प्राप्त सभी खनिज गवेषण सूचना को एकत्रित किया जाएगा और इन्हें सिंगल प्वाइंट ऑफ ट्रूथ (एसपीओटी) पर बनाए रखा जाएगा। एनजीडीआर एक इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म पर मांग आधारित खनिज गवेषण और आधारभूत भू-विज्ञान डेटा भंडार के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में कार्य करेगा। इस पहल का बड़ा लक्ष्य भारत में खनन क्षेत्र के निवेश आकर्षण को बढ़ाना है।

राष्ट्रीय भूभौतिकीय मानचित्रण कार्यक्रम (एनजीपीएम) जीएसआई द्वारा वर्ष 2002-03 में शुरू किया गया था,जो ओजीपी क्षेत्रों को प्राथमिकता के साथ पूरे देश को कवर करने के लिए एक स्टेशन घनत्व (एक स्टेशन / 2.5 वर्ग किमी) में व्यवस्थित रूप से गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय डेटा सृजित कर रहा है। खनिज होने के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने की दृष्टि से ओजीपी क्षेत्र को प्राथमिकता पर लिया गया। इससे खनिज संसाधनों को बढ़ाने के लिए छिपे/गहरे स्थित निक्षेपों को लक्षित करने का मार्ग प्रशस्त होगा। मानचित्रण से देश के 1mGal गुरुत्वाकर्षण और 50nT चुंबकीय विसंगति समोच्च मानचित्र तैयार होंगे। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय सर्वेक्षण करने के लिए ईसी द्वारा एक एनजीपीएम परियोजना को मंजूरी दी गई है। कार्य प्रगति पर है।

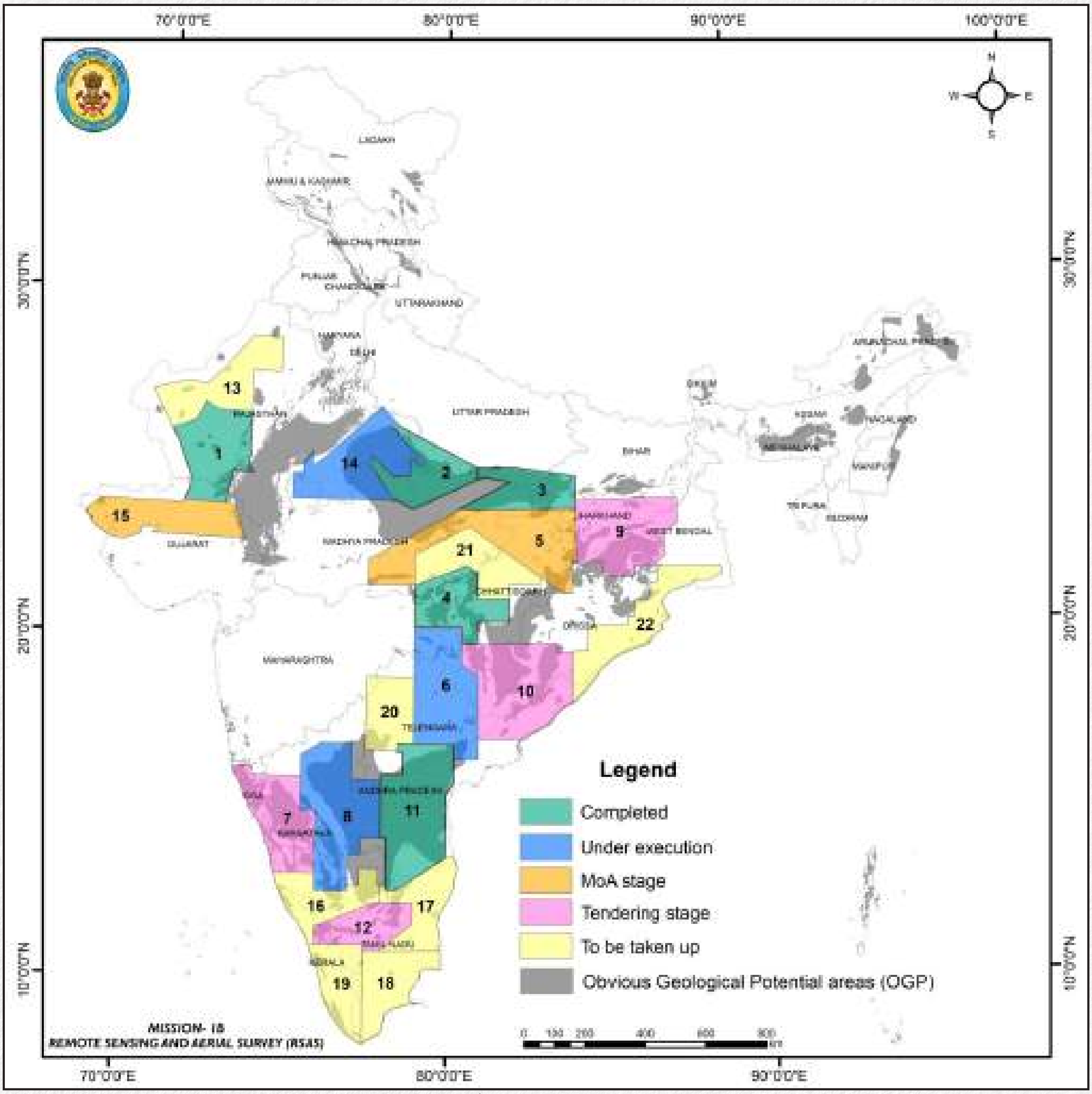

मानचित्र 1: सर्वेक्षण ब्लॉकों (संख्यांकित) के साथ एनएजीएमपी सर्वेक्षण क्षेत्र और सर्वेक्षण की स्थिति

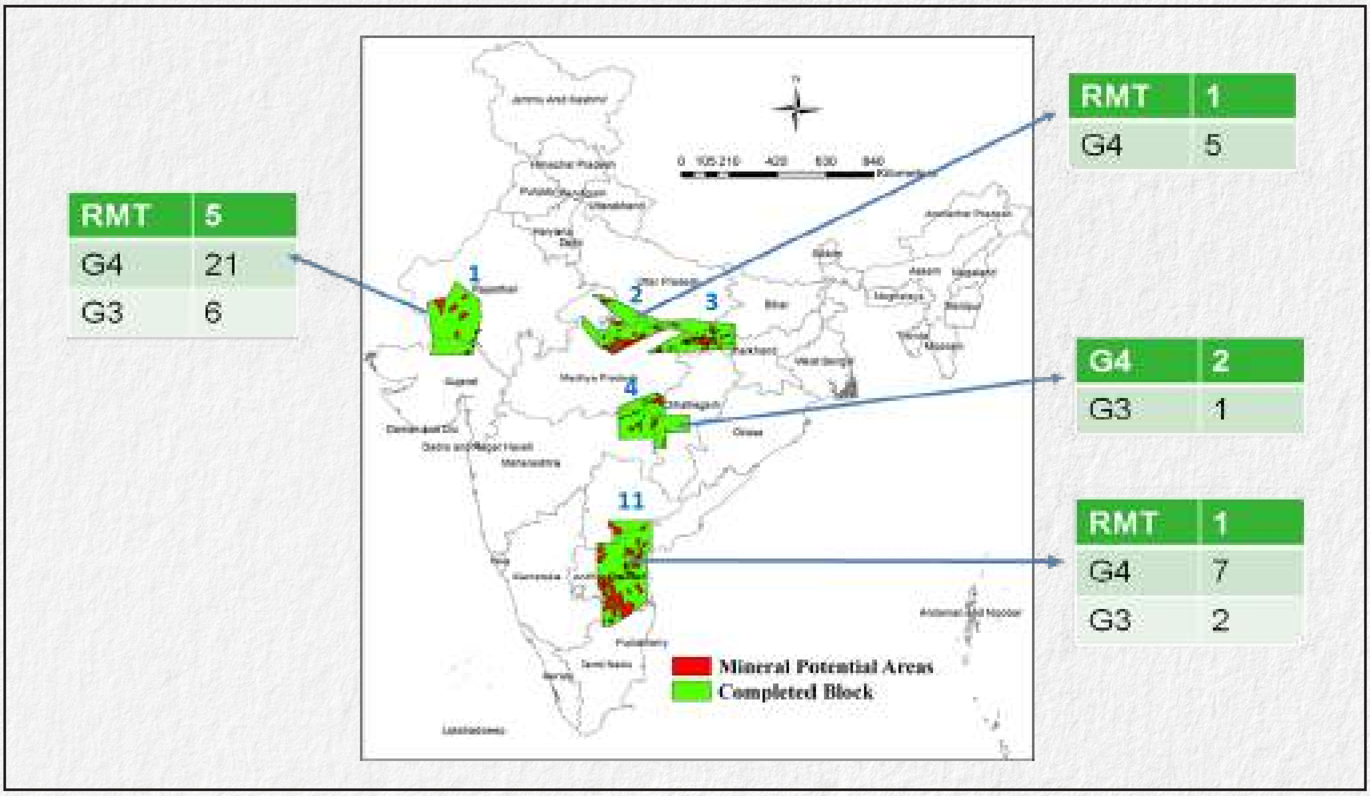

मानचित्र 2: बहु – संवेदक हवाई-भूभौतिकीय मानचित्रण कार्यक्रम (एनएजीएमपी) के परिणाम

परियोजनाओं की स्थिति

तकनीकी – सह - लागत समिति की सिफ़ारिश पर,कार्यकारी समिति ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ₹173.39 करोड़ की अनुमानित लागत से 67 खनिज गवेषण परियोजनाओं और 2 आधारभूत सर्वेक्षण परियोजनाओं को मंजूरी दी। एनएमईटी द्वारा स्वीकृत 67 गवेषण परियोजनाओं में से 27 परियोजनाएँ महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों की हैं। परियोजनाओं का ब्योरा **अनुबंध-11** में दिया गया है।

वर्ष 2022-23 में ईसी द्वारा अनुमोदित खनिज गवेषण परियोजनाओं का खनिज-वार वितरण नीचे दिया गया है:

खनिज	परियोजनाओं की संख्या
कोयला	18
चूना पत्थर	09
ग्रेफाइट	07
निकल-पीजीई	06
मैंगनीज	04
लौह अयस्क	03
आरईई	03
फॉस्फोराइट	03
बाक्साइट	02
हीरा	02
पॉलीमेटल मैग्नेटाइट	02
पोटाश	02
आधार धातु	01
तांबा एवं संबद्ध खनिज	01
ग्लौकोनिटिक चूनापत्थर बालुआ पत्थर	01
टिन	01
टंगस्टन	01
जस्ता	01

कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं का राज्य-वार वितरण:

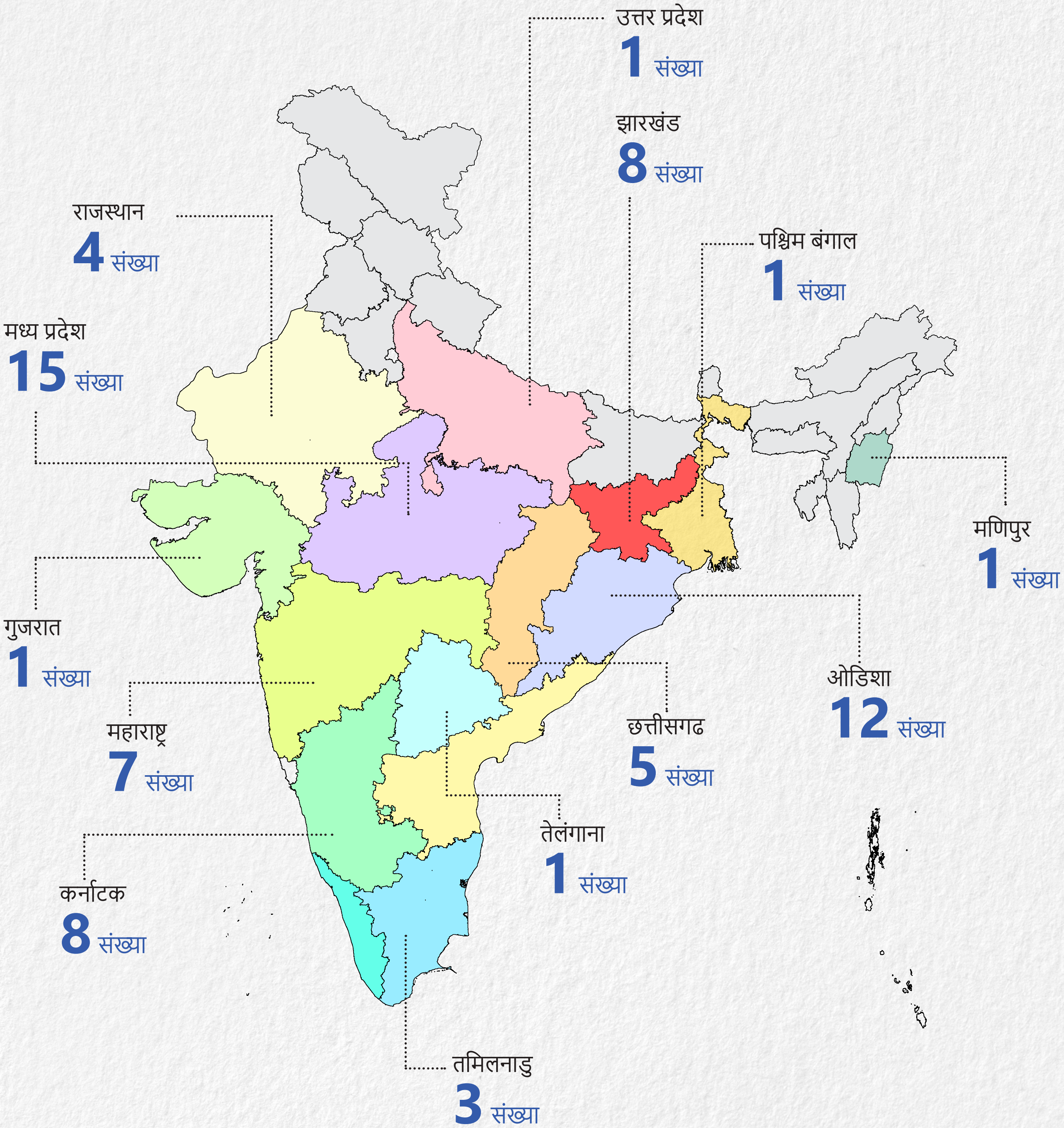

खान मंत्रालय
भारत सरकार

भारत में स्पष्ट भूवैज्ञानिक क्षमता (ओजीपी) और आसपास के क्षेत्रों में बहु-संवेदक हवाई-भूभौतिकीय सर्वेक्षण के पहले चरण को ईसी द्वारा एनएमईटी वित्त पोषण के तहत अपनी 7वीं बैठक में अनुमोदित किया गया। यह परियोजना भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। क्षेत्र को 22 ब्लॉकों में विभाजित किया गया है और स्पष्ट भूवैज्ञानिक क्षमता (ओजीपी) और आसपास के क्षेत्रों को 300 मीटर की पंक्ति दूरी और जमीनी स्तर से 80 मीटर ऊंचाई पर कवर करने के लिए इस पर दो चरणों अर्थात ब्लॉक 1-12 और ब्लॉक 13-22 में कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य देश में गवेषण गतिविधियों को बढ़ाने और खनिज क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए खनिज लक्ष्यीकरण हेतु उपयुक्त क्षेत्रों का पूर्वानुमान लगाने के लिए एक विशिष्ट समय में आरंभ में ओजीपी और इसके आस-पास के क्षेत्रों में और बाद में पूरे देश में एक समान हवाई भूभौतिकीय डेटा प्राप्त करना है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मान्यता प्राप्त सलाहकार फर्म को बहु संवेदक हवाई - भूभौतिकीय सर्वेक्षण (एनएजीएमपी) की समग्र गतिविधियों के तकनीकी पर्यवेक्षण-सह-गुणवत्ता नियंत्रण (टीएस-क्यूसी) का काम सौंपा गया है।

एनएजीएमपी डेटा अधिग्रहण, प्रसंस्करण, व्याख्या और एकीकरण- आगे के कार्य के लिए लक्षित क्षेत्रों को चिन्हित करने की एकीकृत परियोजना है। इससे निम्नलिखित में मदद मिलेगी:

- चुंबकीय और रेडियो मेट्रिक मानचित्र (1: 500/400 K, 1:50 K) तैयार करना
- विभिन्न व्युत्पन्न मानचित्रों (टीएमआई, आरटीपी, वीडी, एएस, डीआर, ईयू, ईटीएच, ईके) तैयार करना
- गहरे भ्रंश,सीवन का पता लगाना
- अगले कार्य के लिए रुचि के क्षेत्रों की पहचान करना

वित्तीय कार्य निष्पादन

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (एनएमईटी) का वित्तीय कार्य निष्पादन निम्नानुसार है:

वर्ष 2022-23 के दौरान,खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम,1957 की धारा 9 (ग) की उप-धारा (4) के तहत खनन पट्टा या पूर्वेक्षण लाइसेंस-सह-खनन पट्टा धारकों द्वारा देय रॉयल्टी के 2% के समतुल्य,राज्य सरकारों द्वारा भारतीय समेकित निधि (सीएफआई) में ₹934.72 करोड़ का एनएमईटी संग्रह जमा किया गया।

एनएमईटी को वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ₹100 करोड़ का बजट अनुमान प्राप्त हुआ है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान स्वीकृत गवेषण परियोजनाओं के व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान के दूसरे और अंतिम बैच के दौरान ₹60 करोड़ के लिए अतिरिक्त पूरक अनुदान की मांग की गई।

एनएमईटी ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ₹159.87 करोड़ (~ 100% बजट उपयोग) के बिलों का समायोजन किया है। किए गए भुगतान का ब्योरा अनुबंध-12 में दिया गया है।

एमइसीएल	सीएमपीडीआई	ओएमइसीएल
परियोजनाओं की संख्या 29	परियोजनाओं की संख्या 21	परियोजनाओं की संख्या 05
कुल लागत (लाख में) 5588.975	कुल लागत (लाख में) 8194.21	कुल लागत (लाख में) 987.39

डीजीएम ओडिशा	केआईओसीएल	जियोएक्सपोर प्राइवेट लिमिटेड
परियोजनाओं की संख्या 03	परियोजनाओं की संख्या 02	परियोजनाओं की संख्या 02
कुल लागत (लाख में) 446.35	कुल लागत (लाख में) 381	कुल लागत (लाख में) 168.99

डीजीएम महाराष्ट्र	जिओवाले सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	एनएमडीसी
परियोजनाओं की संख्या 02	परियोजनाओं की संख्या 01	परियोजनाओं की संख्या 01
कुल लागत (लाख में) 163.9	कुल लागत (लाख में) 263	कुल लागत (लाख में) 245.66

डीजीएम कर्नाटक
परियोजनाओं की संख्या 01
कुल लागत (लाख में) 125.5

एनएमईटी द्वारा किए गए कार्यों की मुख्य विशेषताएं

एनएमईटी ने मार्च, 2023 तक वित्त पोषण के लिए कुल 295 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मार्च, 2023 तक कुल 135 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। शेष परियोजनाओं पर काम चल रहा है।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान एनएमईटी द्वारा विभिन्न गवेषण परियोजनाओं (अनुबंध-11) में कुल 110605 मीटर वेधन को मंजूरी दी गई थी, जिसमें से कोयला और लिग्नाइट के लिए 81460 मीटर, पोटाश के लिए, 11200 मीटर, चूना पत्थर के लिए, 4220 मीटर, लौह और मैंगनीज के लिए, 2860 मीटर लोहा और मैंगनीज और शेष फॉस्फोराइट, आधार धातु/बॉक्साइट, स्वर्ण/ क्रोमियम-निकल आदि के लिए किया गया है।

विभिन्न गवेषण गतिविधियों की मुख्य बातें इस प्रकार हैं

एनएमईटी द्वारा वित्त पोषित, मैंगनीज के लिए जी4 चरण में गवेषित लंजेरा-फुटाला ब्लॉक,जिला- नागपुर, महाराष्ट्र औरजी2 चरण में गवेषित सोनराई रॉक फॉस्फेट ब्लॉक, तहसील- महरौनी, जिला- ललितपुर, उत्तर प्रदेश की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है।

वित्त वर्ष 2021-22 में टीसीसी द्वारा अनुशंसित कोयले की 10 परियोजनाओं को वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कोयला संसाधन अनुमान के लिए भारतीय मानक प्रक्रिया [आईएसपी] 2022 के अनुमोदन और परिचालन के बाद ईसी द्वारा अनुमोदित किया गया।

किये गये अनुमान के अनुसार,एनएमईटी वित्त पोषण के तहत किए गए गवेषण कार्य के परिणामस्वरूप 12,390 करोड़ रुपये मूल्य के लौह अयस्क संसाधन और 31,109 करोड़ रुपये मूल्य के चूना पत्थर संसाधन का पता लगा है।

खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने हेतु एनएमईटी द्वारा राज्य सरकारों के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

» वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रत्येक राज्य को 20 लाख रुपये की राशि जारी की जाएगी जहां खनिज ब्लॉक नीलामी के लिए उपलब्ध हैं।

» खनिज ब्लॉक की प्रत्येक सफल नीलामी के लिए ₹20 लाख प्रोत्साहन राशि।

» प्रत्येक ब्लॉक, जिसे नीलामी के लिए रखा गया था, किन्तु सफलतापूर्वक नीलाम नहीं किया जा सका, के लिए लेन देन सलाहकार को 50% राशि का भुगतान किया जाएगा, जो अधिकतम 5 लाख रुपये तक होगा।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान इस संबंध में ₹ 17.12 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है।

इसके अलावा, एनएमईटी अनुमोदित परियोजनाओं के तेजी से कार्यान्वयन के लिए, राज्य सरकारों के डीएमजी/डीजीएम, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अग्रिम धनराशि जारी करने की पहल की गई है और यह धनराशि तीन किस्तों अर्थात् पहली किस्त स्वीकृति आदेश के साथ स्वीकृत परियोजना लागत का 40%, दूसरी किस्त 40% तथा तीसरी और अंतिम किस्त में जारी की जा रही है।

दो वित्त वर्षों यानी 2019-20 और 2020-21 के संयुक्त कार्य निष्पादन हेतु, राज्यों में खानों के लिए शीघ्र मंजूरी देने और उत्पादन की शीघ्र शुरुआत के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने हेतु खान मंत्रालय द्वारा गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान राज्यों को ₹ 17 करोड़ का "राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार" प्रदान किया गया।

एनएमईटी ने तकनीकी अवसंरचना को मजबूत करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के संगठनों और राज्य डीजीएम/डीएमजी में मशीन / उपकरणों/ यंत्रों की खरीद/मौजूदा सॉफ्टवेयर और अन्य नवीनतम प्रौद्योगिकी और उपकरणों के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु योजनाएं तैयार कर परिचालित की हैं। इस योजना के तहत केंद्र सरकार के संगठनों की ₹ 126.78 करोड़ की छह परियोजनाएं और राज्य डीजीएम/डीएमजी की ₹55.35 करोड़ की तेईस परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है।

गहरे स्थित खनिजों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ खनिज गवेषण के सभी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने, प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए एनएमईटी ने समग्र लाइसेंस (सीएल)

धारकों के लिए गवेषण व्यय की आंशिक प्रतिपूर्ति की एक योजना तैयार कर परिचालित की है, जो योजना में विनिर्दिष्ट खनिजों के गवेषण के लिए नीलामी के माध्यम से प्रदान की गयी है। इस योजना के तहत, एनएमईटी एसओसी के अनुसार, भूवैज्ञानिक मानचित्रण आदि पर खर्चों के लिए ₹ 0.50 करोड़ की अधिकतम सीमा के साथ प्रत्यक्ष लागत का 50% तक; भूभौतिकीय गवेषण व्यय के लिए ₹1 करोड़ की अधिकतम सीमा के साथ प्रत्यक्ष लागत का 50% तक; गवेषणात्मक वेधन पर व्यय ₹ 2.5 करोड़ की अधिकतम सीमा के साथ प्रत्यक्ष लागत का 50% तक की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

खनिज गवेषण में अधिसूचित निजी गवेषण एजेंसियों (एनपीईए) की नियुक्ति के लिए तंत्र स्थापित करने तथा राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (एनएमईटी) या राज्य सरकारों के माध्यम से इनके वित्तपोषण को समर्थ करने के उद्देश्य से एनएमईटी ने एक योजना तैयार कर परिचालित की है। इस योजना में खान मंत्रालय द्वारा अधिसूचित एनपीईए की नियुक्ति के तीन तरीके अर्थात तरीका 'क', तरीका 'ख' और तरीका 'ग' शामिल हैं। इस योजना के तहत, एनएमईटी द्वारा महत्वपूर्ण तथा सामरिक खनिजों के लिए दो अधिसूचित निजी गवेषण एजेंसियों (एनपीईए) की तीन परियोजनाओं को ₹ 4.32 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।

अनुबंध - 1

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 508]	नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 14, 2015/श्रावण 23, 1937
No. 508]	NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 14, 2015/SRAVANA 23, 1937

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2015

सा.का.नि.633(अ).-केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 9ग की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक न्यास जिसे शासकीय निकाय और कार्यकारी समिति के साथ राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास कहा जाएगा, की स्थापना करती है।

(1) शासकीय निकाय के निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(क)	खान मंत्रालय का भार साधक संघ मंत्री	अध्यक्ष, पदेन
(ख)	कोयला मंत्रालय का भार साधक संघ मंत्री या उसका नामनिर्देशिती ;	सदस्य, पदेन
(ग)	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का भार साधक संघ मंत्री या उसका नामनिर्देशिती ;	सदस्य, पदेन
(घ)	परमाणु ऊर्जा के लिए संघ मंत्री या उसका नामनिर्देशिती ;	सदस्य, पदेन
(ङ)	खान के लिए राज्य मंत्री ;	सदस्य, पदेन
(च)	खान और भूविज्ञान का प्रभार रखने वाले राज्य सरकारों के पांच मंत्री, राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास के शासकीय निकाय के अध्यक्ष द्वारा चक्रानुक्रम आधार पर नामनिर्देशन के लिए राज्यों में से, दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए नामनिर्देशित किया जाएगा ;	सदस्य, पदेन

(घ)	सचिव, खान मंत्रालय,	संयोजक, पदेन
(ङ)	विशेष आमंत्रित, जो खनन क्षेत्र में अनुभव रखते हों, राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास के शासकीय निकाय के अध्यक्ष द्वारा आमंत्रित किए जाएंगे :	

(2) कार्यकारी समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(क)	सचिव, खान मंत्रालय	अध्यक्ष, पदेन
(ख)	संयुक्त सचिव से अन्यून श्रेणी का एक अधिकारी, परमाणु ऊर्जा विभाग	सदस्य, पदेन
(ग)	संयुक्त सचिव से अन्यून श्रेणी का एक अधिकारी, कोयला मंत्रालय	सदस्य, पदेन
(घ)	संयुक्त सचिव से अन्यून श्रेणी का एक अधिकारी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	सदस्य, पदेन
(ङ)	संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, खान या कोयला मंत्रालय	सदस्य, पदेन
(च)	महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण या केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अन्य प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन
(छ)	महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो या केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अन्य प्रतिनिधि	संयोजक, पदेन
(ज)	केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट चार राज्य सरकारों में से एक प्रतिनिधि, जो राज्य सरकार के सचिव या समतुल्य की श्रेणी से नीचे का न हो, चक्रानुक्रम आधार पर पुनर्नामनिर्देशन के लिए पात्रता के साथ, दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए :	सदस्य, पदेन
(झ)	संयुक्त सचिव, खोज का भारसाधक, खान मंत्रालय	सदस्य सचिव, पदेन
(ञ)	राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट, ऐसे व्यक्तियों को जिनके पास संबंधित खोज या अनुसंधान का दो वर्ष की अवधि का अनुभव हो, में से पांच व्यक्ति।	

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. 11/8/2015-एन आई]

आर. श्रीधरन, अवर सचिव

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2015

G.S.R.633(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 9C of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby establishes a Trust to be called as the National Mineral Exploration Trust with a Governing Body and an Executive Committee.

(1) The Governing Body shall consist of the following members, namely:-

(a)	Union Minister In-charge of Ministry of Mines	—Chairperson, *ex officio*;
(b)	Union Minister In-charge of Ministry of Coal or his nominee	Member, *ex officio*

(c) Union Minister in charge of Ministry of Petroleum and Natural Gas or his nominee —Member, *ex officio;*

(d) Minister of State for Atomic Energy or his nominee —Member, *ex officio.*

(e) Minister of State for Mines —Member, *ex officio;*

(f) Six Ministers of State Governments, holding charge of Mines and Geology to be nominated by the Chairperson of the Governing Body of the National Mineral Exploration Trust, on rotation basis, for a term not exceeding two years at a time with the eligibility for re-nomination —Members, *ex officio,*

(g) Secretary, Ministry of Mines — Convener, *ex officio*

(h) Special invitees having experience in the relevant field to be invited by the Chairperson of the Governing Body of the National Mineral Exploration Trust.

(II) The Executive Committee shall consist of the following members, namely:-

(a) Secretary, Ministry of Mines —Chairperson, *ex officio.*

(b) an officer not below the rank of Joint Secretary, Department of Atomic Energy —Member, *ex officio;*

(c) an officer not below the rank of Joint Secretary, Ministry of Coal —Member, *ex officio;*

(d) an officer not below the rank of Joint Secretary, Ministry of Petroleum and Natural Gas —Member, *ex officio*

(e) Joint Secretary and Financial Advisor of Ministries of Mines or Coal —Member, *ex officio,*

(f) Director General of Geological Survey of India or any other representative to be nominated by the Central Government —Member, *ex officio;*

(g) Controller General of Indian Bureau of Mines or any other representative to be nominated by the Central Government —Member, *ex officio,*

(h) One representative from any four State Governments, as decided by the Central Government, not below the rank of Secretary to the State Government or equivalent, on rotation basis, for a term not exceeding two years at a time, with the eligibility for re-nomination —Members, *ex officio;*

(i) Joint Secretary, in-charge of Exploration, Ministry of Mines —Member Secretary, *ex officio;*

(j) five persons, from among persons with experience in exploration or in research in a related field at least for a period of two years, to be nominated by the Chairperson of the Executive Committee of the National Mineral Exploration Trust.

2 This Notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F.No. 11/8/2015-M.I]

R. SRIDHARAN, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

अनुबंध - 2

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 507] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 14, 2015/श्रावण 23, 1937
No. 507] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 14, 2015/SRAVANA 23, 1937

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2015

सा.का.नि.632 (अ).- केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 9ग की उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) तथा धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास नियम, 2015 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,--

(क) **"अधिनियम"** से खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) अभिप्रेत है ;

(ख) **"अध्यक्ष, कार्यपालक समिति"** से अधिनियम की धारा 9ग की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास की कार्यपालक समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ग) **"अध्यक्ष, शासी निकाय"** से अधिनियम की धारा 9ग की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास के शासी निकाय का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(घ) **"कार्यपालक समिति"** से न्यास की कार्यपालक समिति अभिप्रेत है ;

(ङ) **"निधि"** से नियम 6 में निर्दिष्ट निधि अभिप्रेत है ;

(च) **"शासी निकाय"** से न्यास का शासी निकाय अभिप्रेत है ;

(छ) **"सदस्य, कार्यपालक समिति"** से कार्यपालक समिति का सदस्य अभिप्रेत है ;

(ज) **"सदस्य, शासी निकाय"** से शासी निकाय का सदस्य अभिप्रेत है ;

खान मंत्रालय
भारत सरकार

(झ) **"सुस्पष्ट भू-गर्भीय संभावना क्षेत्र"** से भारत के भू-गर्भीय सर्वेक्षण द्वारा समय-समय पर पहचान किया गया क्षेत्र अभिप्रेत है ;

(ञ) **"न्यास"** से अधिनियम की धारा 9ग की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास अभिप्रेत है ।

(2) शब्द और पद, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, किंतु परिभाषित नहीं हैं, का वहीं अर्थ होगा जो उनका अधिनियम में है ।

3. शासी निकाय और कार्यपालक समिति के कृत्य—(1) शासी निकाय, न्यास द्वारा कार्य करने के लिए वृहत्त नीति ढांचे को अधिकथित करेगी और उसके कार्यकरण का पुनर्विलोकन करेगी ।

(2) शासी निकाय, कार्यपालक समिति की सिफारिशों पर न्यास की वार्षिक योजना और वार्षिक बजट का अनुमोदन करेगा और यह वर्ष में कम से कम एक बैठक करेगा।

(3) कार्यपालक समिति न्यास का प्रबंध, प्रशासन और पर्यवेक्षण करेगी तथा नियमित अंतरालों पर न्यास निधि के व्यय की मानीटरी और पुनर्विलोकन भी करेगी ।

(4) कार्यपालक समिति अपने कृत्यों का निर्वहन करते हुए नीति ढांचे का और समय-समय पर शासी निकाय द्वारा दिए गए निदेशों का अनुसरण करेगी ।

(5) कार्यपालक समिति का अध्यक्ष किसी नामनिर्दिष्ट सदस्य की पदावधि में फेरफार कर सकेगा या उसकी पदावधि के पूरा होने से पूर्व उसे कार्यपालक समिति से हटा सकेगा ।

4. शासी निकाय की सदस्यता—(1) शासी निकाय के सदस्य पदेन सदस्य होंगे ।

(2) शासी निकाय के विशेष आमंत्रिती, यदि कोई हों, ऐसी बैठक फीस, यात्रा व्यय और जेब से किए गए खर्च के हकदार होंगे, जैसा शासी निकाय विनिश्चय करे ।

5. कार्यपालक समिति की सदस्यता—(1) पदेन सदस्यों को मत देने का अधिकार होगा।

(2) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्य, जिसके अंतर्गत विशेष आमंत्रिती हैं, को मत देने का अधिकार नहीं होगा, किंतु वे ऐसी बैठक फीस, यात्रा व्यय और जेब से किए गए खर्च के हकदार होंगे, जैसा शासी निकाय विनिश्चय करे ।

6. न्यास के अधीन निधि का गठन—(1) केंद्रीय सरकार आदेश द्वारा "राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास निधि" के नाम से ज्ञात न्यास के अधीन एक निधि स्थापित करेगी, जिसका प्रबंधन न्यास की कार्यपालक समिति द्वारा किया जाएगा ।

(2) न्यास निधि नियम 8 के उपबंधों के अनुसार संदाय करने के लिए धन प्राप्त करेगी और यह ऐसे अन्य स्रोतों से, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाएं, अशंदान भी प्राप्त करेगी ।

7. न्यास निधि में अंशदान—(1) न्यास को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की दूसरी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट किसी अधिसूचित बैंक में अपने स्वयं के नाम से बैंक खाते खोलने और प्रचालित करने की शक्ति होगी ।

(2) न्यास अधिनियम की धारा 9ग की उपधारा (4) के अधीन किए जाने के लिए अपेक्षित संदायों के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार को अपने बैंक खाते की विशिष्टियों से संसूचित करेगा ।

(3) खनन पट्टे और पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति–सह–खनन पट्टे के धारक न्यास निधि को अंशदान के लिए राज्य सरकार को अधिनियम की धारा 9ग की उपधारा (4) के अधीन संदेय रकम का स्वामिस्व के संदाय के साथ संदाय करेंगे ।

(4) राज्य सरकार ऐसे संदायों से एकत्रित रकम को न्यास के बैंक खाते में जमा करेगी ।

(5) उपनियम (4) में निर्दिष्ट जमा को यथाशीघ्र किंतु किसी भी दशा में उस मास, जिसकी बाबत किसी विशिष्ट मास में रकम एकत्रित की गई है, के पश्चातवर्ती मास के दस दिन से पूर्व जमा किया जाएगा ।

(6) इस प्रकार एकत्रित रकम को एकत्रित करने और न्यास निधि में जमा करने तथा केंद्रीय सरकार के साथ लेखाओं को बांटने के लिए, अपेक्षित लेखाओं का अनुरक्षण करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का होगा ।

(7) राज्य सरकार अधिनियम की धारा 9ग की उपधारा (4) के अनुसरण में संदत्त रकमों और भारतीय खान ब्यूरों को स्वामिस्व के संदाय की बाबत सूचना मासिक आधार पर उपलब्ध कराएगी ।

(8) भारतीय खान ब्यूरो न्यास के बैंक खाते में अंतरित धन का अद्यतन अभिलेख को रखने के साथ स्वामिस्व संदायों के डाटा बेस का अनुरक्षण करेगा तथा न्यास को आवधिक आधार पर ऐसी सूचना उपलब्ध कराएगा ।

8. कार्यालय और बैंक खाता—(1) न्यास का कार्यालय, खान मंत्रालय, शास्त्री भवन, डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, केंद्रीय सचिवालय, नई दिल्ली-110001 या ऐसे अन्य स्थान पर, जो कार्यपालक समिति द्वारा विनिश्चित किया जाएं, होगा ।

(2) न्यास के बैंक खाते को सदस्य सचिव या कार्यपालक समिति के किसी अन्य सदस्य या केंद्रीय सरकार के किसी अन्य अधिकारी द्वारा, जैसा कार्यपालक समिति द्वारा प्राधिकृत किया जाए, के माध्यम से खोला और प्रचालित किया जाएगा ।

9. न्यास के उद्देश्य और कृत्य—(1) न्यास खनिजों के लिए प्रादेशिक और विस्तृत खोज करेगा तथा यह ऐसे कार्यकलाप हाथ में लेगा जैसा शासी निकाय द्वारा अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक समझे जाएं, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं,--

(क) विशेष अध्ययनों और परियोजनाओं का वित्तपोषण करना, जो गहरे या छिपे हुए खनिज भंडारों की पहचान, खोज, निकालने, धातु शोधन और परिष्करण के लिए डिजाइन की गई हैं ;

(ख) खनिज विकास, उन्नत, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय पद्धतियों तथा खनिज निकासी, धातु विज्ञान के लिए भरणीय खनन को अंगीकार करने के लिए अध्ययन हाथ में लेना ;

(ग) प्रादेशिक और विस्तृत खोज के लिए क्षेत्रों को पूर्विकता देते हुए विशिष्टता सामरिक और महत्वपूर्ण खनिजों की खोज को हाथ में लेना ;

(घ) न्यास द्वारा खोज के लिए पूर्विकताओं का विनिश्चय करने के लिए केंद्रीय भू-गर्भीय कार्यक्रम बोर्ड से परामर्श करना ;

(ङ) ऐसी रीति में खोज कार्यकलापों को सुकर बनाना, जिससे खोजे गए क्षेत्रों को अधिनियम और उसके तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार खनिज छूटों को अनुदत्त करने के लिए हाथ में लिया जा सके ;

(च) स्पष्ट भू-गर्भीय संभावना क्षेत्रों (जी3) में ब्राउन फील्ड प्रादेशिक खोज परियोजनाओं को पूरा करने को सुकर बनाना, जिसके अंतर्गत आधुनिक प्रौद्योगिकीयों के माध्यम से गहरे खनिज भंडारों की उच्च्व जोखिम खोज संचालित करना है ;

(छ) संपूर्ण भारत में उन क्षेत्रों में, जहां जी3 स्तर की खोज पूरी कर ली गई है, विस्तृत खोज (जी2 या जी1) को पूरा करने का संवर्धन करना ;

(ज) भू-भौतिकीय, भू और हवाई सर्वेक्षण और स्पष्ट भू-गर्भीय संभावना क्षेत्रों के सर्वेक्षण और शेष भारत के सर्वेक्षण को सुकर करना ;

(झ) पृथ्वी विज्ञान और खनिज पूर्वेक्षण के मूल्यांकन के लिए अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय कोर निक्षेपागार को सुकर बनाना ;

(ञ) खोज में लगे हुए या लगने वाले कार्मिकों की तकनीकी सक्षमता को बढ़ाने के लिए सक्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन करना ; और

(ट) न्यास निधि का ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल करना, जैसा शासी निकाय विनिश्चय करे, या कार्यपालक समिति को भारत में खनिज संसाधनों के संरक्षण, विकास और खोज के हित में समीचीन या आवश्यक के लिए कार्यपालक समिति को प्राधिकृत करना, जो अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए शासी निकाय कार्मिकों को नियोजित कर सकेगा या भाडे पर ले सकेगा, संपत्ति, जिसके अंतर्गत बौद्धिक संपदा है, का स्वामी हो सकेगा या उसका निपटान कर सकेगा, प्रशासनिक व्यय उपगत कर सकेगा और दस्तावेजों का निष्पादन कर सकेगा, जैसा अपेक्षित हो ।

10. न्यास का प्रबंधन—(1) न्यास का समग्र नियंत्रण, आवधिक पुनर्विलोकन और नीति निदेश शासी निकाय में विहित होंगे ।

(2) कार्यपालक समिति न्यास के दिन-प्रतिदिन के कार्यकलापों का प्रबंध, प्रशासन और पर्यवेक्षण करेगी ।

(3) शासी निकाय कार्यपालक समिति को उपनियम (1) में यथावर्णित अपनी किसी या सभी शक्तियों का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी ।

(4) कार्यपालक समिति वित्तीय शक्तियों के प्रत्योजन के लिए स्कीम की विरचना करेगी और उसे अंतिम रूप देगी ।

11. समितियां—(1) कार्यपालक समिति ऐसे कार्यों में हाथ में लेने के लिए, जो कार्यपालक समिति द्वारा समिति या समितियों को सौंपे जाएं या प्रत्यायोजित किए जाएं, के लिए समिति या उप समितियों का गठन कर सकेगी ।

(2) उपनियम (1) के अधीन गठित समिति या उप समिति इन नियमों के अधीन कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के निर्वहन करने के लिए तथा ऐसी शक्तियों और कृत्यों का पालन करने के लिए, जैसा कार्यपालक समिति द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, स्वयं की प्रक्रिया बनाएगी ।

12. कार्यपालक समिति द्वारा परियोजनाओं का कार्यान्वयन—(1) कार्यपालक समिति स्वयं या राज्य सरकार या किसी अन्य निकाय, जिसके अंतर्गत प्राइवेट सेक्टर निकाय हैं, से परियोजना प्रस्ताव की प्राप्ति पर न्यास के उद्देश्यों से संगत परियोजनाओं का कार्यान्वियन कर सकेगी।

(2) कार्यपालक समिति उपनियम (1) में निर्दिष्ट परियोजनाओं के कार्यान्वियन के लिए अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों से सुसंगत स्वयं की प्रक्रिया की विरचना कर सकेगी।

तद्धीन

13. परियोजनाओं की मॉनिटरी.– (1) न्यास परियोजनाओं के कार्यान्वियन की मॉनिटरी स्वयं या किसी सरकारी सत्ता के माध्यम से करेगा, जिसके अंतर्गत भारतीय खान ब्यूरो है।

(2) उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए न्यास अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत अपनी प्रक्रिया बनाएगा।

14. शासकीय निकाय की बैठकें. – (1) शासकीय निकाय एक वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करेगा।

(2) शासकीय निकाय की बैठकों की अध्यक्षता शासकीय निकाय के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में शासकीय निकाय के पदेन सदस्यों में से किसी स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन कर सकेंगे।

(3) सभी विनिश्चय और संकल्प जिनके अंतर्गत शासकीय निकाय के परिपत्र संकल्प है, आम सहमति द्वारा किए या अंगीकार किए जाएंगे।

(4) किसी असहमति या विसम्मति की दशा में, अध्यक्ष, शासकीय निकाय का विनिर्णय अंतिम होगा।

15. कार्यपालक समिति की बैठकें – (1) कार्यपालक समिति प्रत्येक तीन मास की अवधि में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

(2) कार्यपालक समिति की बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष, कार्यपालक समिति द्वारा की जाएगी। अध्यक्ष, कार्यपालक समिति की अनुपस्थिति में कार्यपालक समिति के पदेन सदस्य, सदस्यों में से स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे।

(3) कार्यपालक समिति की बैठकें भौतिक या वास्तविक या परिचालन द्वारा या दोनों से मिलकर होगी :

परंतु परिचालन द्वारा बैठक न्यास के लेखों के अंगीकरण, न्यास की वार्षिक योजना, वार्षिक बजट और वार्षिक रिपोर्ट के अनुमोदन हेतु शासकीय निकाय की सिफारिश को लागू नहीं होगी।

(4) सभी विनिश्चय और संकल्प जिनके अंतर्गत कार्यपालक समिति के परिपत्र संकल्प हैं, कार्यपालक समिति के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किए जाएंगे या अंगीकार किए जाएंगे।

(5) मतों की बराबरी की दशा में, अध्यक्ष, कार्यपालक समिति या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का निर्णायक मत होगा:

परंतु कोई सदस्य, कार्यपालक समिति या उसकी किन्हीं समितियों या उप-समितियों की बैठक में विचार-विमर्श हेतु किसी विषय पर चर्चा में मतदान नहीं करेगा या भाग नहीं लेगा, यदि मामला ऐसा है जिसमें ऐसे सदस्य का कोई प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या धनीय हित है।

16. शासकीय निकाय और कार्यपालक समिति की बैठक के लिए नोटस और कार्यसूची. – (1) शासकीय निकाय का अध्यक्ष या संयोजक, अध्यक्ष, शासकीय निकाय की सहमति से शासकीय निकाय की बैठक का यह आयोजन सभी सदस्यों को न्यूनतम 15 दिन का नोटिस देते हुए करेगा :

परंतु अध्यक्ष, शासकीय निकाय इससे लघुत्तर नोटिस-अवधि के साथ बैठक को आयोजित करने हेतु प्राधिकृत कर सकेगा।

(2) कार्यपालक समिति का अध्यक्ष या सदस्य-सचिव, अध्यक्ष की सहमति से कार्यपालक समिति की बैठक का यह आयोजन सभी सदस्यों को न्यूनतम 7 दिन का नोटिस देते हुए करेगा :

परंतु कार्यपालक समिति का अध्यक्ष इससे लघुत्तर नोटिस-अवधि के साथ बैठक को आयोजित करने हेतु प्राधिकृत कर सकेगा।

(3) किसी बैठक के लिए नोटिस के अंतर्गत उस बैठक की कार्यसूची, पूर्वत्तर बैठक का प्रारूप कार्यवृत्त और पूर्वत्तर बैठक के कार्यवृत्त पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट हो सकेगी।

17. बैठक की गणपूर्ति. – (1) शासकीय निकाय की किसी बैठक की गणपूर्ति, विशेष निमंत्रितों को अपवर्जित करते हुए, छह से होगी।

(2) कार्यपालक समिति की किसी बैठक, जिसके अंतर्गत कोई वास्तविक बैठक है, नामनिर्देशित सदस्यों को अपवर्जित करते हुए, की गणपूर्ति सात से होगी ।

18. कार्यपालक समिति के सदस्य-सचिव की शक्तियों, कर्तव्यों और उत्तरदायित्व – (1) कार्यपालक समिति के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए कार्यपालक समिति का एक सदस्य-सचिव होगा ।

(2) कार्यपालक समिति का सदस्य सचिव, -

(क) कार्यपालक समिति के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन के अध्यधीन न्यास का प्रशासन और प्रबंध करेगा ।

(ख) ऐसी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो कार्यपालक समिति द्वारा प्रत्यायोजित की जाए या जो अध्यक्ष, कार्यपालक समिति द्वारा समनुदेशित की जा सकेगी ।

(3) उप नियम (2) और (3) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कार्यपालक समिति के सदस्य-सचिव के निम्नलिखित कर्तव्य और उत्तरदायित्व होंगे, अर्थात् :-

(क) वार्षिक योजना और संबंधित वार्षिक बजट तैयार करवाना और उनको कार्यपालक समिति को शासकीय निकाय के विचार और सिफारिश हेतु प्रस्तुत करना;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि न्यास द्वारा अपने जिम्मे लिए जाने वाले प्रस्तावों और परियोजनाओं पर विचार करने से पूर्व कार्यपालक समिति की प्रथाओं, प्रक्रियाओं, नियमों या निदेशों के अनुसार सम्यक तत्परता का प्रयोग किया गया है;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि न्यास के कार्यकलाप वार्षिक योजना और संबंधित वार्षिक बजट के अनुसार संचालित किए जा रहे हैं; और

(घ) शासकीय निकाय को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अनुमोदित वार्षिक योजना और संबंधित वार्षिक बजट केंद्रीय सरकार को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के जनवरी के अंत तक प्रस्तुत करना ।

19. वार्षिक योजना - कार्यपालक समिति का सदस्य सचिव प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में सुसंगत वित्तीय वर्ष में न्यास द्वारा अपने जिम्मे लिए जाने हेतु प्रस्तावित अल्पावधि परियोजनाओं और दीर्घावधि परियोजनाओं के लिए योजना, जिसे वार्षिक योजना के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा, ऐसे समय के दौरान, परियोजनाओं को पूरा करने का अनुमानित समय और ऐसी परियोजनाओं हेतु लागत न्यास द्वारा अपने जिम्मे लिए जाने वाले या पूरे किए जाने वाले कार्यकलापों के ब्यौरे सहित तैयार करवाएगा ।

(2) वार्षिक योजना में न्यास द्वारा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने जिम्मे लिए जाने हेतु प्रस्तावित सभी परियोजनाएं, कार्यक्रम, कार्यकलाप अंतर्विष्ट होंगे और सुस्पष्टत: निर्धारित लक्ष्य होंगे ।

20. वार्षिक बजट – कार्यपालक समिति का सदस्य सचिव प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में उस विशेष वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक योजना के अंतर्गत कार्यकलापों पर प्रस्तावित आय और व्यय के ब्यौरों से अंतर्विष्ट वार्षिक बजट तैयार करवाएगा, जिसके अंतर्गत इस संबंध में निधिकरण अपेक्षाओं के ब्यौरों सहित न्यास द्वारा उपगत किए जाने हेतु प्रस्ताव विधिक, प्रशासनिक और अन्य खर्चे हैं, किसी वार्षिक बजट के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा ।

21.वार्षिक योजना और वार्षिक बजट का अनुमोदन – (1) वार्षिक योजना और वार्षिक बजट शासकीय निकाय के समक्ष उनके अनुमोदन के लिए रखे जाएंगे ।

(2) कार्यपालक समिति का सदस्य-सचिव शासकीय निकाय के संयोजक से सम्यक रुप से अनुमोदित वार्षिक योजना और संबंधित वार्षिक बजट की प्रतियां प्राप्त करने पर उनको शासकीय निकाय के अनुमोदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

(3) उप नियम (2) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना न्यास, अध्यक्ष, शासकीय निकाय के विनिर्दिष्ट अनुमोदन के अध्यधीन, ऐसे कार्यकलापों हेतु व्यय का जिम्मा ले सकेगा जो वार्षिक योजना में अनुमोदित नहीं किए गए हैं, जिनको शासकीय निकाय के समक्ष अगले वार्षिक बजट सहित रखा जाएगा ।

(4) वार्षिक योजना और संबंधित वार्षिक बजट, अध्यक्ष, शासकीय निकाय के अनुमोदन के अध्यधीन किसी भी समय संशोधित किए जा सकेंगे, जो अगले वर्ष की वार्षिक योजना या बजट सहित शासकीय निकाय के समक्ष रखे जाएंगे ।

22. वार्षिक रिपोर्ट – (1) कार्यपालक समिति का सदस्य-सचिव प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत से 90 दिन के भीतर ऐसी सूचना जो कार्यपालक समिति द्वारा समुचित समझी जाए से अंतर्विष्ट एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(2) वार्षिक रिपोर्ट कार्यपालक समिति द्वारा अनुमोदित की जाएगी और उसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यास द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान पूरे किए गए कार्यकलापों के ब्यौरे और ऐसे वित्तीय वर्ष के दौरान न्यास द्वारा उपगत व्यय अंतर्विष्ट होंगे ।

(3) वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति उसके कार्यपालक समिति द्वारा अनुमोदन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार को भेजी जाएगी ।

23. वित्तीय वर्ष – (1) न्यास का लेखांकन या वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा ।

(2) न्यास की संक्रियाओं का प्रथम वर्ष आंशिक वर्ष हो सकता है ।

24. लेखों का अनुरक्षण और संपरीक्षा –(1) न्यास के लेखे ऐसे प्ररूप, पद्धति और रीति में अनुरक्षित की जाएगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित की जाए ।

(2) न्यास निधि के लेखे ऐसे रीति में संपरीक्षित किए जाएंगे जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित की जाए ।

(3) न्यास, उपनियम (2) में निर्दिष्ट संपरीक्षा के पश्चात् वार्षिक रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

[फा. सं. 11/8/2015-एम.आई]

आर.श्रीधरन, अपर सचिव

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2015

G.S.R.632 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (2), (3) and (4) of section 9C and section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the National Mineral Exploration Trust Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "**Act**" means the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957);

(b) "**Chairperson, Executive Committee**" means the Chairperson of the Executive Committee of the National Mineral Exploration Trust established under sub-section (1) of section 9C of the Act;

(c) "**Chairperson, Governing Body**" means the Chairperson of the Governing Body of the National Mineral Exploration Trust established under sub-section (1) of section 9C of the Act;

(d) "**Executive Committee**" means the Executive Committee of the Trust;

(e) "**Fund**" means the fund referred to in rule 6;

(f) "**Governing Body**" means the Governing Body of the Trust;

(g) "**Member, Executive Committee**" means the member of the Executive Committee of the Trust;

(h) "**Member, Governing Body**" means the member of the Governing Body of the Trust;

(i) "**obvious geological potential areas**" means the area identified by the Geological Survey of India from time to time; and

(j) "**Trust**" means the National Mineral Exploration Trust established by the Central Government under sub-section (1) of section 9C of the Act.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meanings as assigned to them in the Act.

3. The Functions of the Governing Body and the Executive Committee.- (1) The Governing Body shall lay down the broad policy framework for the functioning of the Trust and review its working.

(2) The Governing Body shall approve the annual plan and annual budget of the Trust upon the recommendations of the Executive Committee and it shall meet at least once in a year.

(3) The Executive Committee shall manage, administer and supervise the Trust and shall also monitor and review the expenditure of the Trust fund at regular intervals.

(4) The Executive Committee shall, while discharging its functions, follow the policy framework and the directions of the Governing Body from time to time.

(5) The Chairperson of the Executive Committee may vary the term of office of any nominated member or remove him from the Executive Committee before the completion of his term.

4. **Membership of Governing Body.-** (1) The members of the Governing Body shall be *ex officio* members.

(2) Special invitees, if any, of the Governing Body shall be entitled to such sitting fee, conveyance and out of pocket expenditure as the Governing Body may decide.

5. **Membership of Executive Committee.-** (1) The ex officio members only shall have voting rights.

(2) Members, other than ex-officio members including special invitees shall have no voting rights but shall be entitled to such sitting fee, conveyance and out of pocket expenditure as the Governing Body may decide.

6. **Constitution of a fund under the Trust.-** (1) The Central Government shall, by order, set up a fund under the Trust to be called as the "National Mineral Exploration Trust Fund" to be managed by the Executive Committee of the Trust.

(2) The Trust Fund shall receive monies to be paid in accordance with the provisions of rule 8 and may also receive contributions from such other sources as may be approved by the Central Government.

7. **Contribution to Trust Fund.-** (1) The Trust shall have power to open and operate bank accounts in its own name at any Scheduled Bank as specified in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934).

(2) The Trust shall communicate the particulars of its bank account to the State Government for the purposes of payments required to be made under sub-section (4) of section 9C of the Act.

(3) The holders of mining lease and prospecting licence-cum-mining lease shall make payments for contribution to the Trust Fund of amount payable under sub-section (4) of section 9C of the Act to the State Government simultaneously with payments of the royalty.

(4) The State Government shall deposit the amount collected from such payments into the bank account of the Trust.

(5) The deposit referred to in sub-rule (4) by the State Government into the designated bank account of the Trust, shall be made as soon as possible, but in any case not later than tenth day of the succeeding month in respect of the amount collected in any particular month.

(6) The responsibility of collection and depositing the amount so collected in the Trust Fund and maintaining necessary accounts to be shared with the Central Government shall be that of the State Government.

(7) The State Government shall provide information regarding amounts paid pursuant to sub-section (4) of section 9C of the Act and royalty payments to the Indian Bureau of Mines on a monthly basis.

(8) The Indian Bureau of Mines shall maintain an updated record of the monies transferred to the bank account of the Trust along with a database of royalty payments and provide such information to the Trust on a periodic basis.

8. **Office and bank account.-** (1) The office of the Trust shall be situated at Ministry of Mines, Shastri Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, Central Secretariat, New Delhi 110001 or at such other place as may be determined by the Executive Committee.

(2) The bank accounts of Trust shall be opened and operated through the Member Secretary or any other Member of the Executive Committee or any officer of the Central Government, as may be authorised by the Executive Committee.

9. **Objects and Functions of the Trust.-** (1) The Trust shall carry out regional and detailed exploration for minerals and it shall undertake such activities as may be deemed necessary by the Governing Body to achieve its objects including**,-**

(a) funding special studies and projects designed to identify, explore, extract, beneficiate and refine deep-seated or concealed mineral deposits;

(b) undertaking studies for mineral development, sustainable mining adoption of advanced scientific and

technological practices and mineral extraction metallurgy;

(c) taking up exploration of areas for regional and detailed exploration, giving priority particularly to strategic and critical minerals;

(d) consulting Central Geological Programming Board to decide the priorities for exploration of the Trust;

(e) facilitating exploration activities in such a manner that areas explored can be taken up for grant of mineral concessions in accordance with the provisions of the Act and the rules made thereunder;

(f) facilitating completion of brownfield regional exploration projects in obvious geological potential areas (G3) including conducting high-risk exploration for deep-seated mineral deposits through modern technologies;

(g) promoting completion of detailed exploration (G2 or G1) across India in the areas where G3 stage exploration has been completed;

(h) facilitating geophysical, ground and aerial, survey and geochemical survey of obvious geological potential areas and rest of India;

(i) facilitating a national core repository for encouraging research in earth sciences and for evaluation of the mineral prospects;

(j) organizing capacity building programmes to raise technical capability of personnel engaged in or to be engaged in exploration; and

(k) using the Trust Fund for such other purposes that the Governing Body may decide, or authorise the Executive Committee, to be necessary or expedient in the interest of conservation, development and exploitation of mineral resources of India, not inconsistent with the provisions of the Act.

(2) In furtherance of the objectives referred to in sub-rule (1), the Governing Body may employ or hire personnel, own and dispose off property, including intellectual property, incur administrative expenses and execute documents as may be necessary.

10. Management of the Trust.- (1) The overall control**,** periodical reviews and policy directions the Trust shall vest with the Governing Body.

(2) The Executive Committee shall manage, administer and supervise the day to day activities of the Trust.

(3) The Governing Body may authorise the Executive Committee to exercise any or all of its powers as mentioned in sub-rule (1).

(4)The Executive Committee shall formulate and finalise the scheme for delegation of financial powers.

11. Committees.- (1) The Executive Committee may constitute committees or sub-committees to undertake such tasks that may be assigned or delegated by the Executive Committee to such committees or sub-committees.

(2) The committee or sub-committee constituted under sub-rule (1) shall devise its own procedure in the discharge of the duties and responsibilities under these rules and in exercise of such powers and functions as may be specified by the Executive Committee.

12. Implementation of projects by the Executive Committee.- (1) The Executive Committee may implement the projects consistent with the objectives of the Trust on its own accord or upon receipt of a project proposal from a State Government or any other entity, including private sector entities.

(2) In implementation of the projects referred to in sub-rule (1), the Executive Committee may devise its own procedure consistent with the Act and the rules made thereunder.

13. Monitoring of projects.- (1) The Trust shall monitor implementation of the projects either by itself or by engaging any government entity, including the Indian Bureau of Mines.

(2) For the purposes of sub-rule (1), the Trust may devise its own procedure consistent with the Act and the rules made thereunder.

14. Meetings of the Governing Body.- (1) The Governing Body shall meet at least once in a year.

(2) The meetings of the Governing Body shall be presided by the Chairperson, Governing Body and in the absence of the Chairperson, Governing Body, the ex-officio Members of the Governing Body may elect an officiating Chairperson, from among themselves.

(3) All decisions or resolutions including circular resolutions of the Governing Body shall be made or adopted by consensus.

(4) In case of any disagreement or dissent, the ruling of the Chairperson, Governing Body shall be final.

15. Meetings of the Executive Committee.- (1) The Executive Committee shall meet at least once in every three months.

(2) The meetings of the Executive Committee shall be presided by the Chairperson, Executive Committee and in the absence of the Chairperson, Executive Commitee, the ex-officio Members of the Executive Committee may elect an officiating Chairperson, from among themselves.

(3) The meetings of the Executive Committee may be either physical or virtual or by circulation or by combination of both:

Provided that the meeting by circulation shall not apply for adoption of accounts of the Trust, recommendation to Governing Body for approval of annual plan, annual budget and annual report of the Trust.

(4) All decisions or resolutions including circular resolutions of the Executive Committee shall be made or adopted by a majority of votes of the members of the Executive Committee present and voting.

(5) In case of equality of votes, the Chairperson, Executive Committee, or in his absence, the member presiding over such meeting as the Chairperson shall have a casting vote:

Provided that no member shall vote or take part in the discussion of any matter coming up for consideration at a meeting of the Executive Committee or any of its committees or sub-committees, if the matter is one in which such member has any direct, indirect or pecuniary interest.

16. **Notice and agenda for meeting of the Governing Body and Executive Committee.-** (1) The Chairperson or the Convenor of the Governing Body with the consent of the Chairperson, Governing Body, shall convene the meeting of the Governing Body by giving a minimum fifteen days' notice to all the members:

Provided that the Chairperson, Governing Body may authorise to convene a meeting with a shorter notice period.

(2) The Chairperson or the Member Secretary of the Executive Committee, with the consent of the Chairperson shall convene the meeting of the Executive Committee by giving a minimum seven days' notice to all the Members:

Provided that the Chairperson of the Executive Committee may authorise to convene a meeting with a shorter notice period.

(3) Notice for any meeting may include an agenda for that meeting, draft minutes of the earlier meeting and action taken report on the minutes of the earlier meeting.

17. **Quorum for meeting.-** (1) The quorum for any meeting of the Governing Body shall be six, excluding the special invitees.

(2) The quorum for any meeting of the Executive Committee, including a virtual meeting, shall be seven, excluding the nominated members.

18. **Powers, Duties and Responsibilities of the Member Secretary of the Executive Committee.-** (1) There shall be a Member Secretary of the Executive Committee to discharge the functions of the Executive Committee.

(2) The Member Secretary of the Executive Committee shall,-

(a) administer and manage the Trust subject to the superintendence, control and direction of the Executive Committee.

(b) exercise such administrative and financial powers as may be delegated by the Executive Committee or as may be assigned by the Chairperson, Executive Committee.

(3) The Member Secretary of the Executive Committee shall have the following duties and responsibilities, without prejudice to the generality of sub-rule (2) and (3), namely:-

(a) to cause the preparation of the annual plan and related annual budget and submit them to the Executive Committee for consideration and recommendation to the Governing Body;

(b) to ensure that due diligence has been exercised before considering proposals or projects to be undertaken by the Trust in accordance with the practices, procedure, rules or directions of the Executive Committee;

(c) to ensure that the activities of the Trust are being conducted in accordance with the annual plan and related annual budget; and

(d) to submit to the Governing Body the approved annual plan and related annual budget for each financial year to the Central Government, by the end of January of previous financial year.

19. **Annual Plan.-** (1) The Member Secretary of the Executive Committee shall, at the beginning of each financial year, cause preparation of plans for short term projects and long term projects proposed to be undertaken by the

Trust in the relevant financial year, to be referred as the **annual Plan**, together with details of the activities to be undertaken or completed by the Trust during such time, the expected time for completion of the projects and cost for such projects.

(2) The annual plan shall contain all projects, programmes, activities proposed to be undertaken by the Trust for achieving its objective and shall have clearly demarcated milestones.

20. Annual Budget.- The Member Secretary of the Executive Committee shall, at the beginning of each financial year, cause preparation of an annual budget containing the details of the proposed income and expenditure on activities covered in the annual plan for that particular financial year, including the legal, administrative and other costs and expenditure proposed to be incurred by the Trust together with details of the funding requirements in this regard, to be referred as the **annual budget**.

21. Approval of the Annual Plan and the Annual Budget.- (1) The annual plan and the annual budget shall be laid before the Governing Body for its approval.

(2) The Member Secretary of the Executive Committee shall, on receipt of the copies of the duly approved annual plan and the related annual budget from the Convener of the Governing Body, submit the same to the Central Government within a period of thirty days from the date of receipt of approval of the Governing Body.

(3) Without prejudice to the provisions of sub-rule (2), the Trust may undertake expenditures for activities that are not approved in the annual plan subject to specific approval by the Chairperson, Governing Body, which shall be laid before the Governing Body with the next annual budget.

(4) The annual plan and related annual budget may be amended at any time subject to the approval of the Chairperson, Governing Body, which shall be laid before the Governing Body with the next year annual plan or budget.

22. Annual Report.- (1) The Member Secretary of the Executive Committee shall, within ninety days of the end of each financial year, submit an annual report containing such information as deemed appropriate by the Executive Committee.

(2) The annual report shall be approved by the Executive Committee and shall contain details, *inter alia*, of the activities completed by the Trust during the financial year and the expenditure incurred by the Trust during such financial year.

(3) A copy of the annual report shall be sent to the Central Government within a period of thirty days from the date of its approval by the Executive Committee.

23. Financial year.- (1) The accounting or financial year of the Trust shall be from the 1^{st} of April to the 31^{st} of March.

(2) The first year of operations of the Trust may be a partial year.

24. Maintenance and Audit of Accounts.- (1) The accounts of the Trust shall be maintained in the form, mode and manner as may be decided by the Central Government.

(2) The accounts of the Trust Fund shall be audited in such manner as may be decided by the Central Government.

(3) After the audit referred to in sub-rule (2), the Trust shall submit the annual report to the Central Government.

[F.No.11/8/2015-M.I]

R.SRIDHARAN, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

अनुबंध - 3

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 120] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 7, 2018/फाल्गुन 16, 1939
No. 120] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 7, 2018/PHALGUNA 16, 1939

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2018

सा.का.नि. 208 (अ).—केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 9ग की उप-धारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास नियम, 2015 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास नियम, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 6 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) यह निधि भारत के लोक लेखा के अधीन खोली जाएगी जो गैर-व्यपगत तथा ब्याज रहित लेखा होगा तथा यह केंद्रीय सरकार द्वारा प्रशासित होगी";

(3) इस निधि में अधिनियम की धारा 9ग की उपधारा (4) के अधीन खनन पट्टे अथवा पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र-सह-खनन पट्टे के धारकों द्वारा देय दो प्रतिशत के बराबर स्वामित्व का भुगतान समाविष्ट होगा।

(4) इस निधि का उपयोग स्कीम अर्थात 'निधि के अधीन क्षेत्रीय और विस्तृत खोज और संबंधित क्रियाकलापों' के अंतर्गत खनिजों के लिए क्षेत्रीय और विस्तृत खोज करने के साथ नियम 9 में यथा विनिर्दिष्ट उद्देश्यों और कार्यों के लिए किया जाएगा।"

3. उक्त नियमों के नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

1320 GI/2018

"7. निधि में अंशदान- (1) खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टाधारक, राज्य सरकार को स्वामित्व का भुगतान करते समय ट्रस्ट को अधिनियम की धारा 9ग की उपधारा (4) के अधीन स्वामित्व के दो प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय करेगा जिसे वह इस प्रयोजन के लिए निर्धारित शीर्ष के अधीन राज्य के लोक लेखा में जमा करेगा।

(2) राज्य सरकारें उपनियम (1) के अधीन लोक लेखा में इस प्रकार संग्रहीत रकम को भारत की संचित निधि में अंतरित करेंगी।

(3) केंद्रीय सरकार द्वारा, भारत की संचित निधि में की अभिवृद्धियों को, वित्तीय वर्ष में संसद् द्वारा, विधि के द्वारा, सम्यक विनियोग के पश्चात आवधिक रूप से निधि में अंतरित किया जाएगा।

(4) उप नियम (1) में निर्दिष्ट रकम संग्रहीत करने तथा भारत की संचित निधि में अंतरित करने तथा इसके लिए आवश्यक लेखा-जोखा रखने का दायित्व राज्य सरकार का होगा तथा वह ऐसी प्राप्तियों को, यथाशीघ्र और किसी भी दशा में किसी विशिष्ट मास में संग्रहीत धनराशि को, अगले मास के दसवें दिन के अपश्चात, भारत की संचित निधि को अंतरित करेगी।

(5) राज्य सरकार, उप नियम (1) के अधीन संग्रहीत रकम तथा उपनियम (2) के अधीन भारत की संचित निधि में अंतरित की गई रकम के बारे में भारतीय खान ब्यूरो को मासिक आधार पर सूचना प्रदान करेगी।

(6) भारतीय खान ब्यूरो, भारत की संचित निधि में अंतरित रकम का अद्यतन रिकॉर्ड के साथ-साथ रॉयल्टी भुगतानों का एक डाटाबेस रखेगा और न्यास को आवधिक आधार पर ऐसी की सूचना उपलब्ध कराएगा।"।

4. उक्त नियमों में नियम 8 में, उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) इस अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र, न्यास का बैंक खाता बंद कर दिया जाएगा और इसके बंद होने तक न्यास के बैंक खातों का सदस्य-सचिव या कार्यकारी समिति के किसी अन्य सदस्य या केंद्रीय सरकार के किसी अन्य अधिकारी के माध्यम से, जिसे कि कार्यकारी समिति द्वारा प्राधिकृत किया जाए, संचालन जारी रहेगा।"

5. उक्त नियमों के नियम 19 के उप-नियम (1) में 'प्रारंभ में' शब्दों के स्थान पर 'प्रारंभ से पूर्व' शब्द रखे जाएंगे।

6. उक्त नियम के नियम 20 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात :-

"20. वार्षिक बजट.-(1) कार्यकारी समिति का सदस्य सचिव, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पूर्व, उस विशिष्ट वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक योजना के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलापों पर प्रस्तावित आय और व्यय का ब्यौरा अंतर्विष्ट करते हुए वार्षिक बजट तैयार करवाएगा, जिसमें इस संबंध में निधीयन की अपेक्षाओं के ब्यौरों के साथ न्यास द्वारा उपगत किए जाने वाले प्रस्तावित विधिक, प्रशासनिक और अन्य लागतें और व्यय सम्मिलित होंगे जिसे वार्षिक बजट के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) वार्षिक बजट में निधि के अधीन व्यय करने के लिए समुचित शीर्ष के अंतर्गत केंद्रीय सरकार की अनुदान मांगों के लिए भी उपबंध किया जाएगा और इसकी समतुल्य राशि निधि से पूरी की जाएगी।

(3) निधि का सम्यक विनियोग तथा सक्षम अधिकारी की मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात, इस निधि के अधीन व्यय सुसंगत उपप्रमुख शीर्षों अथवा गौण शीर्षों से उपगत किया जाएगा तथा केंद्रीय सरकार के द्वारा जारी स्वीकृति के आधार पर केंद्रीय सरकार का वेतन और लेखा कार्यालय, सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के अनुसार भुगतान करेगा।"।

7. उक्त नियमों के नियम 21 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"21. वार्षिक योजना और वार्षिक बजट का अनुमोदन- (1) वार्षिक योजना और वार्षिक बजट को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से तीस दिन पूर्व अनुमोदन हेतु शासी निकाय के समक्ष रखा जाएगा।

(2) शासी निकाय के अनुमोदन के पश्चात् वार्षिक योजना या वार्षिक बजट में कोई संशोधन कार्यकारी समिति के अनुमोदन से किया जा सकेगा और शासी निकाय को अगली बैठक में इसकी सूचना दी जाएगी"।

8. उक्त नियमों के नियम 24 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"24. लेखाओं का रखा जाना और संपरीक्षा- (1) केंद्रीय सरकार का वेतन और लेखा कार्यालय, निधि में की अभिवृद्धियों और इससे होने वाले भुगतानों की ब्राडशीट रखेगा और संबंधित प्रभागों के साथ मासिक आधार पर उसका मिलान करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि निधि के अधीन किसी भी समय में कोई प्रतिकूल शेष न हो।

(2) न्यास निधि का लेखा, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अधीन होगा तथा केंद्रीय सरकार के मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय के आंतरिक लेखा परीक्षा द्वारा भी उसकी लेखा परीक्षा की जाएगी"।

[फा. सं. 11/8/2015-खान-I]

निरंजन कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास नियम, 2015, *अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 632* (अ), तारीख *14 अगस्त, 2015* द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2018.

G.S.R. 208(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (2), (3) and (4) of section 9C of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules to amend the National Mineral Exploration Trust Rules, 2015, namely:–

1. (1) These rules may be called the National Mineral Exploration Trust (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Mineral Exploration Trust Rules, 2015 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 6, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:–

"(2) The Fund shall be opened under the Public Account of India which shall be a non-lapsable and non-interest bearing account and shall be administered by the Central Government.

(3) The Fund shall comprise of payment of two percent equivalent of royalty payable by the holders of the mining lease or prospective licence-cum-mining lease under sub-section (4) of the section 9C of the Act.

(4) The Fund shall be utilized for carrying out the objects and functions as specified in rule 9, including carrying out regional and detailed exploration for minerals under the scheme, namely, 'Regional and detailed exploration and related activities under Fund'.

3. In the said rules, for rule 7, the following rules shall be substituted, namely:–

"7. Contribution to Fund.– (1) The holder of mining lease or prospecting license-cum-mining lease shall, while making payment of royalty to the State Government, pay to the Trust a sum equivalent to two percent of the royalty under sub-section (4) of section 9C of the Act by depositing the same in the Public Account of the State under the Head booked for this purpose.

(2) The State Governments shall transfer the amount so collected in the Public Account of the State under sub-rule (1) to the Consolidated Fund of India.

(3) The accretions in the Consolidated Fund of India shall be periodically transferred to the Fund by the Central Government, after due appropriation made by Parliament by law, in the financial year.

(4) The responsibility of collecting and transferring the amount referred in sub-rule (1) to Consolidated Fund of India and maintaining necessary accounts in this behalf shall be that of the State Government and it shall transfer such receipts to the Consolidated Fund of India as early as possible and in any case, not later than the tenth day of the succeeding month in respect of the amount collected in any particular month.

(5) The State Government shall provide information regarding the amount collected under sub-rule (1) and the amount transferred to Consolidated Fund of India under sub-rule (2) to the Indian Bureau of Mines on a monthly basis.

(6) The Indian Bureau of Mines shall maintain an updated record of the amount transferred to the Consolidated Fund of India along with a database of royalty payments and provide such information to the Trust on a periodic basis.".

4. In the said rules, in rule 8, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:–

"(2) The bank account of the Trust shall be closed as soon as possible after the publication of this notification and till such closure, the bank account of the Trust shall continue to be operated through the Member-Secretary or any other Member of the Executive Committee or any other officer of the Central Government as may be authorized by the Executive Committee.".

5. In the said rules, in rule 19, in sub-rule (1), for the words "at the beginning", the words "before the beginning" shall be substituted.

6. In the said rules, for rule 20, the following rule shall be substituted, namely:–

"20. Annual Budget.- (1) The Member Secretary of the Executive Committee shall, before the beginning of each financial year, cause preparation of an annual budget containing the details of the proposed income and expenditure on activities covered in the annual plan for that particular financial year, including the legal, administrative and other costs and expenditure proposed to be incurred by the Trust together with details of funding requirements in this regard, to be referred as the Annual Budget.

(2) Annual Budget provision shall also be made in the Demands for Grants of Central Government under appropriate Head for incurring expenditure under Fund and equivalent amount thereof shall be met from the Fund.

(3) After due appropriation of fund and receipt of sanction of the Competent Authority, the expenditure under the Fund shall be incurred from the relevant sub-major or minor heads and on the basis of the sanction issued by the Central Government, the Pay and Accounts Office of the Central Government shall make the payment as per the General Financial Rules, 2017.".

7. In the said rules, for rule 21, the following rule shall be substituted, namely:–

"21. Approval of the Annual Plan and the Annual Budget.– (1) The annual plan and the annual budget shall be laid before the Governing Body for its approval thirty days before the beginning of each financial year.

(2) Any amendment in the annual plan or the annual budget subsequent to the approval of the Governing Body may be done with the approval of the Executive Committee and informed to the Governing Body in its next meeting.".

8. In the said rules, for rule 24, the following rule shall be substituted, namely:–

"24. Maintenance and Audit of Accounts.– (1) The Pay and Accounts Office in the Central Government shall maintain a broadsheet of accretions to and payment from the Fund and effect reconciliation on monthly basis thereof with the concerned divisions and shall ensure that there are no adverse balances in the Fund at any point of time.

(2) The account of the Trust shall be subject to the audit by the Comptroller and Auditor General of India and also to audit by internal audit wing of the office of the Chief Controller of Accounts, in the Central Government.".

[F. No. 11/8/2015-M.I]

NIRANJAN KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note : The National Mineral Exploration Trust Rules, 2015 were published in the Gazette of India, Extraordinary, part II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 632 (E), dated the 14th August, 2015.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.03.07

खान मंत्रालय
भारत सरकार

अनुबंध - 4

केवल ईमेल के माध्यम से

भारत सरकार
खान मंत्रालय
राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास

फा.सं. 42/1/2017-एनएमईटी/176 | नई दिल्ली, 16 दिसंबर, 2021

सेवा में,

सूची अनुसार

विषय: खनिज गवेषण के लिए राज्य सरकार/ अधिसूचित गवेषण एजेंसियों (एनईए) को निधियां जारी करने के संबंध में।

महोदया/महोदय,

एनएमईटी खनिज गवेषण परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार/अधिसूचित गवेषण एजेंसियों (एनईए) को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्तमान में, राज्यों/एनईए को वित्तीय सहायता अनुदान सहायता (सामान्य) के रूप में खनिज गवेषण परियोजनाओं पर उनके द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के आधार पर प्रदान की जाती है।

2. राज्य सरकारों ने एनएमईटी अनुमोदित परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु परियोजनाओं के अनुमोदन के साथ-साथ निधियां जारी करने का अनुरोध किया है।

3. उपरोक्त अनुरोध पर विचार करते हुए, खान मंत्रालय ने राज्य सरकारों, केंद्रीय पीएसई और राज्य पीएसई के डीएमजी/डीजीएम को निम्नलिखित तरीके से निधियां जारी करने का निर्णय लिया है:

(i) परियोजना के स्वीकृति आदेश के साथ पहली किस्त - अनुमोदित परियोजना लागत का 40%।

(ii) पहली किस्त के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) और प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद दूसरी किस्त - अनुमोदित परियोजना लागत का 40%।

(iii) उपयोगिता प्रमाणपत्र, प्रगति रिपोर्ट और एनएमईटी की तकनीकी सह लागत समिति द्वारा समीक्षा प्रस्तुत करने के बाद तीसरी और अंतिम किस्त - अनुमोदित परियोजना लागत का 20%।

खान मंत्रालय
भारत सरकार

4. निधियां जारी करना निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

(i) निधि का उपयोग केवल उसी स्वीकृत परियोजना के लिए किया जाएगा जिसके लिए इसे जारी किया गया है।

(ii) जारी की गई निधियों का उपयोग न होने की स्थिति में, इन्हें एनएमईटी को वापस कर दिया जाएगा या एनएमईटी इसे राज्य सरकार/सीपीएसई/राज्य पीएसई की अन्य परियोजनाओं के लिए समायोजित कर सकता है।

(iii) निधियों पर अर्जित ब्याज का उपयोग उसी परियोजना के गवेषण कार्यकलापों के लिए किया जाएगा और एनएमईटी द्वारा जारी निधियों के रूप में माना जाएगा।

(iv) उसी परियोजना को किसी अन्य स्रोत से वित्तपोषित नहीं किया जाना चाहिए।

(v) उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) जीएफआर 2017 के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा।

(vi) राज्य सरकार/ सीपीएसई/राज्य पीएसई अंतिम किस्त जारी होने के 6 माह के भीतर अंतिम उपयोगिता प्रमाणपत्र और पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

5. चूंकि निधियां पीएफएमएस के माध्यम से जारी की जाएंगी, संबंधित राज्य सरकार/एनईए (डीजीएम/डीएमजी/सीपीएसई/एसपीएसई आदि), जो एक एजेंसी के रूप में पीएफएमएस पर पंजीकृत नहीं हैं, से अनुरोध है कि वे एनएमईटी के तहत एक एजेंसी के रूप में पंजीकरण के लिए **अनुबंध-1** के अनुसार विवरण प्रदान करें। कृपया अपेक्षित विवरण nmet-mines@gov.in पर ईमेल के माध्यम से अग्रेषित किया जाए।

कृपया सूचनार्थ प्रस्तुत है।

(अमित सरन)
निदेशक एवं विभागाध्यक्ष, एनएमईटी
खान मंत्रालय

सेवा में,

1. सचिव (खान), आंध्र प्रदेश सरकार।

2. सचिव (भू–विज्ञान एवं खनन),अरुणाचल प्रदेश सरकार।

3. प्रधान सचिव, खान एवं खनिज विभाग, असम सरकार।

4. प्रधान सचिव –सह-खान आयुक्त, बिहार सरकार।

5. सचिव, खनिज संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार।

6. प्रधान सचिव, खान एवं भूविज्ञान विभाग, गोवा सरकार।

7. अपर मुख्य सचिव (उद्योग), हिमाचल प्रदेश सरकार।

8. प्रधान सचिव (उद्योग एवं खान), गुजरात सरकार।

9. आयुक्त सचिव (उद्योग एवं वाणिज्य), जम्मू एवं कश्मीर सरकार।.

10. सचिव (उद्योग, खान एवं भूविज्ञान) झारखण्ड सरकार।

11. सचिव (उद्योग एवं वाणिज्य) कर्नाटक सरकार।

12. प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, केरल सरकार।

13. सचिव (खान), मध्य प्रदेश सरकार।

14. अपर मुख्य सचिव (उद्योग एवं खान), महाराष्ट्र सरकार।

15. आयुक्त एवं सचिव, खनन एवं भूविज्ञान विभाग, मेघालय सरकार।

16. आयुक्त एवं सचिव, भूविज्ञान एवं खनन, नागालैंड सरकार।

17. प्रधान सचिव (इस्पात एवं खान), ओडिशा सरकार।

18. प्रधान सचिव, खान एवं भूविज्ञान, पंजाब सरकार।

19. प्रधान सचिव (खान), राजस्थान सरकार।

20. प्रधान सचिव (उद्योग), तमिलनाडु सरकार।

21. प्रधान सचिव (उद्योग एवं खान), तेलंगाना सरकार।

22. सचिव (खान एवं भूविज्ञान), उत्तर प्रदेश सरकार।

23. प्रधान सचिव (खान), उत्तराखंड सरकार।

24. सचिव (उद्योग, वाणिज्य एवं उद्यम), पश्चिम बंगाल सरकार।

25. सचिव, उद्योग विभाग, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख प्रशासन।

26. प्रधान सचिव, खान एवं भूविज्ञान विभाग, सिक्किम सरकार।

27. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एमईसीएल, नागपुर

28. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, केआईओसीएल, बेंगलुरु

29. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ओएमईसीएल, भुवनेश्वर

30. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएमडीसी, हैदराबाद

31. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सीएमपीडीआई, रांची

32. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, टीएसएमडीसी, हैदराबाद

33. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एमपीएसएमसी, भोपाल

34. सीईओ, मेरिट, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. सचिव के पीएसओ/एएस (एसएल) के पीएस/जेएस (यूजे) के पीएस/जेएस एवं एफए के पीएस, खान मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001.

राज्य सरकार/अधिसूचित गवेषण एजेंसी द्वारा निम्नलिखित विवरण प्रदान किया जाए

क्र.सं.	विवरण	
1	पंजीकरण का प्रकार	राज्य सरकार संस्थान/ सीपीएसई/एसपीएसई आदि।
2	पैन नंबर	
3	पंजीकरण की तिथि (दिन/माह/वर्ष), यदि लागू हो	
4	अधिनियम/पंजीकरण संख्या (यदि उपलब्ध हो)	
5	पंजीकरण की तिथि (दिन/माह/वर्ष), यदि लागू हो	
6	पंजीकरण प्राधिकारी, यदि लागू हो	
7	पंजीकरण का राज्य	
8	टिन नंबर	
9	टैन नंबर	
10	पैन सत्यापन स्थिति	
11	जीएसटी नंबर	
12	ब्लॉक संख्या/भवन/गांव/परिसर का नाम	
13	सड़क/गली/डाकघर	
14	क्षेत्र/इलाका	
15	शहर	
16	राज्य	
17	जिला	
18	पिन कोड	
19	संपर्क व्यक्ति	
20	पदनाम	
21	दूरभाष सं.	
22	मोबाइल नं.	
23	ईमेल	
24	बैंक खाता संख्या	
25	बैंक खाते के अनुसार नाम	
26	आईएफएससी कोड	
27	शाखा एवं बैंक विवरण	

दिनांक:

हस्ताक्षर:
नाम:
पदनाम:

अनुबंध - 5

केवल ईमेल के माध्यम से

भारत सरकार
खान मंत्रालय
राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास

फा. सं. 4/4/2021-एनएमईटी/ 179 **नई दिल्ली, 29 दिसंबर, 2021**

सेवा में,

सूची के अनुसार,

विषय: खनिज ब्लॉक की नीलामी के संबंध में राज्य सरकार को प्रोत्साहन राशि के संबंध में।

महोदय/महोदया,

"खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए राज्य सरकार को लेनदेन सलाहकार शुल्क की प्रतिपूर्ति" के संबंध में इस कार्यालय के दिनांक 24 अगस्त, 2021 के पत्र क्रमांक एफ. सं. 6/4/2015-एनएमईटी/101 का संदर्भ लें।

2. उपर्युक्त पत्र के संशोधन में माननीय खान मंत्री एवं एनएमईटी के शासी निकाय के अध्यक्ष ने निम्नलिखित को मंजूरी दी है:

(i) वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रत्येक राज्य (जहां खनिज ब्लॉक नीलामी के लिए उपलब्ध हैं) को 20 लाख रुपये की राशि जारी की जाएगी।

(ii) राज्य सरकार द्वारा खनिज ब्लॉक की प्रत्येक सफल नीलामी के लिए रु20 लाख की प्रोत्साहन राशि।

(iii) लेनदेन सलाहकार को भुगतान की गई राशि का 50%, प्रत्येक ब्लॉक के लिए अधिकतम रु5 लाख के अधीन, जिसे नीलामी के लिए रखा गया था लेकिन सफलतापूर्वक नीलाम नहीं किया जा सका।

(iv) 01.04.2021 से उन खनिज ब्लॉकों को प्रतिपूर्ति/प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिनकी नीलामी की गई या नीलामी के लिए रखा गया, लेकिन जिनकी नीलामी नहीं की जा सकी।

3. इस प्रोत्साहन राशि का उपयोग राज्य सरकारों द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है:

i. लेनदेन सलाहकार शुल्क की प्रतिपूर्ति,

ii. एनएमईटी के लिए डीपीआर/परियोजना प्रस्तावों की तैयारी,

iii. खनन विभागों की अवसंरचना को सशक्त करना,

iv. उपकरणों की खरीद- गवेषण संबंधी मशीनरी, प्रयोगशाला उन्नयन, विशेष सॉफ्टवेयर आदि।

v. राज्य में खनिज विकास के लिए अध्ययन करना,

vi. क्षमता निर्माण- गवेषण गतिविधियों में लगे कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।

vii. खनिज क्षेत्र के आर्थिक परिदृश्य और बाजार विश्लेषण से संबंधित अध्ययन

viii. भारत में एवं विदेश में एक्सपोज़र विजिट आदि।

4. राज्य सरकार नीलाम किए गए/नीलामी के लिए रखे गए लेकिन पिछली तिमाही के दौरान नीलाम नहीं किए जा सके ब्लॉकों के लिए प्रत्येक तिमाही में प्रोत्साहन/प्रतिपूर्ति राशि जारी करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।

5. यह धनराशि राज्यों के डीएमजी/डीजीएम द्वारा विनिर्दिष्ट बैंक खाते में जारी की जाएगी। राज्य सरकारों द्वारा बैंक खाते का विवरण प्रदान करना अपेक्षित है।

यह आपके सूचनार्थ प्रस्तुत है।

(अमित सरन)

निदेशक एवं विभागाध्यक्ष, एनएमईटी

सेवा में,

1. सचिव (खान), आंध्र प्रदेश सरकार।
2. सचिव (भू–विज्ञान एवं खनिज),अरुणाचल प्रदेश सरकार।
3. प्रधान सचिव, खान एवं खनिज विभाग, असम सरकार।
4. प्रधान सचिव –सह- खान आयुक्त, बिहार सरकार।
5. सचिव, खनिज संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार।
6. प्रधान सचिव, खान एवं भूविज्ञान विभाग, गोवा सरकार।
7. अपर मुख्य सचिव (उद्योग), हिमाचल प्रदेश सरकार।
8. प्रधान सचिव (उद्योग एवं खान), गुजरात सरकार।
9. आयुक्त सचिव (उद्योग एवं वाणिज्य), जम्मू एवं कश्मीर सरकार।.
10. सचिव, (उद्योग, खान एवं भूविज्ञान) झारखंड सरकार।
11. सचिव, (उद्योग एवं वाणिज्य) कर्नाटक सरकार।
12. प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, केरल सरकार।
13. सचिव (खान), मध्य प्रदेश सरकार।
14. अपर मुख्य सचिव (उद्योग एवं खान), महाराष्ट्र सरकार।
15. आयुक्त एवं सचिव, खनन एवं भूविज्ञान विभाग, मेघालय सरकार।
16. आयुक्त एवं सचिव, भूविज्ञान एवं खनन, नागालैंड सरकार।
17. प्रधान सचिव (इस्पात एवं खान), ओडिशा सरकार।
18. प्रधान सचिव, खान एवं भूविज्ञान, पंजाब सरकार।
19. प्रधान सचिव (खान), राजस्थान सरकार।
20. प्रधान सचिव (उद्योग), तमिलनाडु सरकार।
21. प्रधान सचिव (उद्योग एवं खान), तेलंगाना सरकार।
22. सचिव (खान एवं भूविज्ञान), उत्तर प्रदेश सरकार।
23. प्रधान सचिव (खान), उत्तराखंड सरकार।
24. सचिव (उद्योग, वाणिज्य एवं उद्यम), पश्चिम बंगाल सरकार।
25. सचिव, उद्योग विभाग, संघ राज्य क्षेत्र, लद्दाख प्रशासन।
26. प्रधान सचिव, खान एवं भूविज्ञान विभाग, सिक्किम सरकार।

सूचनार्थ:

1. सचिव के प्रधान स्टाफ अधिकारी/अपर सचिव(एसएल) के निजी सचिव/ संयुक्त सचिव(यूजे) के निजी सचिव /संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के निजी सचिव, खान मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001।

अनुबंध - 6

फा. सं. 6/9/2015-एनएमईटी/ 71
भारत सरकार
खान मंत्रालय
राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास

नई दिल्ली, 8 जून, 2022

सेवा में,

सूची के अनुसार

विषय: गवेषण गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से मशीनरी/प्रयोगशाला उपकरण/यंत्र आदि की खरीद के लिए वित्तीय सहायता के संबंध में।

खनिज गवेषण कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए मशीनरी/उपकरण/यंत्र और अन्य नवीनतम तकनीकी उन्नयन/हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर आदि की उपलब्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है और देश में खनिज गवेषण की गति को बढ़ाने के लिए राज्य डीजीएम की क्षमता निर्माण के लिए आवश्यक है।

2. गवेषण गतिविधियों में वृद्धि लाने लिए राज्य डीजीएम की क्षमता निर्माण के उद्देश्य से भवन निर्माण, स्टाफ कार, लैपटॉप, कंप्यूटर को छोड़कर राज्य डीजीएम की तकनीकी अवसंरचना अर्थात मशीनरी/प्रयोगशाला उपकरण/उपकरण/हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर और अन्य आवश्यक अवसंरचना की खरीद को सुदृढ़ करने के लिए तकनीकी-सह-लागत समिति (टीसीसी) द्वारा मूल्यांकन और कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करने के पश्चात एनएमईटी निधि उपलब्ध कराने के प्रस्तावों पर विचार करेगा।

3. इस संबंध में संबंधित डीजीएम द्वारा एनएमईटी को विशिष्ट प्रस्ताव की सॉफ्ट और हार्ड प्रति इस पत्र के जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर निम्नलिखित को प्रस्तुत किए जाए:

निदेशक,
राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (एनएमईटी),
खान मंत्रालय,
एफ-114, प्रथम तल,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110001
ईमेल आईडी: nmet-mines@gov.in

(मनीष खर)
निदेशक, एनएमईटी

सेवा में,

1. सचिव (खान), आंध्र प्रदेश सरकार।
2. सचिव (भू–विज्ञान एवं खनिज),अरुणाचल प्रदेश सरकार।
3. प्रधान सचिव, खान एवं खनिज विभाग, असम सरकार।
4. प्रधान सचिव –सह- खान आयुक्त, बिहार सरकार।

5. सचिव, खनिज संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार।
6. प्रधान सचिव, खान एवं खनिज विभाग, गोवा सरकार।
7. अपर मुख्य सचिव (उद्योग), हिमाचल प्रदेश सरकार।
8. प्रधान सचिव (उद्योग एवं खान), गुजरात सरकार।
9. आयुक्त सचिव (उद्योग एवं वाणिज्य), जम्मू एवं कश्मीर सरकार।.
10. सचिव, (उद्योग,खान एवं भूविज्ञान) झारखंड सरकार।
11. सचिव, (उद्योग एवं वाणिज्य) कर्नाटक सरकार।
12. प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, केरल सरकार।
13. सचिव (खान), मध्य प्रदेश सरकार।
14. अपर मुख्य सचिव (उद्योग एवं खान), महाराष्ट्र सरकार।
15. आयुक्त एवं सचिव, खनन एवं भूविज्ञान विभाग, मेघालय सरकार।
16. आयुक्त एवं सचिव, भूविज्ञान एवं खनन, नागालैंड सरकार।
17. प्रधान सचिव (इस्पात एवं खान), ओडिशा सरकार।
18. प्रधान सचिव, खान एवं भूविज्ञान, पंजाब सरकार।
19. प्रधान सचिव (खान), राजस्थान सरकार।
20. प्रधान सचिव (उद्योग), तमिलनाडु सरकार।
21. प्रधान सचिव (उद्योग एवं खान), तेलंगाना सरकार।
22. सचिव (खान एवं भूविज्ञान), उत्तर प्रदेश सरकार।
23. प्रधान सचिव (खान), उत्तराखंड सरकार।
24. सचिव (उद्योग, वाणिज्य एवं उद्यम), पश्चिम बंगाल सरकार।
25. सचिव, उद्योग विभाग, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख प्रशासन।
26. प्रधान सचिव, खान एवं भूविज्ञान विभाग, सिक्किम सरकार।
27. सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, त्रिपुरा सरकार।
28. सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग, मिजोरम सरकार।
29. सचिव, वस्त्र, वाणिज्य एवं उद्योग, मणिपुर सरकार।
30. प्रधान सचिव, खान एवं भूविज्ञान विभाग, हरियाणा सरकार।

प्रतिलिपि:

1. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार।
2. निदेशक, भूविज्ञान एवं खनन विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, असम सरकार।
4. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार
5. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, छत्तीसगढ़ सरकार
6. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान, गोवा सरकार।
7. भूविज्ञान और खनन आयुक्त, गुजरात सरकार।
8. निदेशक, उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार।
9. निदेशक, भूविज्ञान और खनन विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार।
10. निदेशक (खान), भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, झारखंड सरकार।
11. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, कर्नाटक सरकार।
12. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, केरल सरकार।
13. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, मध्य प्रदेश सरकार।
14. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, महाराष्ट्र सरकार।
15. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, मेघालय सरकार।
16. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, नागालैंड सरकार।
17. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, ओडिशा सरकार।
18. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, पंजाब सरकार।
19. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, राजस्थान सरकार।
20. भूविज्ञान एवं खनन आयुक्त, तमिलनाडु सरकार।
21. खान एवं भूविज्ञान निदेशक, तेलंगाना सरकार।
22. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार।
23. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखंड सरकार।
24. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, पश्चिम बंगाल सरकार।
25. निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य निदेशालय, लद्दाख सरकार।
26. निदेशक, खान, खनिज एवं भूविज्ञान विभाग, सिक्किम सरकार।
27. निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, त्रिपुरा सरकार
28. निदेशक, भूविज्ञान एवं खनिज संसाधन निदेशालय, मिजोरम सरकार।

29. निदेशक, व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मणिपुर सरकार
30. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, हरियाणा सरकार।

सूचनार्थ:

1. सचिव के पीएसओ, खान मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
2. अपर सचिव के पीपीएस, खान मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110 001

खान मंत्रालय
भारत सरकार

अनुबंध - 7

भारत सरकार/Government of India
खान मंत्रालय/Ministry of Mines
राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास/National Mineral Exploration Trust

F. No. 6/3/2015-NMET/295 नई दिल्ली New Delhi, 23rd March, 2022

कार्यालय ज्ञापन /OFFICE MEMORANDUM

विषय: समग्र लाइसेंस धारकों जिन्हें नीलामी के माध्यम से विशिष्ट खनिजों के अन्वेषण के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है, को गवेषण व्यय की आंशिक प्रतिपूर्ति योजना - संबंधी

एनएमईपी, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में, गभीरस्थ खनिजों, महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों पर ध्यान देने के साथ खनिज गवेषण के सभी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने एवं प्रोत्साहित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशिष्ट खनिजों के गवेषण के लिए नीलामी के माध्यम से प्रदत्त समग्र लाइसेंस धारकों के लिए राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास द्वारा गवेषण खर्च की आंशिक प्रतिपूर्ति के लिए एक योजना अनुमोदित की गई है। उद्देश्य, पात्रता मानदंड, प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, गवेषण व्यय की प्रतिपूर्ति के मापदंड आदि सहित योजना का विवरण अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।

2. अनुरोध है कि यह योजना संबंधित राज्य सरकार के डीजीएम/डीएमजी के माध्यम से एनएमईटी को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नीलामी के माध्यम से प्रदत्त समग्र लाइसेंस धारकों के बीच परिचालित किया जाए।

संलग्नक:यथोपरि।

08/06/2022
(मनीष खर)
निदेशक, एनएमईटी

सेवा में

1. सचिव (खान), आन्ध्र प्रदेश सरकार
2. सचिव (भूविज्ञान व खनन), अरुणाचल प्रदेश सरकार
3. प्रधान सचिव, खान व खनिज विभाग, असम सरकार
4. प्रधान सचिव-सह-खान आयुक्त, बिहार सरकार
5. सचिव, खनिज संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार
6. प्रधान सचिव, खान व भूविज्ञान विभाग, गोवा सरकार
7. अपर मुख्य सचिव (उद्योग), हिमाचल प्रदेश सरकार
8. प्रधान सचिव (उद्योग व खान), गुजरात सरकार
9. आयुक्त सचिव (उद्योग व वाणिज्य), जम्मू और कश्मीर सरकार
10. सचिव (उद्योग, खान वभूविज्ञान), झारखंड सरकार
11. सचिव (उद्योग व वाणिज्य), कर्नाटक सरकार
12. प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, केरल सरकार
13. सचिव (खान), मध्य प्रदेश सरकार
14. अपर मुख्य सचिव (उद्योग व खान), महाराष्ट्र सरकार

15. आयुक्त एवं सचिव, खनन और भूविज्ञान विभाग, मेघालय सरकार
16. आयुक्त और सचिव, भूविज्ञान और खनन, नागालैंड सरकार
17. प्रधान सचिव (इस्पात व खान), ओडिशा सरकार
18. प्रधान सचिव, खान व भूविज्ञान, पंजाब सरकार
19. प्रधान सचिव (खान), राजस्थान सरकार
20. प्रधान सचिव (उद्योग), तमिलनाडु सरकार
21. प्रधान सचिव (उद्योग व खान), तेलंगाना सरकार
22. सचिव (खान व भूविज्ञान), उत्तर प्रदेश सरकार
23. प्रधान सचिव (खान), उत्तराखंड सरकार
24. सचिव (उद्योग, वाणिज्य व उद्यम), पश्चिम बंगाल सरकार
25. सचिव, उद्योग विभाग, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख प्रशासन
26. प्रधान सचिव, खान व भूविज्ञान विभाग, सिक्किम सरकार

प्रति

1. निदेशक, खान व भूविज्ञान विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार
2. निदेशक, भूविज्ञान व खनन निदेशालय, असम सरकार
3. निदेशक, खान व भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार
4. निदेशक, भूविज्ञान व खनन निदेशालय, छत्तीसगढ़ सरकार
5. निदेशक, खान व भूविज्ञान, गोवा सरकार
6. आयुक्त, भूविज्ञान व खनन, गुजरात सरकार
7. निदेशक, उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार
8. निदेशक, भूविज्ञान व खनन विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार
9. निदेशक (खान), खान निदेशालय, झारखंड सरकार।
10. निदेशक, खान व भूविज्ञान विभाग, कर्नाटक सरकार
11. निदेशक, खनन व भूविज्ञान निदेशालय, केरल सरकार
12. निदेशक, भूविज्ञान और खनन निदेशालय, मध्य प्रदेश सरकार
13. निदेशक, भूविज्ञान व खनन निदेशालय, महाराष्ट्र सरकार
14. निदेशक, खनिज संसाधन निदेशालय, मेघालय सरकार
15. निदेशक, खान निदेशालय, ओडिशा सरकार
16. निदेशक, खान और भूविज्ञान निदेशालय, राजस्थान सरकार
17. आयुक्त, भूविज्ञान व खनन, तमिलनाडु सरकार
18. निदेशक, खान व भूविज्ञान, तेलंगाना सरकार
19. निदेशक, भूविज्ञान व खनन निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार
20. निदेशक, भूविज्ञान व खनन इकाई, उत्तराखंड सरकार
21. निदेशक, खान एवं खनिज निदेशालय, पश्चिम बंगाल सरकार

सूचनार्थ प्रति:

1. सचिव के पीएसओ, खान मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
2. अपर सचिव के पीपीएस, खान मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

विशिष्ट खनिजों के गवेषण के लिए नीलामी के माध्यम से प्रदत्त समग्र लाइसेंस धारकों के लिए गवेषण व्यय की आंशिक प्रतिपूर्ति योजना

1. पृष्ठभूमि:

राष्ट्रीय खनिज गवेषण नीति (एनएमईपी), 2016 खनिज गवेषण में निजी क्षेत्र की भागीदारी की परिकल्पना करता है और देश के विशाल खनिज संसाधनों की खोज एवं उनका दोहन करने हेतु निजी क्षेत्र की तकनीकी विशेषज्ञता, तकनीकी क्षमता और वित्तीय संसाधनों का उपयोग करने के लिए खनिज गवेषण के सभी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने एवं प्रोत्साहित करने की भी परिकल्पना करता है। यह गवेषण एजेंसियों को गवेषण कार्यों के जोखिम को कम करने के लिए प्रोत्साहित करने की भी परिकल्पना करता है।

गवेषण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए एनएमईपी, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में खान मंत्रालय ने गभीरस्थ खनिजों पर ध्यान देते हुए, खनिज गवेषण के सभी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने एवं प्रोत्साहित करने के उपाय सुझाने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया।

समिति की संस्तुतियों के आधार पर विशिष्ट खनिजों की गवेषण के लिए नीलामी के माध्यम से प्रदत्त समग्र लाइसेंस धारकों के लिए गवेषण व्यय की आंशिक प्रतिपूर्ति की एक योजना तैयार की गई है।

2. उद्देश्य:

योजना का उद्देश्य विशिष्ट खनिजों के गवेषण के लिए नीलामी के माध्यम से प्रदत्त समग्र लाइसेंस धारकों के लिए गवेषण व्यय की आंशिक प्रतिपूर्ति प्रदान करना है।

3. पात्रता मापदंड:

i. नीलामी के माध्यम से दिए गए समग्र लाइसेंस धारक

ii. केवल विशिष्ट खनिजों के गवेषण के लिए अर्थात
   a. कॉपर, टेल्यूरियम, सेलेनियम
   b. सीसा
   c. जिंक, कैडमियम, इंडियम
   d. सोना, चांदी
   e. हीरा
   f. रॉक फॉस्फेट
   g. एपेटाइट
   h. पोटैश
   i. महत्वपूर्ण और सामरिक खनिज (लिथियम, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, रेनियम, टंगस्टन, ग्रेफाइट, वैनेडियम, निकल, टिन, प्लैटिनम तत्वों का समूह, कोलंबाइट, टैंटलाइट, लेपिडोलाइट, शीलाइट, कैसटेराइट)
   j. दुर्लभ मृदा समूह के तत्व

4. शर्तें:

i. यह योजना उन समग्र लाइसेंस धारकों के लिए वैकल्पिक है, जिन्हें योजना की अधिसूचना की तिथि के बाद नीलामी के माध्यम से प्रदान किया गया। यह योजना अपनी अधिसूचना की तिथि से 3 वर्ष तक लागू रहेगी।

ii. इस योजना के अंतर्गत किसी प्रस्ताव की स्वीकृति / अस्वीकृति या योजना के अंतर्गत प्रतिपूर्ति के संबंध में किसी विवाद का, रियायत की नीलामी के समय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समग्र लाइसेंस की शर्तों और नियमों के अनुसार समग्र लाइसेंस धारकों के दायित्व के निर्वहन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

iii. यदि गवेषण के परिणामस्वरूप खनन पट्टा पर हस्ताक्षर हो जाते हैं और खनिजों का उत्पादन होता है, तो ऐसे खनन पट्टा धारक को खनिजों के उत्पादन और निर्गमन के प्रारंभ होने के दो वर्षों के भीतर एनएमईटी द्वारा जारी की गई राशि वापस करनी होगी।

5. प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया:

i. नीलामी के माध्यम से दिए गए समग्र लाइसेंस धारकों को संबंधित राज्य सरकार के डीजीएम/डीएमजी के माध्यम से एनएमईटी को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। प्रस्ताव में (1) सामान्य जानकारी (अनुलग्नक-1 में) और (ii) परियोजना प्रस्ताव (अनुलग्नक-II में) के साथ (iii) समग्र लाइसेंस की एक प्रति शामिल होगी।

6. मूल्यांकन, अनुमोदन और प्रतिपूर्ति:

i. समग्र लाइसेंस के पात्र धारकों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन एनएमईटी की तकनीकी सह लागत (टीसीसी) समिति द्वारा तकनीकी और लागत मापदंडों पर किया जाएगा।

ii. टीसीसी की सिफारिश के आधार पर, कार्यकारी समिति (ईसी) एनएमईटी के माध्यम से आंशिक प्रतिपूर्ति के प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगी और अनुमोदन प्रदान करेगी।

iii. ईसी के अनुमोदन के बाद, समग्र लाइसेंस धारक द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार गवेषण व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए एनएमईटी द्वारा आवश्यक स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा (अनुलग्नक-1)।

7. गवेषण व्यय की प्रतिपूर्ति के मानदंड:

i. समग्र लाइसेंस धारकों द्वारा भूवैज्ञानिक मानचित्रण, नमूनाकरण और भू-रासायनिक विश्लेषण के लिए किए गए गवेषण व्यय की प्रतिपूर्ति 0.5 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के साथ एनएमईटी के एसओसी के अनुसार प्रत्यक्ष लागत के 50% तक की जाएगी।

ii. समग्र लाइसेंस धारकों द्वारा भूभौतिकीय जांच के लिए किए गए गवेषण व्यय की प्रतिपूर्ति एनएमईटी के एसओसी के अनुसार प्रत्यक्ष लागत के 50% तक की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा ₹1.0 करोड़ होगी।

iii. समग्र लाइसेंस धारकों द्वारा गवेषणात्मक ड्रिलिंग के लिए किए गए गवेषण व्यय की प्रतिपूर्ति एनएमईटी के एसओसी के अनुसार प्रत्यक्ष लागत के 50% तक की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा ₹2.5 करोड़ तक होगी।

iv. गवेषण के भाग के रूप में किसी अन्य गतिविधि के लिए किए गए व्यय को प्रतिपूर्ति के लिए नहीं माना जाएगा। हालाँकि, यह समग्र लाइसेंस धारकों की जिम्मेदारी होगी कि वे गवेषण गतिविधियों को उद्योग के सर्वश्रेष्ठ मानकों के अनुसार पूरा करें।

8. अन्य शर्तें:

i. एनएमईटी स्वयं/केन्द्र सरकार के अधिकारियों/एनएमईटी/खान मंत्रालय द्वारा नियुक्त/निर्धारित किसी अन्य संस्था द्वारा परियोजना कार्य की प्रगति की निगरानी करेगा।

ii. गवेषण लागत की प्रतिपूर्ति पर केवल समग्र लाइसेंस के पूर्वेक्षण चरण के लिए विचार किया जाएगा।

iii. समग्र लाइसेंस धारक को अन्वेषण गतिविधियों के लिए अन्वेषण व्यय एक निश्चित बैंक खाते के माध्यम से करना होगा तथा विधिवत लेखापरीक्षित बही खाता का रख-रखाव करना होगा।

iv. समग्र लाइसेंस धारक को भूवैज्ञानिक रिपोर्ट के साथ विस्तृत गवेषण अभियान के भूवैज्ञानिक और भूभौतिकीय डेटा/परिणाम संबंधित राज्य के भूविज्ञान और खान निदेशालय, राष्ट्रीय खनिज सूची (एनएमआई) के लिए भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के साथ साझा करना होगा ताकि भविष्य में संदर्भ के लिए एनजीडीआर में अपलोड किया जा सके या एनएमईटी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किसी अन्य तंत्र के माध्यम से इसे साझा किया जा सके।

v. गवेषणात्मक ड्रिलिंग गतिविधियों से प्राप्त कोर को समग्र लाइसेंस धारक द्वारा भविष्य के संदर्भ के लिए संबंधित राज्य के डीएमजी/डीजीएम को सौंपा जाएगा।

vi. प्रतिपूर्ति अधिकतम चार किस्तों में की जाएगी। प्रत्येक किस्त में प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि व्यय के 50% से अधिक नहीं होगी।

vii. प्रतिपूर्ति का निपटान केवल समग्र लाइसेंस धारक द्वारा प्रस्तुत निश्चित बैंक खाते में बैंक हस्तांतरण के माध्यम से किया जाएगा (अनुलग्नक-1)।

खान मंत्रालय/एनएमईटी के पास समय-समय पर आवश्यकतानुसार योजना में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है।

खान मंत्रालय
भारत सरकार

नीलामी के माध्यम से प्रदान किए गए समग्र लाइसेंस धारकों के लिए गवेषण व्यय की आंशिक प्रतिपूर्ति के लिए अपेक्षित विवरण

क्र.सं	विवरण	
1.	समग्र लाइसेंस धारक का नाम	
2.	दावेदार की कानूनी स्थिति (पावर ऑफ अटॉर्नी/ शपथ पत्र/ पंजीकृत विलेख)	
	i. डाक पता:	
	ii. टेलीफोन नंबर (कार्यालय)	
	iii. फैक्स नंबर (कार्यालय):	
	iv. मोबाइल नंबर	
	v. टेलीफोन नंबर (निवास)	
	vi. ई-मेल	
3.	आईटीआर विवरण (गवेषण की अवधि के लिए)	
4.	पीएफएमएस के लिए अपेक्षित विवरण	
	पंजीकरण का प्रकार	संस्थान/ सीपीएसई/ एसपीएसई/ निजी आदि।
	पैन नंबर	
	एजेंसी का नाम	
	अधिनियम/पंजीकरण संख्या (यदि उपलब्ध हो)	
	पंजीकरण की तिथि (यदि उपलब्ध हो)	
	पंजीकरण प्राधिकारी (यदि उपलब्ध हो)	
	पंजीकरण की स्थिति	
	टीआईएन नंबर	
	टैन नंबर	
	जीएसटी नंबर	
	ब्लॉक संख्या/भवन/गांव/परिसर का नाम/सड़क/ स्ट्रीट/ डाकघर	
	क्षेत्र/इलाका/शहर	
	जिला/राज्य	
	पिन कोड	
	संपर्क व्यक्ति	
	पद नाम	
	मोबाइल	
	ईमेल	
	बैंक खाता संख्या	
	बैंक खाते के अनुसार नाम	
	आईएफएससी कोड	
	शाखा एवं बैंक विवरण	
	आईटीआर विवरण (गवेषण की अवधि के लिए)	
5.	समग्र लाइसेंस का विवरण	
	i. ब्लॉक का नाम/ परियोजना	
	ii. ब्लॉक क्षेत्र (वर्ग किमी)	
	iii. सर्वे ऑफ इंडिया टोपोशीट नंबर अक्षांश और देशांतर के साथ	
	iv. गाँव	
	v. तालुका	
	vi. जिला	
	vii. राज्य	
	खनिज वस्तु	

तिथि :

हस्ताक्षर:
नाम:
पदनाम:

एनएमईटी के अंतर्गत .... ब्लॉक, ... जिला, ... राज्य के टोही सर्वेक्षण (जी4) के लिए प्रस्ताव।

(बेसमेटल/ लौह/ अलौह/ औद्योगिक/ सामरिक और महत्वपूर्ण / कीमती धातु आदि)

द्वारा

.... एजेंसी

स्थान :
दिनांक :

खान मंत्रालय
भारत सरकार

टोही सर्वेक्षण के लिए ब्लॉक का सारांश (जी4 चरण)
ब्लॉक के बारे में सामान्य जानकारी

	विशेषताएँ	**विवरण**
	ब्लॉक आईडी	
	अन्वेषण एजेंसी	
	वस्तु	
	खनिज बेल्ट	
	परियोजना को पूरा करने के लिए संपूर्ण समय सारिणी के साथ पूरा करने की अवधि	
	उद्देश्य	
	क्या कार्य प्रस्तावित एजेंसी द्वारा या आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराया जायेगा तथा उसका विवरण। आउटसोर्स किए जाने वाले घटक और	
	आउटसोर्स एजेंसी का नाम	
	भू-वैज्ञानिकों का नाम/ संख्या	
	अपेक्षित क्षेत्र दिवस (भूविज्ञान) भूवैज्ञानिक दल दिवस	
1.	**स्थान**	
	अक्षांश	
	देशान्तर	
	गांव	
	तहसील/तालुक	
	ज़िला	
	राज्य	
2.	**क्षेत्रफल (हेक्टेयर /वर्ग किलोमीटर)**	
	ब्लॉक क्षेत्र	
	वन क्षेत्र	
	सरकारी भूमि क्षेत्र	
	निजी भूमि क्षेत्र	
3.	**अभिगम्यता**	
	निकटतम रेल हेड	
	सड़क	
	एयरपोर्ट	
4.	**हाइड्रोग्राफी**	
	स्थानीय सतह जल निकासी पैटर्न (चैनल)	
	नदियाँ/धाराएँ	
5.	**जलवायु**	
	औसत वार्षिक वर्षा	
	तापमान (दिसंबर) (न्यूनतम) तापमान (जून) (अधिकतम)	
6.	**स्थलाकृति**	
	टोपोशीट संख्या	
	क्षेत्र की आकृति विज्ञान	
7.	**आधारभूत भूविज्ञान डेटा की उपलब्धता**	
	भूवैज्ञानिक मानचित्र (1:50K/25K)	उपलब्ध/ अनुपलब्ध

	भू-रासायनिक मानचित्र	उपलब्ध/ अनुपलब्ध
	भूभौतिकीय मानचित्र (वायुचुंबकीय, भूभौतिकीय, क्षेत्रीय के साथ-साथ स्थानीय पैमाने के जीपी मानचित्र)	उपलब्ध/ अनुपलब्ध
8.	**टोही सर्वेक्षण/क्षेत्रीय गवेषण शुरू करने का औचित्य**	विवरण सतह/उपसतह (गड्ढे/पुराने कार्य) भूवैज्ञानिक, भू-रासायनिक भूभौतिकीय डेटा के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सक्रिय खदान क्षेत्र के पास प्रस्तावित गवेषण के मामले में, उपयुक्त स्थान पर सतह के नमूने एकत्र करके इसका पर्याप्त औचित्य दिया जाना चाहिए जो विश्लेषणात्मक डेटा के साथ वर्तमान गवेषण कार्य के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में खनिजकरण का प्रतिनिधित्व करते हों।

प्रस्ताव में दिए जाने वाले निम्नलिखित शीर्षकों पर विस्तृत विवरण

1. **ब्लॉक सारांश**
   प्राकृतिक भूगोल
   पृष्ठभूमि भूविज्ञान (क्षेत्रीय भूविज्ञान, ब्लॉक का भूविज्ञान)।
   भूविज्ञान, भूभौतिकी, भू-रसायन विज्ञान आदि पर आधारित खनिज क्षमता।
   प्रस्तावित अन्वेषण का दायरा.
   पिछले कार्य के प्रेक्षण एवं सिफ़ारिशें।

2. **पिछले कार्य**
   निकटवर्ती क्षेत्र (क्षेत्रीय क्षेत्र) में पिछला गवेषण; सभी नमूने (बेड रॉक/ ट्रेंच/ ग्रोव/ मिट्टी), बोरहोल स्थल को भूवैज्ञानिक मानचित्र पर अंकित किया जाना चाहिए और विश्लेषणात्मक डेटा पर संक्षेप में चर्चा की जानी चाहिए। प्रस्तावित ब्लॉक क्षेत्र में पिछला गवेषण: सभी नमूना नमूने (बेड रॉक/ ट्रेंच/ ग्रोव/ मिट्टी) बोरहोल स्थल को भूवैज्ञानिक मानचित्र पर अंकित किया जाना चाहिए और विश्लेषणात्मक डेटा पर संक्षेप में चर्चा की जानी चाहिए

3. **ब्लॉक विवरण**

ब्लॉक कॉर्नर पॉइंट कार्डिनल पॉइंट	अक्षांश	देशान्तर
ए		
बी		
सी		
डी		
ई आदि		

4. **नियोजित पद्धति**

5. **मात्रा और लक्ष्य की प्रकृति**

   जी3 चरण के प्रस्ताव के लिए जी4 चरण जीआर और जी2 प्रस्ताव के लिए जी3 चरण जीआर प्रस्तुत किया जाना होगा, पिछले चरण के गवेषण का संक्षिप्त विवरण

   प्रस्तावित कार्य की प्रकृति एवं मात्रा

घटक	जी4 चरण
हवाई टोही सर्वेक्षण	रिमोट सेंसिंग, हवाई भूभौतिकीय सर्वेक्षण आदि
भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण	i) 1.25K/12.5K ii) लिथोलॉजी, संरचना, सतही खनिजकरण का आकलन और खनन के पुराने इतिहास का विश्लेषण, यदि कोई हो।
भू-रसायनिक सर्वेक्षण	i) क्षेत्रीय ग्रैब/चिप/स्ट्रीम सेडिमेंट/मृदा नमूनाकरण ii) व्यापक भू-आकृति विज्ञान, जल निकासी आदि की रिकॉर्डिंग।
पिटिंग/ ट्रेंचिंग	खनिजयुक्त क्षेत्र को उजागर करने के लिए पांच से दस। संपूर्ण खनिजयुक्त निकाय को कवर करने के लिए, स्ट्राइक एक्सटेंशन को चित्रित करने और स्काउट बोरहोल की योजना बनाने के लिए पिटिंग और ट्रेंचिंग के स्थान की विवेकपूर्ण योजना बनाई जानी चाहिए। नमूना लंबाई विनिर्दिष्ट की जानी चाहिए।
स्काउट ड्रिलिंग/ व्यवस्थित ड्रिलिंग	सतह के नमूने/पिटिंग ट्रेंचिंग द्वारा चित्रित सकारात्मक प्रोफाइल के साथ यदि आवश्यक हो तो कुछ बोरहोल

ग्रैब और चिप सैम्पलिंग	बेड रॉक से कुछ नमूने (प्रत्यक्ष जानकारी के लिए क्षेत्र में सभी उजागर चट्टानों से कुछ प्रतिनिधि नमूने और उन चट्टानों से अधिक नमूने जो खनिजयुक्त हों)। बीएमक्यू के मामले में कुछ प्रतिनिधि नमूने डेविस ट्यूब रिकवरी परीक्षण के अध्यधीन होंगे।
कोर नमूना	खनिजयुक्त क्षेत्रों के साथ-साथ लटकी हुई दीवार/ फुटवॉल साईड से नमूना एकत्र किया जाना है। नमूना लंबाई विनिर्दिष्ट की जानी चाहिए।
पेट्रोग्राफिक और खनिज विज्ञान अध्ययन	प्रमुख चट्टान प्रकार, खनिज संयोजन, रुचि के खनिजों की पहचान
सभी उपलब्ध डेटा का संश्लेषण	i) क्षेत्रीय भूभौतिकीय, भूवैज्ञानिक और भू-रासायनिक डाटा का एकीकरण ii) सभी उपलब्ध आंकड़ों का संश्लेषण और रिपोर्ट लेखन

बोरहोल स्पेसिंग (एमईएमसी, 2015 के अनुसार)

निक्षेप का प्रकार	नियमित हैबिट के संस्तरित स्ट्रैटिफॉर्म और सारणीबद्ध निक्षेप (चिन्हित किए जाने वाले खनिज)	अनियमित हैबिट के संस्तरित स्ट्रैटिफॉर्म और सारणीबद्ध निक्षेप (चिन्हित किए जाने वाले खनिज)	इचेलॉन लेंस, पॉकेट में उत्पन्न होने वाले लेंटीकुलर बॉडी (विभिन्न खनिज)
जी4 चरण	यदि आवश्यक हो तो स्काउट ड्रिलिंग (केंद्र सरकार/आईबीएम द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट ग्रिड के अनुरूप)।	यदि आवश्यक हो तो स्काउट ड्रिलिंग (केंद्र सरकार/आईबीएम द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट ग्रिड के अनुरूप)।	यदि आवश्यक हो तो स्काउट ड्रिलिंग (केंद्र सरकार/आईबीएम द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट ग्रिड के अनुरूप)।
टिप्पणी	उथले सतही निक्षेप के लिए पूर्वेक्षण के विभिन्न स्तरों के लिए ग्रिड स्पेसिंग में सतही पिटिंग 6 मीटर तक की गहराई तक जारी रखना पर्याप्त होगा। आगे गहराई में निक्षेप जारी रखने के लिए ड्रिलिंग की अनुशंसा की जाती है	उथले सतही जमाव के लिए पूर्वेक्षण के विभिन्न स्तरों के लिए ग्रिड रिक्ति में सतह के गड्ढे से 6 मीटर तक की गहराई तक जारी रहना पर्याप्त हो सकता है। अधिक गहराई में जमाव जारी रखने के लिए ड्रिलिंग की अनुशंसा की जाती है।	________________________
(खनिज क्षेत्र के अंतर्वेधन की ऊर्ध्वाधर गहराई निर्दिष्ट की जानी चाहिए (प्रथम स्तर), बोरहोल की संख्या, अनुमानित बोरहोल स्पेसिंग, बोरहोल की अनुमानित लंबाई निर्दिष्ट की जाए)			

भूभौतिकीय अध्ययन

जीएसआई द्वारा उपयोग की जा रही विभिन्न वस्तुओं के लिए भूभौतिकीय अध्ययन की सामान्य विशिष्टताएँ नीचे दी गई हैं, हालाँकि, स्थानीय भूवैज्ञानिक सेट-अप के आधार पर पैरामीटर भिन्न होने की संभावना है। सामान्य तौर पर, खनिजकरण के सतही संकेत और सतही खनिजकरण नियंत्रण के चित्रण के बाद, क्षेत्रीय भूतल भूभौतिकीय डेटा अधिग्रहण और उसके अध्ययन के लिए क्षेत्रों का चयन किया जाता है।

वस्तु	पैरामीटर	तकनीक	जी4 चरण (टोही सर्वेक्षण)
क्रोमाइट	विधि	गुरुत्वाकर्षण	1-2 किमी या जीपीएम डेटा का उपयोग किया जा सकता है
	स्पेसिंग		
	विधि	चुंबकीय	1-2 किमी या जीपीएम डेटा का उपयोग किया जा सकता है
	स्पेसिंग		
मैंगनीज	विधि	गुरुत्वाकर्षण	1-2 किमी या जीपीएम डेटा का उपयोग किया जा सकता है
	स्पेसिंग		
	विधि	चुंबकीय	1-2 किमी या जीपीएम डेटा का उपयोग किया जा सकता है
	स्पेसिंग		
बेसमेटल	विधि	गुरुत्वाकर्षण	1-2 किमी
	स्पेसिंग		
	विधि	चुंबकीय	1-2 किमी
	स्पेसिंग		
	विधि	विद्त प्रतिरोधकता,आईपी एसपी	उद्देश्य के अनुसार प्रोफाइल
	स्पेसिंग		
लौह अयस्क	विधि	चुंबकीय	1-2 किमी ग्रिड, क्षेत्रीय
	स्पेसिंग		
आरईई एवं आरएम	विधि	गुरुत्वाकर्षण	---
	स्पेसिंग		
	विधि	चुंबकीय	---
	स्पेसिंग		
	विधि	रेडियामेट्रिक	---
	स्पेसिंग		
सोना/ पीजीई एवं निकल/ बेसमेटल	विधि	आईपी/ प्रतिरोधकता	ट्रैवर्सिंग। 200 मीटर-400 मीटर ट्रैवर्स अंतराल, 10-20 मीटर स्टेशन अंतराल
	स्पेसिंग		
	विधि	चुंबकीय	200 मीटर-400 मीटर ट्रैवर्स अंतराल, 10-20 मीटर स्टेशन अंतराल
	स्पेसिंग		
	विधि	एसपी	ट्रैवर्सिंग। 200 मीटर-400 मीटर ट्रैवर्स अंतराल, 10-20 मीटर स्टेशन अंतराल
	स्पेसिंग		
ग्रेफाइट	विधि	एसपी	ट्रैवर्सिंग। 200 मीटर-400 मीटर ट्रैवर्स अंतराल, 10-20 मीटर स्टेशन अंतराल
	स्पेसिंग		
	विधि	गुरुत्वाकर्षण	ट्रैवर्सिंग। 200 मीटर-400 मीटर ट्रैवर्स अंतराल, 10-20 मीटर स्टेशन अंतराल
	स्पेसिंग		
	विधि	चुंबकीय	ट्रैवर्सिंग। 200 मीटर-400 मीटर ट्रैवर्स अंतराल, 10-20 मीटर स्टेशन अंतराल
	स्पेसिंग		

हीरा	विधि	गुरुत्वाकर्षण	रैंडम ग्रिड, 1-2 कि.मी.
	स्पेसिंग		
	विधि	चुंबकीय	रैंडम ग्रिड, 1-2 कि.मी.
	स्पेसिंग		
	विधि	प्रतिरोधकता	रैंडम ग्रिड, 1-2 कि.मी.
	स्पेसिंग		
रत्न	विधि	विधियां, प्रोफाइल, स्पेसिंग प्रमुख शैल की प्रकृति के अनुसार होगी	
	स्पेसिंग		
पोटाश और फॉस्फोराइट	विधि	विधियां, प्रोफाइल, स्पेसिंग इन निक्षेपों 2डी और 3डी भूकंपीय, रेडियोमेट्रिक सर्वेक्षण की प्रकृति और संबद्धता के अनुसार होगी।	
	स्पेसिंग		
टिन, टंगस्टन और मोलिब्डेनम	विधि	विधियां, प्रोफाइल, स्पेसिंग इन निक्षेपों की प्रकृति और संबद्धता के अनुसार होंगी	

6. कर्मियों की तैनाती

7. व्यय का ब्यौरा

8. सन्दर्भ

<u>प्लेटों की सूची</u>

प्लेट 1: स्थान सूचकांक के साथ 1:50,000 पर भूवैज्ञानिक मानचित्र।

प्लेट 2: 1:50,000 पर भूवैज्ञानिक मानचित्र।

प्लेट 3: 1:50,000 पर भूतल भूभौतिकीय मानचित्र (एनजीपीएम) ।

प्लेट 4: वायुचुम्बकीय मानचित्र ।

प्लेट 5: भूवैज्ञानिक मानचित्र पर प्रस्तावित ब्लॉक सीमा।

प्लेट 6: भूमि उपयोग/ अभिगम्यता मानचित्र पर प्रस्तावित ब्लॉक सीमा। इस चरण पर आवश्यक नहीं है।

प्लेट 7: 1:50,000 पर स्थलाकृतिक मानचित्र पर प्रस्तावित ब्लॉक सीमा।

कोई अन्य प्रासंगिक प्लेटें।

एनएमईटी के अंतर्गत .... ब्लॉक, ... जिला, ... राज्य के जी3 अथवा जी2 चरण के खनिज गवेषण के लिए प्रस्ताव।

(बेसमेटल/ लौह/ अलौह/ औद्योगिक/ सामरिक और महत्वपूर्ण / कीमती धातु आदि)

द्वारा

__________________ एजेंसी

स्थान:

दिनांक:

जी3 या जी2 चरण गवेषण के लिए ब्लॉक का सारांश

	विशेषताएँ	**विवरण**
	ब्लॉक आईडी	
	वर्तमान गवेषण एजेंसी	जी3 और जी2 के लिए
	पिछली गवेषण एजेंसी	जी4 / जी3 चरण जीआर उत्पादक एजेंसी
	जी4 चरण भूवैज्ञानिक रिपोर्ट (पिछले चरण की भूवैज्ञानिक रिपोर्ट)	जी3 चरण प्रस्ताव के लिए जी4 चरण जीआर और जी2 प्रस्ताव केलिए जी3 चरण जीआर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
	वस्तु	
	खनिज बेल्ट	
	परियोजना को पूरा करने के लिए सम्पूर्ण समय सारिणी सहित पूर्ण करने की अवधि	
	उद्देश्य	
	क्या कार्य प्रस्तावित एजेंसी द्वारा या आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराया जायेगा तथा उसका विवरण। आउटसोर्स किए जाने वाले घटक और आउटसोर्स एजेंसी का नाम	
	भू-वैज्ञानिकों का नाम/ संख्या	
	अपेक्षित क्षेत्र दिवस (भूविज्ञान,भूभौतिकी, सर्वेक्षक)	
1.	**स्थान**	
	अक्षांश	
	देशान्तर	
	गांव	
	तहसील/तालुक	
	ज़िला	
	राज्य	
2.	**क्षेत्रफल (हेक्टेयर /वर्ग किलोमीटर)**	
	ब्लॉक क्षेत्र	
	वन क्षेत्र	
	सरकारी भूमि क्षेत्र	
	निजी भूमि क्षेत्र	
3.	**अभिगम्यता**	
	निकटतम रेल हेड	
	सड़क	
	एयरपोर्ट	
4.	**हाइड्रोग्राफी**	
	स्थानीय सतह जल निकासी पैटर्न (चैनल)	
	नदियाँ/धाराएँ	
5.	**जलवायु**	
	औसत वार्षिक वर्षा	
	तापमान (दिसंबर) (न्यूनतम) तापमान (जून) (अधिकतम)	
6.	**स्थलाकृति**	
	टोपोशीट संख्या	
	क्षेत्र की आकृति विज्ञान	
7.	**आधारभूत भूविज्ञान डेटा की उपलब्धता**	

	भूवैज्ञानिक मानचित्र (1:50K/25K)	उपलब्ध/ अनुपलब्ध
	भू-रासायनिक मानचित्र	उपलब्ध/ अनुपलब्ध
	भूभौतिकीय मानचित्र (वायुचुंबकीय, भूभौतिकीय, क्षेत्रीय और साथ ही स्थानीय पैमाने के जीपी मानचित्र)	उपलब्ध/ अनुपलब्ध
8.	**जी3 और जी2 चरण खनिज गवेषण शुरू करने का औचित्य**	विवरण को संसाधन आंकड़े (संसाधन, औसत ग्रेड, कट-ऑफ, स्ट्राइक लेंथ, डेप्थ एक्सटेंशन पहले से ही विश्वास स्तर के साथ प्रमाणित) के साथ सतह, उपसतह भूवैज्ञानिक, भूरसायनिक, भूभौतिकीय डेटा के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सक्रिय खदान क्षेत्र के निकट प्रस्तावित गवेषण के मामले में, उचित स्थान से सतह नमूना एकत्र करने के द्वारा औचित्य दिया जाना चाहिए, जो विश्लेषणात्मक डेटा के साथ वर्तमान गवेषण कार्य के लिए प्रस्तावित खनिजकरण का प्रतिनिधित्व करता है।

प्रस्ताव में दिये जाने वाले निम्नलिखित शीर्षकों का विस्तृत विवरण

1. ब्लॉक सारांश

प्राकृतिक भूगोल
पृष्ठभूमि भूविज्ञान (क्षेत्रीय भूविज्ञान, ब्लॉक का भूविज्ञान)।
भूविज्ञान, भूभौतिकी, भू-रसायन विज्ञान आदि पर आधारित खनिज क्षमता।
प्रस्तावित गवेषण का दायरा।
जी4 चरण खनिज गवेषण रिपोर्ट की सिफ़ारिशें।
उद्देश्य

2. पिछला कार्य

पूर्ण पिछली भूवैज्ञानिक रिपोर्ट (जी4 चरण) संलग्न करें: जी2 चरण के लिए जी4 और जी3 चरण की रिपोर्ट।

निकटवर्ती क्षेत्र (क्षेत्रीय क्षेत्र) में पिछला गवेषण; सभी नमूने (बेड रॉक/ ट्रेंच/ ग्रोव/ मिट्टी), बोरहोल स्थान को भूवैज्ञानिक मानचित्र पर अंकित किया जाना चाहिए और विश्लेषणात्मक डेटा पर संक्षेप में चर्चा की जानी चाहिए। प्रस्तावित ब्लॉक क्षेत्र में पिछला गवेषण: सभी नमूने (बेड रॉक/ ट्रेंच/ ग्रोव/ मिट्टी) बोरहोल स्थान को भूवैज्ञानिक मानचित्र पर अंकित किया जाना चाहिए और विश्लेषणात्मक डेटा पर संक्षेप में चर्चा की जानी चाहिए

3. ब्लॉक विवरण

ब्लॉक कॉर्नर पॉइंट कार्डिनल पॉइंट	अक्षांश	देशान्तर
ए		
बी		
सी		
डी		
ई आदि.		

4. नियोजित पद्धति

5. मात्रा और लक्ष्य की प्रकृति

जी3 चरण के प्रस्ताव के लिए जी4 चरण जीआर और जी2 प्रस्ताव के लिए जी3 चरण जीआर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, पिछले चरण की खोज का संक्षिप्त विवरण

प्रस्तावित कार्य की प्रकृति एवं मात्रा

घटक	जी3	जी2
हवाई टोही सर्वेक्षण	यदि पूर्व चरण में कवर नहीं किया गया है तो आवश्यक है	जी3 चरण कार्य का उपयोग करें
भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण	आरएफ 1:5,000/2,000	जी3 चरण 1:2,000 मानचित्रों का उपयोग करें
भू-रासायनिक सर्वेक्षण	भू-रासायनिक नमूनाकरण (चिप/चैनल/पिट/ट्रेंच/कोर/मिट्टी)	विस्तृत भू-रासायनिक नमूनाकरण (चैनल/पिट/ट्रेंच/कोर/मिट्टी)प्रणालीबद्ध रूप से
भूभौतिकीय सर्वेक्षण	विस्तृत भूभौतिकीय कार्य, बोरहोल भूभौतिकीय लॉगिंग। (नीचे अन्य तालिका देखें)	बोरहोल भूभौतिकीय लॉगिंग, यदि आवश्यक हो तो समस्या समाधान के लिए विशेष भूभौतिकीय ट्रैवर्स (नीचे अन्य तालिका देखें)
पिटिंग/ ट्रेंचिंग	खनिजयुक्त क्षेत्र को उजागर करने के लिए पिटिंग/ ट्रेंचिंग	रिफाईन: सतह/उपसतह सहसंबंध, संसाधन गणना और मृदा कवर क्षेत्र में अयस्क निकाय को परिभाषित करने के लिए प्रत्येक बोरहोल प्रोफाइल के साथ नियमित अंतराल पर व्यवस्थित

स्काउट ड्रिलिंग/ व्यवस्थित ड्रिलिंग केवल व्यवस्थित ड्रिलिंग	नीचे दी गई एक अन्य तालिका देखें	नीचे दी गई एक अन्य तालिका देखें
ग्रैब और चिप सैम्पलिंग	बीएमक्यू के मामले में डेविस ट्यूब रिकवरी के अधीन कुछ प्रतिनिधि नमूनों का व्यवस्थित नमूनाकरण	रिफाईन नमूनाकरण : व्यवस्थित नमूनाकरण
पेट्रोग्राफिक और खनिज विज्ञान अध्ययन	निक्षेप की चट्टानें (खनिजीकरण के लिए प्रमुख चट्टान), खनिजकरण से जुड़े परिवर्तन, लक्ष्य खनिज चरण (अयस्क और गेज धातु/खनिज), पैराजेनेसिस, प्राथमिक माध्यमिक क्षेत्र	चट्टानों की पेट्रोग्राफिक विशेषता जिसमें ग्रेन का आकार, बनावट, खनिजकरण का नियंत्रण आदि शामिल हैं।
सभी उपलब्ध डेटा का संश्लेषण कार्य की मात्रा में आवश्यक नहीं है	i) क्षेत्रीय/ विस्तृत भूभौतिकीय, भूवैज्ञानिक और भू-रासायनिक डेटा का एकीकरण, यदि पहले नहीं किया गया हो। (आकार फ़ाइल में सॉफ्ट कॉपी में दिया जाए) ii) सभी उपलब्ध आंकड़ों का संश्लेषण और रिपोर्ट लेखन	i) विस्तृत भूभौतिकीय, भूवैज्ञानिक और भू-रासायनिक डेटा का एकीकरण, यदि पहले नहीं किया गया हो। (आकार फ़ाइल में सॉफ्ट कॉपी में दिए) ii) सभी उपलब्ध डेटा का संश्लेषण और रिपोर्ट लेखन

बोरहोल स्पेसिंग (एमईएमसी, 2015 के अनुसार)

निक्षेप का प्रकार	**नियमित हैबिट का संस्तरित स्ट्रैटिफॉर्म और सारणीबद्ध निक्षेप (निर्धारित किए जाने वाले खनिज)**	**अनियमित हैबिट का संस्तरित स्ट्रैटिफॉर्म और सारणीबद्ध निक्षेप (निर्धारित किए जाने वाले खनिज)**	**इचेलॉन लेंस, पॉकेट में उत्पन्न लेंटीकुलर बॉडी (विभिन्न खनिज)**
जी3 चरण	800 मीटर से 400 मीटर	400 मीटर या करीब	स्ट्राइक के साथ बोरहोल की दूरी 200-100 मीटर या इसके करीब रखी जा सकती है
जी2 चरण	200 मीटर या करीब	200 मीटर से 100 मीटर या उसके करीब	स्ट्राइक के साथ बोरहोल की दूरी 100-50 मीटर या उससे अधिक रखी जा सकती है
टिप्पणी	i) उथले सतही निक्षेप के लिए पूर्वेक्षण के विभिन्न स्तरों के लिए ग्रिड स्पेसिंग में सतह के गड्ढे से 6 मीटर तक की गहराई तक जारी रखना पर्याप्त होगा। गहराई में स्थित निक्षेप के लिए आगे भी ड्रिलिंग जारी रखने की अनुशंसा की जाती है। ii) अजैविक भू-पर्यावरण अध्ययन, भू-तकनीकी और थोक सज्जीकरण अध्ययन जी2 चरण में आयोजित किए जाएंगे।	i) उथले सतही निक्षेप के लिए पूर्वेक्षण के विभिन्न स्तरों के लिए ग्रिड स्पेसिंग में सतह के गड्ढे से 6 मीटर तक की गहराई तक जारी रखना पर्याप्त होगा। गहराई में स्थित निक्षेप के लिए आगे भी ड्रिलिंग जारी रखने की अनुशंसा की जाती है। ii) अजैविक भू-पर्यावरण अध्ययन, भू-तकनीकी और थोक सज्जीकरण अध्ययन जी 2 चरण में आयोजित किए जाएंगे।	i) उथले सतही निक्षेप के लिए पूर्वेक्षण के विभिन्न स्तरों के लिए ग्रिड स्पेसिंग में सतह के गड्ढे से 6 मीटर तक की गहराई तक जारी रखना पर्याप्त हो सकती है। गहराई में स्थित निक्षेप के लिए आगे भी ड्रिलिंग जारी रखने की अनुशंसा की जाती है। ii) अजैविक भू-पर्यावरण अध्ययन, भू-तकनीकी और थोक सज्जीकरण अध्ययन जी 2 चरण में आयोजित किए जाएंगे।

	iii) जी2 चरण पर ड्रिल कोर नमूनों की 10% आंतरिक जांच की सिफारिश की जाती है। (iv) जी2 चरण में ड्रिल कोर नमूनों की 5% बाहरी जांच की सिफारिश की जाती है।	iii) जी2 चरण पर ड्रिल कोर नमूनों की 10% आंतरिक जांच की सिफारिश की जाती है। (iv) जी2 चरण में ड्रिल कोर नमूनों की 5% बाहरी जांच की सिफारिश की जाती है।	iii) जी2 चरण पर ड्रिल कोर नमूनों की 10% आंतरिक जांच की सिफारिश की जाती है। (iv) जी2 चरण में ड्रिल कोर नमूनों की 5% बाहरी जांच की सिफारिश की जाती है।
	विभिन्न स्तर के बोरहोल के लिए खनिज क्षेत्र के अंतर्वेधन की गहराई निर्दिष्ट की जानी चाहिए, बोरहोल की संख्या (पहला, दूसरा, तीसरा), बोरहोल स्पेसिंग, विभिन्न स्तर के बोरहोल की अनुमानित लंबाई भी निर्दिष्ट की जाए)		

भूभौतिकीय अध्ययन

जीएसआई द्वारा उपयोग की जा रही विभिन्न वस्तुओं के लिए भूभौतिकीय अध्ययन की सामान्य विशिष्टताएँ नीचे दी गई हैं, हालाँकि, स्थानीय भूवैज्ञानिक सेट-अप और अयस्क बॉडी के प्रकृति आधार पर पैरामीटर भिन्न होने की संभावना है।

वस्तु	पैरामीटर	तकनीक	जी3 चरण (प्राथमिक अन्वेषण)	जी2 चरण (सामान्य अन्वेषण)
क्रोमाइट	विधि	गुरुत्वाकर्षण	1-0.5 ग्रीड/ 500-200 मी.	50-20 मीटर स्टेशन अंतराल पर ट्रैवर्स के साथ
	स्पेसिंग			
	विधि	चुंबकीय	1-0.5 ग्रीड/ 500-200 मी.	50-20 मीटर स्टेशन अंतराल पर ट्रैवर्स के साथ
	स्पेसिंग			
मैंगनीज	विधि	गुरुत्वाकर्षण	1-0.5 ग्रीड/ 500-200 मी.	50-20 मीटर स्टेशन अंतराल पर ट्रैवर्स के साथ
	स्पेसिंग			
	विधि	चुंबकीय	1-0.5 ग्रीड/ 500-200 मी.	50-20 मीटर स्टेशन अंतराल पर ट्रैवर्स के साथ
	स्पेसिंग			
बेसमेटल	विधि	गुरुत्वाकर्षण	200 मी - .500 मी.ग्रीड/ 200-100 मी.	----
	स्पेसिंग			
	विधि	चुंबकीय	200 मी - .500 मी.ग्रीड/ 200-100 मी.	----
	स्पेसिंग			
	विधि	विद्त आईपी एसपी प्रतिरोधकता	उद्देश्य के अनुसार प्रोफाइल	
	स्पेसिंग			
	विधि	भूकंपीय	उद्देश्य के अनुसार प्रोफाइल	
लौह अयस्क	विधि	चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण	200 मीटर - 1किमी ग्रिड, अर्ध क्षेत्रीय 500-200 मीटर	50 मीटर-100 मीटर ट्रैवर्स अंतराल, 10-20 मीटर स्टेशन अंतराल
	स्पेसिंग			
आरईई एवं आरएम	विधि	गुरुत्वाकर्षण	200 मीटर - 1किमी ग्रिड, अर्ध क्षेत्रीय 500-200 मीटर	50 मीटर-100 मीटर ट्रैवर्स अंतराल, 10-20 मीटर स्टेशन अंतराल
	स्पेसिंग			
	विधि	प्रतिरोधकता	200 मीटर - 1किमी ग्रिड, अर्ध क्षेत्रीय 500-200 मीटर	ट्रैवसिंग, 50 मीटर - 100 मीटर ट्रैवर्स अंतराल, 10-20 मीटर स्टेशन अंतराल
	स्पेसिंग			
	विधि	रेडियामेट्रिक	200 मीटर - 1किमी ग्रिड, अर्ध क्षेत्रीय 500-200 मीटर	ट्रैवसिंग, 50 मीटर - 100 मीटर ट्रैवर्स अंतराल, 10-20 मीटर स्टेशन अंतराल
	स्पेसिंग			
सोना/ पीजीई एवं निकल/ बेसमेटल	विधि	आईपी/ प्रतिरोधकता	ट्रैवसिंग, 100 मीटर-200 मीटर (50-25 मीटर) ट्रैवर्स अंतराल, 10-20 मीटर (3-5 मी.) स्टेशन अंतराल	ट्रैवसिंग, 50 मीटर-100 मीटर (25 मीटर या कम) ट्रैवर्स अंतराल, 10-20 मीटर (3-5 मी. या करीब) स्टेशन अंतराल
	स्पेसिंग			
	विधि	चुंबकीय	ट्रैवसिंग, 100 मीटर - 200 मीटर ट्रैवर्स अंतराल, 10-20 मीटर स्टेशन अंतराल	ट्रैवसिंग, 50 मीटर - 100 मीटर ट्रैवर्स अंतराल, 10-20 मीटर स्टेशन अंतराल
	स्पेसिंग			
	विधि	एसपी	ट्रैवसिंग, 100 मीटर - 200 मीटर ट्रैवर्स अंतराल, 10-20 मीटर स्टेशन अंतराल	ट्रैवसिंग, 50 मीटर - 100 मीटर ट्रैवर्स अंतराल, 10-20 मीटर स्टेशन अंतराल
	स्पेसिंग			
ग्रेफाईट	विधि	एसपी	ट्रैवसिंग, 100 मीटर - 200 मीटर ट्रैवर्स अंतराल, 10-20 मीटर स्टेशन अंतराल	ट्रैवसिंग, 50 मीटर - 100 मीटर ट्रैवर्स अंतराल, 10-20 मीटर स्टेशन अंतराल
	स्पेसिंग			
	विधि	गुरुत्वाकर्षण	ट्रैवसिंग, 100 मीटर - 200 मीटर ट्रैवर्स अंतराल, 10-20 मीटर स्टेशन अंतराल	ट्रैवसिंग, 50 मीटर - 100 मीटर ट्रैवर्स अंतराल, 10-20 मीटर स्टेशन अंतराल
	स्पेसिंग			

	विधि	चुंबकीय	ट्रैवर्सिंग, 100 मीटर - 200 मीटर ट्रैवर्स अंतराल, 10-20 मीटर स्टेशन अंतराल	ट्रैवर्सिंग, 50 मीटर - 100 मीटर ट्रैवर्स अंतराल, 10-20 मीटर स्टेशन अंतराल
	स्पेसिंग			
डायमंड	विधि	गुरुत्वाकर्षण	रैंडम ग्रिड, 1 किमी - 500 मी./ 500 – 200 मी.	ट्रैवर्सिंग, 50 मीटर - 100 मीटर ट्रैवर्स अंतराल, 10-20 मीटर स्टेशन अंतराल
	स्पेसिंग			
	विधि	चुंबकीय	रैंडम ग्रिड, 1किमी - 500 मी./ 500 – 200 मी.	ट्रैवर्सिंग, 50 मीटर - 100 मीटर ट्रैवर्स अंतराल, 10-20 मीटर स्टेशन अंतराल
	स्पेसिंग			
	विधि	प्रतिरोधकता	रैंडम ग्रिड, 1किमी - 500 मी./ 500 – 200 मी.	ट्रैवर्सिंग, 50 मीटर - 100 मीटर ट्रैवर्स अंतराल, 10-20 मीटर स्टेशन अंतराल
	स्पेसिंग			
रत्न	विधि	विधियां, प्रोफाइल, स्पेसिंग प्रमुख शैल की प्रकृति के अनुसार होगी		
	स्पेसिंग			
पोटाश और फॉस्फोराइट	विधि	विधियां, प्रोफाइल, स्पेसिंग इन निक्षेपों के प्रकृति और संदब्धता के अनुसार होगी।		
	स्पेसिंग	भूकंपीय/ 2डी भूकंपीय/ 3डी भूकंपीय/ रेडीयोमेट्रिक सर्वे		
टिन, टंगस्टन एवं मोलीबेडियम	विधि	विधियां, प्रोफाइल, स्पेसिंग इन निक्षेपों की प्रकृति और संबद्धता के अनुसार होंगी शियर क्षेत्रों और लिथोलॉजिकल सीमाओं को चित्रित करना।		

ध्यान दें: यदि जी2 चरण गवेषण में और अधिक परिशोधन या निकटतर अंतराल डेटा की आवश्यकता है तो इसका निर्णय उचित औचित्य के साथ जी3 चरण अन्वेषण से प्राप्त अनुमान के आधार पर किया जाएगा।

6. **गवेषणात्मक ड्रिलिंग** (गवेषणात्मक ड्रिलिंग पर एक अन्य दस्तावेज़ देखें)
7. **कर्मियों की तैनाती**
8. **व्यय का ब्यौरा**
9. **सन्दर्भ**

प्लेटों की सूची

प्लेट 1: स्थान सूचकांक के साथ 1:50K और 1:25K/12.5K/10K पर भूवैज्ञानिक मानचित्र।
प्लेट 2: 1:50K और 1:25K/12.5K/10K पर भूरासायनिक मानचित्र । (याद्दच्छिक या स्थानीय ग्रिड में एकत्र किया गया कोई अन्य नमूना डेटा भूवैज्ञानिक मानचित्र पर प्लॉट किया जा सकता है)
प्लेट 3: 1:50K और 1:25K/12.5K/10K पर भूतल भूभौतिकीय मानचित्र (एनजीपीएम)।
प्लेट 4: वायुचुम्बकीय मानचित्र ।
प्लेट 5: मौजूदा भूवैज्ञानिक मानचित्र पर प्रस्तावित ब्लॉक सीमा।
प्लेट 6: प्रस्तावित बोरहोल स्थान मानचित्र।
प्लेट 7: अस्थायी भूवैज्ञानिक बोरहोल खंड।
प्लेट 8: भूमि उपयोग/ अभिगम्यता मानचित्र पर प्रस्तावित ब्लॉक सीमा
प्लेट 9: 1:50,000 पर स्थलाकृतिक मानचित्र पर प्रस्तावित ब्लॉक सीमा।

कोई अन्य प्रासंगिक प्लेटें।

खान मंत्रालय
भारत सरकार

अनुबंध - 8

भारत सरकार
खान मंत्रालय
राष्ट्रीय खनिज गवेषण न्यास

फा. सं. - 6/3/2015 -एन एम ई टी /28 नई दिल्ली, 10 मई ,2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय : खनिज गवेषण कार्य में अधिसूचित निजी गवेषण अभिकरणों के विनियोजन हेतु स्कीम के सम्बन्ध में ।

वर्ष 2021 में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम ,1957 (एम एम डी आर अधिनियम) में हाल के संशोधनों द्वारा केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान की गई है कि वह पूर्वेक्षण प्रचालनों का कार्य करने हेतु निजी क्षेत्र के तत्वों को अधिसूचित कर सकती है । अधिसूचित अभिकरण अधिनियम के अनुच्छेद 9 'ग' के उप -अनुच्छेद 5 के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार राष्ट्रीय खनिज गवेषण न्यास से निधि प्राप्त करने के योग्य होंगे ।

एन एम ई पी , 2016 को आगे बढ़ाते हुए , एम एम डी आर अधिनियम एवं निजी गवेषण अभिकरणों के प्रत्यायन एवं अधिसूचना के स्कीम में हाल के संशोधनों के अनुसार , एन एम ई टी के शासकीय निकाय ने खनिज गवेषण में अधिसूचित निजी गवेषण अभिकरणों के विनियोजन हेतु स्कीम को अनुमोदित किया है । यह स्कीम सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है ।

संलग्न :- यथोपरि

(विवेक कुमार शर्मा)
निदेशक , एन एम ई टी

सेवा में,

1. सचिव (खान), आंध्र प्रदेश सरकार ।
2. सचिव (भूविज्ञान एवं खनन), अरुणाचल प्रदेश सरकार ।
3. मुख्य सचिव , खान एवं खनिज विभाग , असम सरकार ।
4. मुख्य सचिव सह खान आयुक्त , बिहार सरकार ।
5. सचिव , खनिज संसाधन विभाग , छत्तीसगढ़ सरकार ।
6. मुख्य सचिव ,खान एवं भूविज्ञान विभाग, गोवा सरकार ।
7. अपर मुख्य सचिव (उद्योग), हिमाचल प्रदेश सरकार ।
8. मुख्य सचिव (उद्योग एवं खान), गुजरात सरकार ।
9. आयुक्त सचिव (उद्योग एवं वाणिज्य), जम्मू और कश्मीर सरकार ।
10. सचिव , (उद्योग , खान एवं भूविज्ञान), झारखण्ड सरकार ।

11. सचिव,(उद्योग एवं वाणिज्य), कर्नाटक सरकार ।
12. मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, केरल सरकार ।
13. सचिव (खान), मध्य प्रदेश सरकार ।
14. अपर मुख्य सचिव (उद्योग एवं खान), महाराष्ट्र सरकार ।
15. आयुक्त एवं सचिव, खनन एवं भूविज्ञान विभाग , मेघालय सरकार ।
16. आयुक्त एवं सचिव, भूविज्ञान एवं खनन, नागालैंड सरकार ।
17. मुख्य सचिव, (स्टील एवं खान), ओडिशा सरकार ।
18. मुख्य सचिव, खान एवं भूविज्ञान, पंजाब सरकार ।
19. मुख्य सचिव (खान), राजस्थान सरकार ।
20. मुख्य सचिव (उद्योग), तमिलनाडु सरकार ।
21. मुख्य सचिव (उद्योग एवं खान), तेंलगाना सरकार ।
22. सचिव (खान एवं भूविज्ञान), उत्तर प्रदेश सरकार ।
23. मुख्य सचिव (खान), उत्तराखंड सरकार ।
24. सचिव (उद्योग ,वाणिज्य एवं उपक्रम), पश्चिम बंगाल सरकार ।
25. सचिव , उद्योग विभाग , लद्दाख संघ क्षेत्र प्रशासन ।
26. मुख्य सचिव, खान एवं भूविज्ञान विभाग, सिक्किम सरकार ।

प्रतिलिपि :

1. निदेशक ,खान एवं भूविज्ञान विभाग , आंध्र प्रदेश सरकार ।
2. निदेशक ,भूविज्ञान एवं खनन निदेशालय , असम सरकार ।
3. निदेशक,खान एवं भूविज्ञान विभाग , बिहार सरकार ।
4. निदेशक ,भूविज्ञान एवं खनन निदेशालय , छत्तीसगढ़ सरकार ।
5. खान एवं भूविज्ञान निदेशक, गोवा सरकार ।
6. भूविज्ञान एवं खनन आयुक्त , गुजरात सरकार ।
7. निदेशक, उद्योग विभाग , हिमाचल प्रदेश सरकार ।
8. निदेशक ,भूविज्ञान एवं खनन विभाग , जम्मू और कश्मीर सरकार ।
9. निदेशक (खान),खान निदेशालय, झारखण्ड सरकार ।
10. निदेशक,खान एवं भूविज्ञान विभाग , कर्नाटक सरकार ।
11. निदेशक ,खनन एवं भूविज्ञान निदेशालय , केरल सरकार ।
12. निदेशक ,भूविज्ञान एवं खनन निदेशालय, मध्य प्रदेश सरकार ।
13. निदेशक ,भूविज्ञान एवं खनन निदेशालय, महाराष्ट्र सरकार ।

14. निदेशक ,खनिज संसाधन निदेशालय, मेघालय सरकार ।
15. निदेशक ,खान निदेशालय, ओडिशा सरकार ।
16. निदेशक , खान एवं भूविज्ञान निदेशालय, राजस्थान सरकार ।
17. भूविज्ञान एवं खनन आयुक्त ,निदेशक , तमिलनाडु सरकार ।
18. खान एवं भूविज्ञान निदेशक , तेंलगाना सरकार ।
19. निदेशक ,भूविज्ञान एवं खनन निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार ।
20. निदेशक ,भूविज्ञान एवं खनन इकाई, उत्तराखंड सरकार ।
21. निदेशक , खान एवं खनिज निदेशालय, पश्चिम बंगाल सरकार ।
22. श्री पुडी श्रीनिवास राव,नेचुरल रिसोर्सेज डिवीज़न -,टाटा स्टील लिमिटेड ,रूम न० -349 , तृतीय तल, कमर्शियल सेंटर ,जनरल ऑफिस, बिस्टुपुर , जमशेदपुर ,पूर्वी सिंघभूम , झारखण्ड – 831001(pudi.srinivas@tatasteel.com)
23. श्री अरिजीत डे , यूनाइटेड एक्सप्लोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड , टावर २ ए,पांचवां तल, एक्शन एरिया २ ,एको स्पेस बिज़नेस पार्क , राजारहाट , नई टाउन , कोलकत्ता ,वेस्ट बंगाल - 700156 (admin@unitedexploration .co.in)
24. डॉ निरोडे बिहारी चंदा , इंडियन माइन प्लानर्स & कंसल्टेंट्स , जी इ-61 , राजदंगा मैन रोड , विवांता होटल के पीछे , ,वेस्ट बंगाल,कोलकत्ता - 700107 (nbc@impcon.in)
25. श्री जीजो जॉर्ज , गेमकोकटी एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड , प्लाट न० - 34 , बापट नगर ,महाराष्ट्र , चंद्रपुर -442401 . (jijo@gemcokati.com)
26. डॉ एस० करुप्पन्नं , जोतेचणीकल माइनिंग सोलूशन्स ,१/ २१३ बी , नटेसन काम्प्लेक्स , तमिल नाडु , धरमपुरी - 636705 (info.gtmsdpi@gmail.com)
27. मि० चन्नमल्लिकार्जुन बी. पाटिल . जोएक्सपोरे प्राइवेट लिमिटेड , न ० १२- २८/२ , एस वाई न ० २८/२, कर्नाटक ,बेंगलुरु- 560077 (cm@geoexpore.com)
28. मि० लियो क्रिस्टी ए , वि0 एम० सलगाओकर & बरोथेर प्राइवेट लिमिटेड , सलगाओकर हाउस , ऍफ़ एल गोम्स रोड , वास्को डा गामा, दक्षिण गोवा - 403802 .(leochristy@vmsbgoa.com)
29. मि० लोकनाथ रथ , जोवाले सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जी एन ३८/५,तीसरा तल , सेक्टर -5 , साल्ट लेक , कोलकत्ता - 700091 , इंडिया, वेस्ट बंगाल नार्थ , 24 परगना – 700091(loknath.rathgeovale.com)
30. मि० दीपेंद्र सिंह , मिस एफ सी आई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड , इंस्टीटूशनल एरिया , सेक्टर -बी ,विवेक विहार योजना , जोधपुर ,राजस्थान , जोधपुर - 342005.(fagmill@rediffmail.com)

सूचनार्थ प्रति :

1. पी एस ओ, सचिव , खान मंत्रालय , शास्त्री भवन , नई दिल्ली - 110001
2. पी पी एस , अपर सचिव , खान मंत्रालय , शास्त्री भवन , नई दिल्ली - 110001

खनिज गवेषण में अधिसूचित निजी गवेषण अभिकरणों के विनियोजन हेतु स्कीम

1. पृष्ठभूमि:

1.1. राष्ट्रीय खनिज गवेषण नीति (एन.एम.ई.पी.),2016 खनिज गवेषण कार्य में निजी क्षेत्र की भागीदारी पर विचार करती है तथा साथ ही, यह देश के विशाल खनीज संसाधनों की खोज एवं दोहन करने हेतु निजी क्षेत्र की तकनीकी सुविज्ञता क्षमता और वित्तीय संसाधनों के सुव्यवस्थित उपयोग के लिए खनिज गवेषण के सभी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुसाहय बनाने, प्रोत्साहित एवं प्रेरित करने पर भी ध्यान देती है। यह गवेषण अभिकरणों के लिए फंडिंग पर भी विचार करती है ताकि गवेषण कार्यों में उनके जोखिम को कम कम किया जा सके।

1.2. वर्ष 2021 में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एम.एम.डी.आर. अधिनियम) में हाल के संशोधनों द्वारा केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान की गई है कि वह पूर्वेक्षण प्रचालनों का कार्य करने हेतु निजी क्षेत्र के तत्वों को अधिसूचित कर सकती है। निजी क्षेत्र की अधिसूचित गवेषण अभिकरणों को शामिल करने से देश में गवेषण क्रिया- कलापों को बल मिलेगा तथा नीलामी योग्य अधिकाधिक ब्लॉकों को चिहिन्त करने में सुविधा होगी। खान मंत्रालय की ओ.सी.आई. –एन.ए.बी.ई.टी. के सहयोग से खनिज क्षेत्र में निजी क्षेत्र के गवेषण अभिकरणों के प्रत्यापन के लिए स्कीम की शुरूआत की है। खान मंत्रालय द्वारा 12 अगस्त, 2021 को जारी दिशा-निर्देश में प्रावधान है कि ओ.सी.आई. - एन.ए.बी.ई.टी. से प्रत्यापन के पश्चात निजी क्षेत्र के गवेषण अभिकरण एवं एम.एम.डी.आर. अधिनियम के अनुच्छेद 4(1) के द्वितीय शर्त के अंतर्गत अपने अधिसूचना हेतु खान मंत्रालय को आवेदन कर सकते है। दिशा-निर्देश में यह भी प्रावधान है कि निजी क्षेत्र के गवेषण अभिकरणों को निम्नलिखित दो श्रेणियों में अधिसूचित किया जायेगा तथा उन्हें नीचे दिए गये प्रत्येक श्रेणी के अनुसार खनिज निक्षेपों के संबंध में पूर्वेक्षण प्रभालन-कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा।

गवेषण अभिकरण की श्रेणी	खनिज निक्षेप का प्रकार
श्रेणी 'क' के गवेषण अभिकरण	क) संस्तरित स्न्रटीफार्म एवं सारणीबद्ध निक्षेप ख) म्सुराकर कम्पोजिट शिरा ग) जेम-स्टोन एवं दुर्लभ धातु पेग्मैटाईट, रीफ्स एवं शिरा/पाईप घ) फ्लोट एवं प्लेसर निक्षेप ड.) गभीरस्क निक्षेप
श्रेणी 'ख' के गवेषण अभिकरण	क) संस्तरित स्न्रटीफार्म एवं सारणीबद्ध निक्षेप ख) फ्लोट एवं प्लेसर निक्षेप

1.3. एन.एम.ई.पी. ,2016 को आगे बढाते हुए एम.एम.डी.आर. अधिनियम एवं निजी गवेषण अभिकरणों के प्रत्यापन एवं अधिसूचना के स्कीम में हाल के संशोधनों के अनुसार, राज्य सरकारों द्वारा प्रमुख खनिजों के गवेषण में अधिसूचित निजी क्षेत्र के अभिकरणों की नियुक्ति हेतु एवं तत्काल स्कीम तैयार किया गया है।

2. उद्देश्य

2.1. इस स्कीम का उद्देश्य खनिज गवेषण कार्य में अधिसूचित निजी क्षेत्र के अभिकरण की नियुक्ति हेतु एक क्रियाविधि की रूप-रेखा तैयार करनी है तथा राष्ट्रीय खनिज गवेषण न्यास (एन.एम.ई.टी.) अथवा राज्य सरकारों, जैसा भी मामला हो, के माध्यम से इन अधिसूचित निजी क्षेत्र के अभिकरणों द्वारा प्रभालन-कार्य को निधि उपलब्ध करनी है।

3. राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित निजी क्षेत्र के अभिकरणों की नियुक्तिहेतु कार्य विधि एवं उनका निधि आबंटन:-

3.1.1 सामान्य शर्तें :

(i) वर्तमान स्कीम एम.एम.डी.आर. अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग 'क' एवं भाग 'ख' में सूचीबद्ध लघु खनिज, खनिज तेल और खनिजों को छोड़कर अन्य सभी खनिजों के गवेषण के लिए लागू है।

(ii) गवेषण प्रभालन – कार्य उन प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा जो खनिज (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियमावली, 2015, खनिज सरंक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 (एम.सी.डी.आर.) दिनांक 12 अगस्त, 2021 को खान मंत्रालय द्वारा जारी प्रत्यापित निजी गवेषण अभिकरणों की अधिसूचना हेतु दिशा निर्देश तथा अन्य लागू नियमों में दिए गए हैं।

(iii) अधिसूचित निजी क्षेत्र के अभिकरण उन खनिजों और खनिज निक्षेपों की श्रेणी से संबंधित गवेषपण कार्य करेंगे जिनके लिए उन्हें अधिसूचित किया गया है।

(iv) अहिसूचित निजी क्षेत्र के अभिकरणों को गवेषण हेतु अनुमोदन अथवा एन.एम.ई.टी. का राज्य सरकारों से उन्हें निधि की उपलब्धता से यह नहीं माना जायेगा कि अधिसूचित निजी क्षेत्र के अभिकरणों को गवेषित क्षेत्र में कोई खनिज रियायत की मंजूरी मिल गई है। ऐसे गवेषित क्षेत्र में खनिज रियायत (समग्र अनुज्ञप्ति, खनन पट्टा , इत्यादि) की मंजूरी एम.एम.डी.आर. अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली के प्रावधान के अनुसार ही दी जाएगी। किसी भी अधिसूचित निजी क्षेत्र के अभिकरण को उसके द्वारा द्वेषित किसी ब्लॉक अथवा उसके भाग के लिए खनिज रियायत की नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।

(v) गवेषण कार्य कर रहे अधिसूचित निजी क्षेत्र के गवेषण अभिकरणों को एम.सी.डी.आर., 2017 के नियम 9 के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट और अंतिम भूविज्ञान संबंधी रिपोर्ट राज्य सरकार एवं भारतीय खान ब्यूरो के क्षेत्रीय नियंत्रक अथवा प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी।

3.2. राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित निजी क्षेत्र के गवेषण अभिकरणोंकी नियुक्ति का तरिका और उनकी फंडिंग :-

3.2.1. तरीका 'क' :- निजी गवेषण अभिकरण द्वारा निर्मित खनिज गवेषण परियोजनाएं तथा एन.एम.ई.टी. द्वारा फंडिंग

(i) अधिसूचित निजी क्षेत्र का गवेषण अभिकरण उपलब्ध डाटा पर आधारित गवेषण हेतु क्षेत्र का चयन कर सकता है तथा राज्य सरकार को उसके सम्बन्ध में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। भूविज्ञान डाटा ओ.सी.बी.आई.एस./ भूकोश पोर्टल में निःशुल्क उपलब्ध भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के बेसलाइन भू-विज्ञान डाटा-बेस, अन्य सरकार के डाटा बेस अथवा निजी अभिकरणों, आदि के डाटा बेस से हासिल किया जा सकता है।

(ii) अधिसूचित निजी क्षेत्र के गवेषण अभिकरण क्षेत्र, खनिज वस्तु इत्यादि का ब्यौरा देते हुए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं । इसमें अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में राज्य सरकार को गवेषण कार्य के लिए प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है।

(iii) राज्य सरकार आवेदन की जाँच करेगी तथा आवेदन की प्राप्ति तिथि से एक महीने के भीतर 'सिद्धांत' रूप में अनुमोदन दे सकती है अथवा निरस्त कर सकती है।

(iv) अनुमोदन के पश्चात अधिसूचीत निजी क्षेत्र के गवेषण अभिकरण गवेषण प्रस्ताव तैयार करेंगे और राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे जिसमें एन.एम.ई.टी. द्वारा निर्धारित प्रपत्र में भाविक्षण अथवा पूर्वेक्षण स्कीम भी होगा।

(v) प्रस्ताव की जाँच के पश्चात राज्य सरकार, यदि प्रस्ताव स्वीकार्य है, एन.एम.ई.टी. के माध्यम से गवेषण प्रभालन कार्य की फंडिंग के लिए एन.एम.ई.टी. को अग्रेषित करेगी।

(vi) एन.एम.ई.टी. को प्रस्तुत प्रस्ताव का एन.एम.ई.टी. द्वारा निर्धारित कार्य विधि के अनुसार मूल्यांकन और अनुमोदन किया जायेगा। सम्बंधित अधिसूचित निजी क्षेत्र के गवेषण अभिकरण एन.एम.ई.टी. के समक्ष प्रस्ताव का प्रतिवाद के लिए उत्तरदायी होंगे।

(vii) एन.एम.ई.टी. राज्य सरकार को संस्वीकृति आदेश जारी करेगी तथा एन.एम.ई.टी. द्वारा ही सभी प्रकार के अग्रिम और भूगतान राज्य सरकार को सीधे किया जाएगा । तत्पश्चात राज्य सरकार सुसंगत गवेषण प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले अधिसूचित निजी क्षेत्र के गवेषण अभिकरण से कार्य कराएगी और इस उद्देश्य हेतु निजी क्षेत्र के गवेषण अभिकरण को भुगतान करेगी । राज्य सरकार एन.एम.ई.टी. द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से एन.एम.ई.टी. को आवधिक रूप से उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी।

(viii) अधिसूचित निजी क्षेत्र के गवेषण अभिकरण एन.एम.ई.टी. द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से एन.एम.ई.टी. और राज्य सरकार को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

(ix) राज्य सरकार भूवैज्ञानिक रिपोर्ट की तकनीकी रूप से जाँच करेगी तथा संभावित खनिज ब्लॉक के बारे में निर्णय लेगी जिसे आगे निलामी के लिए लिया जाएगा । (राज्य सरकार खनिज निलामी नियमावली), 2015 निर्धारित कार्य विधि के अनुसार ब्लॉक की निलामी करेगी, ताकि समग्र अनुज्ञप्ति अथवा खनन पट्टा, जैसा भी मामला हो, की मंजूरी डी जा सकें। राज्य सरकार भूवैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करने वाले अधिसूचित निजी क्षेत्र के गवेषण अभिकरण का नाम निविदा दस्तावेज में जिक्र करेगी।

3.2.2. तरीका 'ख' :- राज्य सरकार द्वारा निर्मित खनिज गवेषण परियोजनाएं तथा एन.एम.ई.टी. द्वारा फंडिंग

(i) वर्तमान में राज्य सरकारें उपलब्ध बेसलाईन भूविज्ञान डाटा का विश्लेषण कर स्वयं खनिज गवेषण प्रस्ताव बनाती हैं तथा एन.एम.ई.टी. से फंडिंग का अनुरोध करती है। राज्य सरकारें विभागीय जनशक्ति की नियुक्ति कर अतवा केंद्र या राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों के द्वारा अपने राज्य के भूविज्ञान एवं (जी.डी.एम.) विभाग माध्यम से इन प्रस्तावों को प्रत्यक्ष रूप से कार्यान्वित करती हैं।

(ii) ऐसे मामले में राज्य सरकार गवेषण से लेकर अंतिम भूवैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करने तक का कार्य करने के लिए सभी अधिसूचित निजी क्षेत्र के गवेषण अभिकरणों में से सीमित निविदा के द्वारा चयन कर किसी भी अधिसूचित निजी क्षेत्र के गवेषण अभिकरण को नियुक्त कर सकती है । आगे, इन मामलों में जहाँ सड़क सरकार परियोजना की सभी का कुछ तत्वों को आउटडोर करने का फैसला करती है, वहन अधिसूचित निजी क्षेत्र के गवेषण अभिकरणों को भी उसके लिए चयन प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति है।

(iii) अधिसूचित निजी क्षेत्र के गवेषण अभिकरण गवेषण प्रचालन कार्य करने के लिए इस स्कीम में निर्धारित सभी शर्तों का अनुपालन करेंगे।

3.2.3. तरीका 'ग' :- राज्य सरकार द्वारा निर्मित खनिज गवेषण परियोजनाएं एवं राज्य सरकार द्वारा ही फंडिंग

राज्य सरकार तरीका 'क' एवं 'ख' के अंतर्गत निर्धारित तरीकों से स्वयं द्वारा फंडिंग कर परियोजनाओं में अधिसूचित निजी क्षेत्र के गवेषण अभिकरणों को नियुक्त कर सकती है।

खान मंत्रालय
भारत सरकार

गवेषण करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने का प्रारूप

सेवा में,
निदेशक,
खनन एवं भूविज्ञान विभाग,
...........सरकार [राज्य सरकार का नाम]

महोदया/महोदय,

मैं/हम खान मंत्रालय के दिनांक .... आदेश सं. .... द्वारा जारी खनिज गवेषण में अधिसूचित निजी गवेषण एजेंसियों की भागीदारी की योजना के तरीका-क के तहत एनएमईटी को टोही या पूर्वेक्षण योजना प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार की 'सैद्धांतिक' मंजूरी देने के लिए निम्नलिखित ब्योरा प्रस्तुत कर रहा हूँ/रहे हैं।

1. आवेदक का नाम और पता

क	नाम:	
ख	डाक पता:	
ग	दूरभाष नंबर (कार्यालय):	
घ	फैक्स नंबर (कार्यालय):	
ङ	मोबाइल नंबर.:	
च	टेलीफोन नंबर (आवास):	
छ	ईमेल:	

2. एमएमडीआर अधिनियम की धारा 4(1) के परंतुक के तहत निजी गवेषण एजेंसी के रूप में मान्यता और अधिसूचना का ब्योरा

क	क्यूसीआई–एनएबीईटी द्वारा प्रदत्त मान्यता की तारीख:	
ख	मान्यता समाप्ति की तारीख:	
ग	एमएमडीआर अधिनियम की धारा 41 के परंतुक के तहत अधिसूचना की तारीख:	
घ	अधिसूचना की समाप्ति की तारीख:	
ङ	अधिसूचना के तहत गवेषण एजेंसी की श्रेणी (श्रेणी क और ख):	

3. प्रस्तावित क्षेत्र के स्थान का ब्योरा

क	राज्य	
ख	जिला (जिले)	
ग	आसपास के गांव	
घ	भारतीय सर्वेक्षण विभाग (एसओआई) की टोपोशीट संख्या	
ङ	क्षेत्रफल वर्ग किमी में	
च	प्रस्तावित ब्लॉक के सीमा निर्देशांक (डिग्री दशमलव में)	

4. क्षेत्र की खनिज क्षमता

क	क्षेत्र/ब्लॉक में चिन्हित/अपेक्षित खनिजों का नाम	
ख	जिसके आधार पर क्षेत्र में खनिज क्षमता की पहचान की गई है	
ग	उपरोक्त मद (ख) के समर्थन में प्रयुक्त दस्तावेज़ों और संदर्भों की सूची।	

5. आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज

i. भारतीय सर्वेक्षण विभाग (एसओआई) टोपोशीट संख्या पर सीमांकित प्रस्तावित ब्लॉक का स्थान।

ii. उपर्युक्त मद 4(ग) में उल्लिखित दस्तावेज़।

स्थान.

तारीख. आवेदक के हस्ताक्षर

अनुबंध - 9

एनएमईटी फंड के माध्यम से वित्तीय सहायता के लिए मशीनरी/प्रयोगशाला उपकरण/उपकरणों की खरीद की विस्तृत सूची

क. फ़ील्ड उपकरण

1. डिजिटल कैमरा
2. ब्रंटन कम्पास
3. भूविज्ञानी हथौड़ा
4. हैंडहेल्ड जीपीएस
5. यूवी लैंप
6. हैंडहेल्ड एक्सआरएफ
7. सिंटिलोमीटर

ख. नमूना प्रसंस्करण/तैयारी

1. रॉक कटिंग, पॉलिशिंग और माउंटिंग यूनिट
2. पल्वेरीज़ेर
3. स्टीरियो ज़ूम माइक्रोस्कोप
4. पोलाराईजिंग माइक्रोस्कोप
5. सॉफ्टवेयर से जुड़े कैमरे के साथ संचारित और परावर्तित प्रकाश अनुसंधान माइक्रोस्कोप
6. अल्ट्रासोनिक छलनी क्लीनर के साथ स्वचालित छलनी शेकर डिजिटल रिकॉर्डर
7. शेकिंग टेबल
8. रोटरी नमूना डिवाइडर
9. चुंबकीय विभाजक
10. जॉव क्रशर
11. . प्लैटिनम क्रूसिबल
12. वाइब्रेटिंग कप मिल
13. नमी संतुलन
14. विस्कोसिटी उपकरण
15. प्लैनेटरी बॉल मिल (पीबीएम)

ग. रासायनिक एवं पेट्रोलॉजिकल प्रयोगशाला

1. डब्ल्यूडी-एक्सआरएफ
2. फ्यूजन बीड मशीन
3. प्रेस पेलैट मशीन
4. एएएस
5. अग्नि परख
6. आईसीपी-एमएस
7. हॉट प्लेट्स
8. मफल फर्नेस/प्रोक्सिमेट एनालाइजर
9. एयर ओवन
10. बॉम्ब कैलोरीमीटर
11. जल विश्लेषक किट (Ph, DO चालकता, लवणता)
12. यूवी विज़िबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर
13. पीएच मीटर
14. चालकता मीटर
15. आयन चयनात्मक इलेक्ट्रोमीटर (फ्लोराइड के लिए)
16. धूआं हुड
17. मिलिपोर जल शोधन प्रणाली
18. विश्लेषणात्मक वजन संतुलन
19. रेफ्रेक्टोमीटर
20. चुंबकीय संवेदनशीलता मीटर
21. डिजिटल विस्कोमीटर
22. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वजन मापने का पैमाना
23. उच्च क्षमता वाली माइक्रोवेव सैम्पल डाइजेशन इकाई
24. भारी द्रव पृथक्करण सुविधा
25. केन्द्रापसारक सांद्रक
26. प्रमाणित संदर्भ सामग्री (सीआरएम)
27. एक्सआरडी उपकरण
28. फ्लोरोसेंट स्पेक्ट्रोमीटर
29. फोटो मीटर
30. मैलापन मीटर
31. जेमीक्रॉस्कोप
32. डाइक्रोस्कोप
33. पोलारिस्कोप
34. स्पेक्ट्रोस्कोप

घ. ड्रिलिंग गतिविधियाँ

1. 1000 मीटर क्षमता तक की ड्रिलिंग मशीन।
2. 600 मीटर से 1000 मीटर क्षमता वाली हाइड्रोस्टैटिक ट्रक पर लगी ड्रिल मशीन।
3. बिट्स, ड्रिल रॉड्स, केसिंग, कोर बैरल
4. पंप (दबाव/कीचड़)
5. कोर स्प्लिटर/कोर स्प्लिटर हाइड्रोस्टैटिक
6. ट्रक पर लगे हाइड्रोस्टेटिक रिग 300 मीटर/ 600 मीटर/1000 मीटर
7. केसिंग 50%
8. 05 कोर बैरल एनक्यू एवं 10 कोर बैरल मुख्यालय
9. सहायक उपकरण के साथ तिपाई/डेरिक
10. ट्रैक्टर माउंटेड रिग
11. डायमंड कोर बिट मुख्यालय, पीक्यू, एनक्यू-25 नग।

ङ. मानचित्र तैयार करने और डेटा विश्लेषण के लिए सॉफ्टवेयर

1. जीआईएस सॉफ्टवेयर
2. सर्फर
3. कोरल ड्रा
4. जियोविया सरपैक

च. सर्वे

1. डी.जी.पी.एस
2. कुल स्टेशन
3. बोरहोल कैमरा
4. प्रतिरोधकता-विभव मीटर
5. प्रतिरोधकता मीटर
6. आयन चयनात्मक इलेक्ट्रोड

छ. भूभौतिकीय गतिविधियाँ

1. आईपी प्रतिरोधकता 5 किलोवाट
2. मल्टी इलेक्ट्रोड-आईपी प्रतिरोधकता (उथली गहराई - 3 किलोवाट)
3. मल्टी-पैरामीटर लॉगर
4. मैग्नेटोमीटर
5. गामा रे स्पेक्ट्रोमीटर
6. डिजिटल प्रतिरोधकता संभावित मीटर (डीआरपीएम)

ज. फ़ील्ड उपकरण

1. मल्टीपैरा मीटर जल परीक्षक (पीएच, चालकता, टीडीएस, लवणता, तापमान)
2. ट्रिपलेट लूप

खान मंत्रालय
भारत सरकार

अनुबंध - 10

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए खरीद परियोजनाएं

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	राज्य/ मुख्यालय	टीसीसी	में अनुमोदित	क्रियान्वयन एजेंसी	अनुमोदित लागत (₹ लाख में)
1	एनएमईटी निधि के माध्यम से वेवलेंथ डिस्पर्सिव एक्स-रे फ्लोरोसेंस (डब्ल्यूडी-एक्सआरएफ) स्पेक्ट्रोमीटर की खरीद।	नागपूर	32वां टीसीसी 10.08.2021 और 11.08.2021	24वीं ईसी दिनांक 18.05.2022 को	आईबीएम	300.00
2	एनएमईटी फंड के माध्यम से इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा-मास स्पेक्ट्रोमीटर (आईसीपी-एमएस) की खरीद।	नागपूर	32वां टीसीसी 10.08.2021 और 11.08.2021	24वीं ईसी दिनांक 18.05.2022 को	आईबीएम	200.00
3	आउटसोर्स किए गए भू-गुरुत्व-चुंबकीय सर्वेक्षण के डेटा सत्यापन के लिए भूभौतिकीय उपकरण की खरीद और एनजीपीएम और एनएजीएमपी से प्राप्त अनुशंसित खनिज लक्ष्यों पर अनुवर्ती सर्वेक्षण।	कोलकाता	41वीं टीसीसी 30.05.2022 और 31.05.2022	25वीं ईसी 029.06.2022	जीएसआई	3217.50
4	प्रेषित/घटना प्रकाश और तेल विसर्जन उद्देश्यों के साथ अयस्क/ध्रुवीकरण माइक्रोस्कोप की खरीद।	कोलकाता	41वीं टीसीसी 30.05.2023 और 31.05.2023	25वीं ईसी 029.06.2022	डीजीएम, कर्नाटक	25.00
5	.जीएसआई के भू-गुरुत्व-चुंबकीय मानचित्रण में क्षमता वृद्धि के लिए भूभौतिकीय उपकरणों की खरीद।	कोलकाता	47वीं टीसीसी 28.11.2022 और 29.11.2022	27वीं ईसी दिनांक 10.01.2023 को	जीएसआई	7020.00
6	आधुनिक खनिज प्रसंस्करण प्रयोगशाला, आईबीएम, नागपुर के लिए प्रयोगशाला पैमाने पर खनिज प्रसंस्करण उपकरणों, लक्षण वर्णन और विश्लेषण उपकरणों की खरीद।	नागपूर	47वीं टीसीसी 28.11.2022 और 29.11.2022	27वीं ईसी दिनांक 10.01.2023 को	आईबीएम	1180.00
7	क्षेत्रीय खनिज प्रसंस्करण प्रयोगशाला, बेंगलुरु के लिए प्रयोगशाला पैमाने के खनिज प्रसंस्करण उपकरण, लक्षण वर्णन और विश्लेषण उपकरणों की खरीद।	नागपूर	47वीं टीसीसी 28.11.2022 और 29.11.2022	27वीं ईसी दिनांक 10.01.2023 को	आईबीएम	760.00

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	राज्य/ मुख्यालय	टीसीसी	में अनुमोदित	क्रियान्वयन एजेंसी	अनुमोदित लागत (₹ लाख में)
8	अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से मशीनरी/ प्रयोगशाला उपकरण/यंत्र आदि की खरीद।	कोलकाता	47वीं टीसीसी 28.11.2022 और 29.11.2022	27वीं ईसी दिनांक 10.01.2023	महाराष्ट्र, कोलकाता	417.00
9	अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से मशीनरी/ प्रयोगशाला उपकरण/यंत्र आदि की खरीद।	महाराष्ट्र	47वीं टीसीसी 28.11.2022 और 29.11.2022	27वीं ईसी दिनांक 10.01.2023	महाराष्ट्र, महाराष्ट्र	442.62
10	अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से मशीनरी/ प्रयोगशाला उपकरण/यंत्र आदि की खरीद।	असम	47वीं टीसीसी 28.11.2022 और 29.11.2022	27वीं ईसी दिनांक 10.01.2023	डीजीएम, असम	107.00
11	अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से मशीनरी/ प्रयोगशाला उपकरण/यंत्र आदि की खरीद।	असम	48वीं टीसीसी 22.12.2022 और 23.12.2022	27वीं ईसी दिनांक 10.01.2023	डीजीएम, असम	403.65
12	से मशीनरी/प्रयोगशाला उपकरण/यंत्र आदि की खरीद।	मणिपुर	48वीं टीसीसी 22.12.2022 और 23.12.2022	27वीं ईसी दिनांक 10.01.2023 को	मणिपुर	221.35
13	अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से मशीनरी/ प्रयोगशाला उपकरण/यंत्र आदि की खरीद।	मिजोरम	48वीं टीसीसी 22.12.2022 और 23.12.2022	27वीं ईसी दिनांक 10.01.2023 को	मिजोरम	269.32
14	अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से मशीनरी/ प्रयोगशाला उपकरण/यंत्र आदि की खरीद।	राजस्थान	48वीं टीसीसी 22.12.2022 और 23.12.2022	27वीं ईसी दिनांक 10.01.2023 को	राजस्थान	470.20
15	अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से मशीनरी/ प्रयोगशाला उपकरण/यंत्र आदि खरीदने के लिए एनएमईटी निधि से वित्तीय सहायता।	सिक्किम	48वीं टीसीसी 22.12.2022 और 23.12.2022	28 ईसी 16.03.2023	डीजीएम, सिक्किम	207.00

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	राज्य/ मुख्यालय	टीसीसी	में अनुमोदित	क्रियान्वयन एजेंसी	अनुमोदित लागत (₹ लाख में)
16	अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से मशीनरी/ प्रयोगशाला उपकरण/यंत्र आदि खरीदने के लिए एनएमईटी निधि से वित्तीय सहायता।	नागालैंड	48वीं टीसीसी 22.12.2022 और 23.12.2022	28 ईसी 16.03.2023	डीजीएम, नागालैंड	481.00
17	अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से मशीनरी/ प्रयोगशाला उपकरण/यंत्र आदि खरीदने के लिए एनएमईटी निधि से वित्तीय सहायता।	अरुणाचल प्रदेश	48वीं टीसीसी 22.12.2022 और 23.12.2022	28 ईसी 16.03.2023	डीजीएम, अरुणाचल प्रदेश	81.00
18	अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से मशीनरी/ प्रयोगशाला उपकरण/यंत्र आदि खरीदने के लिए एनएमईटी निधि से वित्तीय सहायता।	लद्दाख	50वीं टीसीसी 2.03.2023 और 3.03.2023	28 ईसी 16.03.2023	डीजीएम, लद्दाख	206.00
19	अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से मशीनरी/ प्रयोगशाला उपकरण/यंत्र आदि खरीदने के लिए एनएमईटी निधि से वित्तीय सहायता।	उत्तर प्रदेश	49वीं टीसीसी 30.01.2023 से 31.01.2023	28 ईसी 16.03.2023	डीजीएम, उत्तर प्रदेश	77.00
20	अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से मशीनरी/ प्रयोगशाला उपकरण/यंत्र आदि खरीदने के लिए एनएमईटी निधि से वित्तीय सहायता।	छत्तीसगढ़	50वीं टीसीसी 2.03.2023 और 3.03.2023	28 ईसी 16.03.2023	डीजीएम, छत्तीसगढ़	478.00
21	अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से मशीनरी/ प्रयोगशाला उपकरण/यंत्र आदि खरीदने के लिए एनएमईटी निधि से वित्तीय सहायता।	तमिलनाडु	49वीं टीसीसी 30.01.2023 से 31.01.2023	28 ईसी 16.03.2023	डीजीएम, तमिलनाडु	499.00
22	अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से मशीनरी/ प्रयोगशाला उपकरण/यंत्र आदि खरीदने के लिए एनएमईटी निधि से वित्तीय सहायता।	झारखंड	49वीं टीसीसी 30.01.2023 से 31.01.2023	28 ईसी	16.03.2023	डीएमजी, झारखंड

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	राज्य/ मुख्यालय	टीसीसी	में अनुमोदित	क्रियान्वयन एजेंसी	अनुमोदित लागत (₹ लाख में)
23	अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से मशीनरी/ प्रयोगशाला उपकरण/यंत्र आदि खरीदने के लिए एनएमईटी निधि से वित्तीय सहायता।	बिहार	51वीं टीसीसी 27.03.2023 और 28.03.2023	29 ईसी 31.03.2023	डीएमजी, बिहार	15.50
24	अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से मशीनरी/ प्रयोगशाला उपकरण/यंत्र आदि खरीदने के लिए एनएमईटी निधि से वित्तीय सहायता।	गोवा	51वीं टीसीसी 27.03.2023 और 28.03.2023	29 ईसी 31.03.2023	डीएमजी, गोवा	35.96
25	अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से मशीनरी/ प्रयोगशाला उपकरण/यंत्र आदि खरीदने के लिए एनएमईटी निधि से वित्तीय सहायता।	जम्मू और कश्मीर	51वीं टीसीसी 27.03.2023 और 28.03.2023	29 ईसी 31.03.2023	शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर	144.56
26	अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से मशीनरी/ प्रयोगशाला उपकरण/यंत्र आदि खरीदने के लिए एनएमईटी निधि से वित्तीय सहायता।	मध्य प्रदेश	51वीं टीसीसी 27.03.2023 और 28.03.2023	29 ईसी 31.03.2023	डीजीएम, मध्य प्रदेश	161.35
27	अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से मशीनरी/ प्रयोगशाला उपकरण/यंत्र आदि खरीदने के लिए एनएमईटी निधि से वित्तीय सहायता।	मिजोरम	48वीं टीसीसी 22.12.2022 और 23.12.2022	29 ईसी 31.03.2023	डीजीएम, मिजोरम	196
28	अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से मशीनरी/ प्रयोगशाला उपकरण/यंत्र आदि खरीदने के लिए एनएमईटी निधि से वित्तीय सहायता।	नागालैंड	50वीं टीसीसी 2.03.2023 और 3.03.2023	29 ईसी 31.03.2023	डीजीएम, नागालैंड	14.25
29	अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से मशीनरी/ प्रयोगशाला उपकरण/यंत्र आदि खरीदने के लिए एनएमईटी निधि से वित्तीय सहायता।	पश्चिम बंगाल	49वीं टीसीसी 30.01.2023 से 31.01.2023	29 ईसी 31.03.2023	डीएमएम, पश्चिम बंगाल	54.50

अनुबंध - 11

वित्त वर्ष 2022-23 में आधारभूत भू-वैज्ञानिक परियोजनाओं की सूची

भारत के ओजीपी और आसपास के क्षेत्रों पर जीएसआई द्वारा मल्टीसेंसर एयरो-भूभौतिकीय सर्वेक्षण						
क्र.सं.	**ब्लॉक का नाम**	**राज्य/ मुख्यालय**	**टीसीसी**	**में अनुमोदित**	**क्रियान्वयन एजेंसी**	**अनुमोदित लागत (₹ लाख में)**
1	राष्ट्रीय वायुजनित भूभौतिकीय मानचित्रण कार्यक्रम (एनएजीएमपी) के चरण-II के अंतर्गत ब्लॉक-14 और 15 पर बहु-सेंसर वायुभूभौतिकीय सर्वेक्षणों के गुणवत्ता आश्वासन/ गुणवत्ता नियंत्रण (क्यूए/क्यूसी) की निगरानी के लिए तकनीकी पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण (टीएस-क्यूसी) परामर्शदाता को नियुक्त करना।	कर्नाटक/ आंध्रप्रदेश	41वीं टीसीसी 30.05.2022 और 31.05.2022	25वीं ईसी 029.06.2022	जीएसआई	519.33924
2	भूभौतिकीय तकनीकों द्वारा गहरे बैठे खनिज पूर्वानुमान: कल्याणदुर्ग- थिम्मासमुद्रम- चिगिचेरला, जिला: अनंतपुर, आंध्र प्रदेश के लिथोस्फेरिक संरचना और किम्बरलाइट क्लस्टर्स के साथ संबंध।	कर्नाटक/ आंध्रप्रदेश	टीसीसी 30.05.2022 और 31.05.2022	25वीं ईसी 029.06.2022	जीएसआई	259.97784

अनुबंध - 12

वित्त वर्ष 2022-23 में एनएमईटी की स्वीकृत परियोजनाएं अन्वेषण

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	अवस्था	टीसीसी	राज्य	सामान	क्रियान्वयन एजेंसी	कुल लागत (₹ लाख में)	में अनुमोदित	अनुमोदित ड्रिलिंग (मीटर)
1	पवनचोरा सेंट्रल ब्लॉक, वर्धा वैली कोलफील्ड, जिला: चंद्रपुर, महाराष्ट्र।	जी4	31वीं टीसीसी 08.07.2021& 09.07.2021	महाराष्ट्र	कोयला	सीएमपीडीआई	443.580	24वीं ईसी दिनांक 18.05.2022 को	4700
2	दामुदा ब्लॉक के दक्षिण में, झरिया कोलफील्ड, जिला: धनबाद, झारखंड	जी2	31वीं टीसीसी 08.07.2021& 09.07.2021	झारखंड	कोयला	सीएमपीडीआई	1124.870	24वीं ईसी दिनांक 18.05.2022 को	11390
3	परबेलिया के उत्तर में, रानीगंज कोयला क्षेत्र, जिला: पुरुलिया, पश्चिम बंगाल।	जी3	31वीं टीसीसी 08.07.2021& 09.07.2021	बंगाल	कोयला	सीएमपीडीआई	285.768	24वीं ईसी दिनांक 18.05.2022 को	2900
4	.बोरदा और घोन्सा-परसोदा ब्लॉक के पश्चिम, वर्धा वैली कोलफील्ड, जिला: चंद्रपुर, महाराष्ट्र	जी3	32वां टीसीसी 10.08.2021& 11.08.2021	महाराष्ट्र	कोयला	सीएमपीडीआई	1201.570	24वीं ईसी दिनांक 18.05.2022 को	14500
5	.राजथारी के उत्तर में, पेंच कन्हान तवा घाटी कोयला क्षेत्र, जिला: छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश।	जी3	32वां टीसीसी 10.08.2021& 11.08.2021	मध्य प्रदेश	कोयला	सीएमपीडीआई	1388.233	24वीं ईसी दिनांक 18.05.2022 को	16900
6	चानो-रिकबा कोल ब्लॉक के पश्चिम, उत्तरी करणपुरा कोलफील्ड, जिला: हजारीबाग, झारखंड	जी3	33वां टीसीसी 09.09.2021 और 10.09.2021	झारखंड	कोयला	सीएमपीडीआई	374.863	24वीं ईसी दिनांक 18.05.2022 को	3470
7	लाब्जी पुसला ब्लॉक के उत्तर में, सोनहत कोलफील्ड, जिला: कोरिया, छत्तीसगढ़.	जी3	33वां टीसीसी 09.09.2021 और 10.09.2021	छत्तीसगढ़	कोयला	सीएमपीडीआई	311.793	24वीं ईसी दिनांक 18.05.2022 को	3000
8	चूल्हा भुलिया ब्लॉक (8.77 वर्ग किमी) के उत्तर में, सोहागपुर कोलफील्ड, जिला: अनूपपुर, मध्य प्रदेश।	जी4	34वीं टीसीसी 28.10.2021 और 29.10.2021	मध्य प्रदेश	कोयला	सीएमपीडीआई	255.687	24वीं ईसी दिनांक 18.05.2022	2550
9	शीतलधारा ब्लॉक (3.94 वर्ग किमी) के पश्चिम में, सोहागपुर कोलफील्ड, जिला: अनूपपुर, मध्य प्रदेश।	जी3	34वीं टीसीसी 28.10.2021 और 29.10.2021	मध्य प्रदेश	कोयला	सीएमपीडीआई	97.634	24वीं ईसी दिनांक 18.05.2022	800
10	उलिया-गम्हाड़डीह ब्लॉक, बिस्रामपुर कोलफील्ड के पूर्व में, जिला: सरगुजा, छत्तीसगढ़।	जी3	35वीं टीसीसी 29.11.2021 और 30.11.2021	छत्तीसगढ़	कोयला	सीएमपीडीआई	231.232	24वीं ईसी दिनांक 18.05.2022	1300
11	पेरियाकुरिची ब्लॉक (1.88 वर्ग किमी) जिला: अरियालुर, तमिलनाडु	जी3	39वीं टीसीसी 29.03.2022 और 30.03.2022	तमिलनाडु	चूना पत्थर	एमईसीएल	96.371	24वीं ईसी दिनांक 18.05.2022	400
12	सेंदुरई से मारुवाथुर ब्लॉक (1.54 वर्ग किमी) जिला: अरियालुर, तमिलनाडु।	जी3	39वीं टीसीसी 29.03.2022 और 30.03.2022	तमिलनाडु	चूना पत्थर	एमईसीएल	95.738	24वीं ईसी दिनांक 18.05.2022	400

13	सालेवाड़ा-कुमारवाड़ा-मुरुम ब्लॉक (52.00 वर्ग किमी), जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।	जी4	39वीं टीसीसी 29.03.2022 और 30.03.2022	छत्तीसगढ़	निकल, तांबा और संबंधित खनिज	एमईसीएल	38.683	24वीं ईसी दिनांक 18.05.2022	0
14	पहाड़ी कलां-गोरा कलां ब्लॉक, जिला: ललितपुर, उत्तर प्रदेश।	जी3	39वीं टीसीसी 29.03.2022 और 30.03.2022	उत्तर प्रदेश	फास्फोराइट	एमईसीएल	361.500	24वीं ईसी दिनांक 18.05.2022	1085
15	टीकमगढ़ (फेज- I) क्लस्टर- जिसमें चार उप-ब्लॉक-ए से डी शामिल हैं (क्लस्टर का कुल क्षेत्रफल- 109.68 वर्ग किमी), जिला: टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।	जी3	40वीं टीसीसी 27.04.2022 और 28.04.2022	मध्य प्रदेश	हीरा	एमईसीएल	100.913	24वीं ईसी दिनांक 18.05.2022	500
16	हरदताल ब्लॉक (1.38 वर्ग किमी), जिला: बलांगीर, ओडिशा।	जी3	41वीं टीसीसी 30.05.2022 और 31.05.2022	ओडिशा	मैंगनीज	डीजीएम, ओडिशा	159.26	25वीं ईसी 029.06.2022	560
17	रोंघा ब्लॉक (38.34 वर्ग किमी), जिला: नागपुर, महाराष्ट्र।	जी3	41वीं टीसीसी 30.05.2022 और 31.05.2022	महाराष्ट्र	मैंगनीज	डीजीएम, महाराष्ट्र	90.17	25वीं ईसी 029.06.2022	300
18	सावलहिरा ब्लॉक (4.04 वर्ग किमी), जिला: चंद्रपुर, महाराष्ट्र।	जी3	41वीं टीसीसी 30.05.2022 और 31.05.2022	महाराष्ट्र	चूनापत्थर	डीजीएम, महाराष्ट्र	73.73	25वीं ईसी 029.06.2022	360
19	चुपरभिता ब्लॉक (24.57 वर्ग किमी) के पश्चिम में कोयले के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी 3), राजमहल कोयला क्षेत्र, जिला: गोड्डा, झारखंड।	जी3	42वां टीसीसी 23.06.2022 और 24.06.2022	झारखंड	कोयला	सीएमपीडीआई	248.01	25.08.2022 को 26वीं ईसी	2200
20	कोयले के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी3), उर्धन जमुनिया ब्लॉक के पश्चिम, पेंच कन्हान तवा घाटी कोलफील्ड, जिला: छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश।.	जी3	42वां टीसीसी 23.06.2022 और 24.06.2022	मध्य प्रदेश	कोयला	सीएमपीडीआई	437.99	25.08.2022 को 26वीं ईसी	4700
21	तुबेद ब्लॉक (11.89 वर्ग किमी) के पश्चिम में कोयले के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी 3), औरंगा कोलफील्ड, जिला: लातेहार, झारखंड।	जी3	43वां टीसीसी 28.07.2022 और 29.07.2022	झारखंड	कोयला	सीएमपीडीआई	339.04	25.08.2022 को 26वीं ईसी	2700
22	गढ़पत ब्लॉक (1.63 वर्ग किमी) में बॉक्साइट के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी 3), जिला: लोहरदगा, झारखंड।	जी3	43वां टीसीसी 28.07.2022 और 29.07.2022	झारखंड	बॉक्साइट	सीएमपीडीआई	82.82	25.08.2022 को 26वीं ईसी	200
23	सालेपाली ब्लॉक (12.19 वर्ग किमी), जिला: बलांगीर, ओडिशा में ग्रेफाइट और मैंगनीज के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी3)	जी3	42वां टीसीसी 23.06.2022 और 24.06.2022	ओडिशा	ग्रेफाइट और मैंगनीज	एमईसीएल	165.55	25.08.2022 को 26वीं ईसी	480
24	गोविंदपुर ब्लॉक (82.45 वर्ग किमी), जिला: दतिया, मध्य प्रदेश में टंगस्टन, टिन और दुर्लभ धातुओं के लिए पुनरीक्षण सर्वेक्षण (जी4)	जी4	43वां टीसीसी 28.07.2022 और 29.07.2022	मध्य प्रदेश	टंगस्टन, टिन और दुर्लभ धातुएँ	एमईसीएल	169.42	25.08.2022 को 26वीं ईसी	500

25	झेरिया ब्लॉक (100.31 वर्ग किमी) में हीरे के लिए टोही सर्वेक्षण (जी4), जिला: जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़	जी4	43वां टीसीसी 28.07.2022 और 29.07.2022	छत्तीसगढ़	हीरा	एनएमडीसी	245.66	25.08.2022 को 26वीं ईसी	500
26	.थापेन और बजरगढ़ ब्लॉक (116.49 वर्ग किमी) में ग्रेफाइट के लिए पुनरीक्षण सर्वेक्षण (जी4), जिला: कालाहांडी, ओडिशा।	जी4	42वां टीसीसी 23.06.2022 और 24.06.2022	ओडिशा	ग्रेफाइट	ओएमईसीएल	168.35	25.08.2022 को 26वीं ईसी	500
27	लामेर-पंगा ब्लॉक (49.08 वर्ग किमी) में ग्रेफाइट के लिए पुनरीक्षण सर्वेक्षण (जी4), जिला: कालाहांडी, ओडिशा	जी4	42वां टीसीसी 23.06.2022 और 24.06.2022	ओडिशा	ग्रेफाइट	ओएमईसीएल	146.69	25.08.2022 को 26वीं ईसी	500
28	लामेर-पंगा ब्लॉक ए (13.99 वर्ग किमी) में ग्रेफाइट के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी 3), जिला: कालाहांडी, ओडिशा।	जी3	44वीं टीसीसी 25.07.2022 और 26.07.2022	ओडिशा	ग्रेफाइट	ओएमईसीएल	232.66	27वीं ईसी दिनांक 10.01.2023	1000
29	जिला: क्योंझर, ओडिशा में ठकुरानी ब्लॉक (1.399 वर्ग किमी) में लौह अयस्क के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी 3)।	जी3	44वीं टीसीसी 25.07.2022 और 26.07.2022	ओडिशा	Iron ore	ओएमईसीएल	223.08	27वीं ईसी दिनांक 10.01.2023	1000
30	लैमर पंगा ग्रेफाइट ब्लॉक-बी (12.994 वर्ग किमी) कालाहांडी जिला ओडिशा में ग्रेफाइट के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी 3)।	जी3	47वीं टीसीसी 28.11.2022 और 29.11.2022	ओडिशा	ग्रेफाइट	ओएमईसीएल	216.61	27वीं ईसी दिनांक 10.01.2023	900
31	उत्राण नॉर्थ ब्लॉक (10.28 वर्ग किमी) के उत्तर में कोयले के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी 3), सोहागपुर कोयला क्षेत्र, जिला: अनूपपुर, मध्य प्रदेश।	जी3	44वीं टीसीसी 25.07.2022 और 26.07.2022	मध्य प्रदेश	कोयला	सीएमपीडीआई	345.22	27वीं ईसी दिनांक 10.01.2023 को	3000
32	साओनेर (15.16 वर्ग किमी) के उत्तर में, कैम्पटी कोयला क्षेत्र, जिला: नागपुर, महाराष्ट्र में कोयले के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी 3)।	जी3	44वीं टीसीसी 25.07.2022 और 26.07.2022	महाराष्ट्र	कोयला	सीएमपीडीआई	265.02	27वीं ईसी दिनांक 10.01.2023	2250
33	घुघुस और बेलोरा ब्लॉक (39.15 वर्ग किमी) के पश्चिम में कोयले के लिए पुनरीक्षण सर्वेक्षण (जी4), वर्धा घाटी कोलफील्ड, जिला: यवतमाल, महाराष्ट्र।	जी4	44वीं टीसीसी 25.07.2022 और 26.07.2022	महाराष्ट्र	कोयला	सीएमपीडीआई	215.77	27वीं ईसी दिनांक 10.01.2023 को	1800
34	ब्राह्मणी नॉर्थ ब्लॉक (21.73 वर्ग किमी), तालचेर कोलफील्ड, जिला: ढेंकनाल, ओडिशा में कोयले के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी 3)	जी3	44वीं टीसीसी 25.07.2022 और 26.07.2022	ओडिशा	कोयला	सीएमपीडीआई	254.50	27वीं ईसी दिनांक 10.01.2023	2200
35	जमुआ क्षेत्र, जिला: गिरिडीह, झारखंड में जिंक और संबंधित खनिजों के लिए पुनरीक्षण सर्वेक्षण (जी4)।	जी3	47वीं टीसीसी 28.11.2022 और 29.11.2022	झारखंड	जिंक और संबंधित खनिज	सीएमपीडीआई	47.40	27th EC on 10.01.2023	0
36	धुलुअपाट ब्लॉक (4.0 वर्ग किमी), जिला: लोहरदगा और गुमला, झारखंड में बॉक्साइट के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी 3)	जी3	48वीं टीसीसी 22.12.2022 और 23.12.2022	झारखंड	बॉक्साइट	सीएमपीडीआई	82.21	27th EC on 10.01.2023	300

37	चिंताकुंटाला ब्लॉक (5.00 वर्ग किमी) में बेसमेटल (Cu, Pb, Zn) के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (G3), जिला: नलगोंडा, तेलंगाना	जी3	44वीं टीसीसी 25.07.2022 और 26.07.2022	तेलंगाना	आधार धातु	एमईसीएल	232.19	27वीं ईसी दिनांक 10.01.2023 को	800
38	कचलदरा ईस्ट ब्लॉक (5.60 वर्ग किमी) में फॉस्फोराइट के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी3), जिला: झाबुआ, मध्य प्रदेश।	जी3	45वीं टीसीसी 26.09.2022 और 27.09.2022	मध्य प्रदेश	फास्फोराइट	एमईसीएल	180.77	27वीं ईसी दिनांक 10.01.2023 को	500
39	पिंडरा एसडब्लू विस्तार ब्लॉक (40.0 वर्ग किमी) में ग्लौकोनाइटिक बलुआ पत्थर के लिए पुनरीक्षण सर्वेक्षण (जी4), जिला: सतना, मध्य प्रदेश।	जी4	45वीं टीसीसी 26.09.2022 और 27.09.2022	मध्य प्रदेश	ग्लौकोनिटिक बलुआ पत्थर	एमईसीएल	117.43	27वीं ईसी दिनांक 10.01.2023 को	500
40	चंडीपोश ब्लॉक (111.00 वर्ग किमी) में पीजीई, क्रोमियम, निकल, कोबाल्ट के लिए पुनरीक्षण सर्वेक्षण (जी4) जिला: सुंदरगढ़, ओडिशा।	जी4	46वीं टीसीसी 27.10.2022 और 28.10.2022	ओडिशा	पीजीई, निकेल, कोबाल्ट	एमईसीएल	89.90	27वीं ईसी दिनांक 10.01.2023 को	0
41	येंटेम-निंग्थी क्षेत्र (73.00 वर्ग किमी), जिला: कामजोंग (उखरुल), मणिपुर में पीजीई, निकल, क्रोमाइट और संबंधित बेसमेटल खनिजकरण के लिए पुनरीक्षण सर्वेक्षण (जी4)	जी4	46वीं टीसीसी 27.10.2022 और 28.10.2022	मणिपुर	पीजीई, निकेल, क्रोमाइट	एमईसीएल	127.04	27वीं ईसी दिनांक 10.01.2023 को	0
42	.तारीचर खुर्द ब्लॉक (101.00 वर्ग किमी), जिला: निवाड़ी, मध्य प्रदेश में तांबा, सीसा, जस्ता और सोने के लिए सर्वेक्षण (जी 4)।	जी4	46वीं टीसीसी 27.10.2022 और 28.10.2022	मध्य प्रदेश	तांबा, सीसा, जस्ता और सोना	एमईसीएल	49.35	27वीं ईसी दिनांक 10.01.2023 को	0
43	राम का मुन्ना क्षेत्र (40 वर्ग किमी) में फॉस्फोराइट के लिए टोही सर्वेक्षण (जी4) जिला: बांसवाड़ा, राजस्थान।	जी4	47वीं टीसीसी 28.11.2022 और 29.11.2022	राजस्थान	फास्फोराइट	एमईसीएल	49.23	27वीं ईसी दिनांक 10.01.2023 को	0
44	पेंड्रा ब्लॉक (110.362 वर्ग किमी) में टिन और संबंधित खनिजों के लिए टोही सर्वेक्षण (जी 4), जिला: गौरेला-पेंड्रा-मरवाही [बिलासपुर],	जी4	47वीं टीसीसी 28.11.2022 और 29.11.2022	छत्तीसगढ़	टिन और संबंधित खनिज	एमईसीएल	119.79	27वीं ईसी दिनांक 10.01.2023 को	500
45	तालजुरी-गुंचाडीह ब्लॉक (80.0 वर्ग किमी) में मैंगनीज अयस्क के लिए पुनरीक्षण सर्वेक्षण (जी4), जिला: बलांगीर, ओडिशा।	जी4	47वीं टीसीसी 28.11.2022 और 29.11.2022	ओडिशा।	मैंगनीज	एमईसीएल	166.60	27वीं ईसी दिनांक 10.01.2023 को	500
46	कटोरी-झिरिया ब्लॉक (140.22 वर्ग किमी), जिला: बालाघाट, मध्य प्रदेश में मैंगनीज और संबंधित खनिजों के लिए पुनरीक्षण सर्वेक्षण (जी4)।	जी4	47th TCC 28.11.2022 & 29.11.2022	मध्य प्रदेश	मैंगनीज और संबंधित खनिज	एमईसीएल	167.82	27वीं ईसी दिनांक 10.01.2023 को	500
47	मलखेड ब्लॉक- 1 और 2 (18.01 वर्ग किमी), भीमा बेसिन जिला: गुलबर्गा (कलबुर्गी), कर्नाटक में चूना पत्थर के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी 3)।	जी3	48वीं टीसीसी 22.12.2022 और 23.12.2022	कर्नाटक	चूनापत्थर	एमईसीएल	147.77	27वीं ईसी दिनांक 10.01.2023 को	600
48	पिपरहाट-कुबरी ब्लॉक (2.51 वर्ग किमी), जिला: सतना, मध्य प्रदेश में चूना पत्थर, बॉक्साइट और फायर क्ले के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी 3)।	जी3	48th TCC 22.12.2022 & 23.12.2022	मध्य प्रदेश	चूना पत्थर और बॉक्साइट	एमईसीएल	81.10	27वीं ईसी दिनांक 10.01.2023 को	210

49	बंधभुईं क्षेत्र (1.00 वर्ग किमी) के आसपास ग्रेफाइट की उपस्थिति का प्रारंभिक अन्वेषण (जी3), जिला: ढेंकनाल, ओडिशा।	जी3	46वीं टीसीसी 27.10.2022 और 28.10.2022	ओडिशा	ग्रेफाइट	डीजीएम ओडिशा	166.16	27वीं ईसी दिनांक 10.01.2023 को	700
50	नारिंगापंगा ब्लॉक (एस एंड डब्ल्यू) (0.143 वर्ग किमी) ब्लॉक के आसपास ग्रेफाइट के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी 3), जिला: रायगढ़, ओडिशा।	जी3	48वीं टीसीसी 22.12.2022 और 23.12.2022	ओडिशा	ग्रेफाइट	डीजीएम ओडिशा	120.93	27वीं ईसी दिनांक 10.01.2023 को	400
51	खपिया ब्लॉक, उत्तरी करणपुरा कोलफील्ड जिला हरजारीबाग झारखंड में कोयले के लिए सर्वेक्षण सर्वेक्षण (जी4 फेज)	जी4	50वीं टीसीसी 2.03.2023 और 3.03.2023	झारखंड	कोयला	सीएमपीडीआई	161.00	28 ईसी 16.03.2023	1100
52	लाखासर ईस्ट ब्लॉक, लाखासर-सब बेसिन, राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग, जिला: बीकानेर, राजस्थान में पोटाश के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी3)। (ब्लॉक क्षेत्र 7.16 वर्ग किमी)	जी3	39वीं टीसीसी 29.03.2022 और 30.03.2022	राजस्थान	पोटाश	एमईसीएल	1551.00	28 ईसी 16.03.2023	7700
53	किरानागी-1 और किरानागी-2 ब्लॉक भीमा बेसिन, जिला: गुलबर्गा, कर्नाटक में चूना पत्थर के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी3)। (ब्लॉक क्षेत्र 11.41 वर्ग किमी)	जी3	49वीं टीसीसी 30.01.2023 से 31.01.2023	कर्नाटक	चूनापत्थर	एमईसीएल	128.00	28 ईसी 16.03.2023	450
54	मीरागांव ब्लॉक में पॉलीमेटल्स (Cu, Au, Ag) के लिए सर्वेक्षण सर्वेक्षण (G4) जिले: भंडारा और गोंदिया, महाराष्ट्र। (ब्लॉक क्षेत्र 40.769 वर्ग किमी)	जी4	49वीं टीसीसी 30.01.2023 से 31.01.2023	महाराष्ट्र	पॉलीमेटल्स	एमईसीएल	110.00	28 ईसी 16.03.2023	200
55	खैरलांजी ब्लॉक में आरईई और दुर्लभ धातु (आरएम) खनिजकरण के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4 चरण), जिलों का हिस्सा: बालाघाट और सिवनी, राज्य-मध्य प्रदेश। (ब्लॉक क्षेत्र 123.04 वर्ग किमी)	जी4	49वीं टीसीसी 30.01.2023 से 31.01.2023	मध्य प्रदेश	आरईई और आरएम	एमईसीएल	69.00	28 ईसी 16.03.2023	0
56	रुद्रावती ब्लॉक, जिला-तिरुपुर, तमिलनाडु में आरईई के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)। (ब्लॉक क्षेत्र 126 वर्ग किमी)	जी4	50वीं टीसीसी 2.03.2023 और 3.03.2023	तमिलनाडु	आरईई	एमईसीएल	72.00	28 ईसी 16.03.2023	0
57	राजस्थान के बाड़मेर जिले के सरनू ब्लॉक में आरईई के लिए सर्वेक्षण सर्वेक्षण (जी-4)। (ब्लॉक क्षेत्र 118.10 वर्ग किमी)	जी4	50वीं टीसीसी 2.03.2023 और 3.03.2023	राजस्थान	आरईई	एमईसीएल	70.00	28 ईसी 16.03.2023	0
58	सलैया, जिले: जबलपुर, कटनी और उमरिया, राज्य: मध्य प्रदेश में लौह और संबंधित खनिजों के लिए सर्वेक्षण सर्वेक्षण (जी4)। (ब्लॉक क्षेत्र- 110.56 वर्ग किमी)	जी4	50वीं टीसीसी 2.03.2023 और 3.03.2023	मध्य प्रदेश	लोहा और संबंधित खनिज	एमईसीएल	50.00	28 ईसी 16.03.2023	0
59	नाड्डीसिनूर-1 और 2 ब्लॉक, भीमा बेसिन जिला-गुलबर्गा (कलबुर्गी), कर्नाटक में चूना पत्थर के लिए प्रारंभिक अन्वेषण	जी3	50वीं टीसीसी 2.03.2023 और 3.03.2023	कर्नाटक	चूनापत्थर	एमईसीएल	138.00	28 ईसी 16.03.2023	450

60	कर्नाटक के हावेरी और शिमोगा जिले के नागावंदा क्षेत्र धवंगेरे के धारवाड़ शिमोगा शिस्ट बेल्ट में पॉलीमेटेलिक खनिज (Au,Cu,Ni,Co) के लिए सर्वेक्षण सर्वेक्षण (जी-4) (ब्लॉक क्षेत्र- 63.62 वर्ग किमी)	जी4	50वीं टीसीसी 2.03.2023 और 3.03.2023	कर्नाटक	पॉलीमेटल्स	केआईओसीएल	148.00	28 ईसी 16.03.2023	500
61	कर्नाटक के कलबुर्गी जिले के जेवरगी क्षेत्र में मिश्रित चूना पत्थर ब्लॉकों के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी3) (ब्लॉक क्षेत्र- 20 वर्ग किमी)	जी3	50वीं टीसीसी 2.03.2023 और 3.03.2023	कर्नाटक	चूनापत्थर	केआईओसीएल	233.00	28 ईसी 16.03.2023	900
62	इटगा ब्लॉक, जिला: कलबुर्गी, कर्नाटक में चूना पत्थर के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी3)। (ब्लॉक क्षेत्र- 10.60 वर्ग किमी)	जी3	49वीं टीसीसी 30.01.2023 से 31.01.2023	कर्नाटक	चूनापत्थर	डीएमजी कर्नाटक	125.50	28 ईसी 16.03.2023	450
63	लिम्बडी-मेघपार टीटोई क्षेत्र, जामनगर जिला, गुजरात में एनआई एवं पीजीई संभावना ब्लॉक के लिए सर्वेक्षण सर्वेक्षण (जी-4) (ब्लॉक क्षेत्र- 200 वर्ग किमी)	जी4	50वीं टीसीसी 2.03.2023 और 3.03.2023	गुजरात	निकेल एवं पीजीई	.मेसर्स जियोवेल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	263.00	28 ईसी 16.03.2023	300
64	तलवा ब्लॉक (80.50 वर्ग किमी) जिलों- जबलपुर और कटनी, मध्य प्रदेश में लौह, मैंगनीज और संबद्ध खनिजों के लिए पुनरीक्षण सर्वेक्षण (जी 4 चरण)	जी4	51वीं टीसीसी 27.03.2023 और 28.03.2023	मध्य प्रदेश	लोहा, मैंगनीज और संबंधित खनिज	एमईसीएल	46.75	29 ईसी 31.03.2023	0
65	राजस्थान के उत्तर-पश्चिमी भाग, भारुसारी नॉर्थ ब्लॉक (10 वर्ग किमी.) में पोटाश के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी3 चरण), जिला: हनुमानगढ़, राजस्थान	जी3	51वीं टीसीसी 27.03.2023 और 28.03.2023	राजस्थान	पोटाश	एमईसीएल	797.06	29 ईसी 31.03.2023	3500
66	प्रारंभिक अन्वेषण, जी3 (चरण-I) रामपुरा और गोलाराहट्टी ब्लॉक के पास जे.सी. पुरा माफिक-अल्ट्रामैफिक शिस्ट बेल्ट में निकेल, कोबाल्ट, पीजीई तथा संबंधित खनिजों के लिए, हसन जिला, कर्नाटक (ब्लॉक क्षेत्र- 2 वर्ग किमी.)	जी3	51वीं टीसीसी 27.03.2023 और 28.03.2023	कर्नाटक	निकेल, कोबाल्ट, पीजीई तथा संबंधित खनिज	मेसर्स जियोएक्सपोर प्राइवेट लिमिटेड	82.87	29 ईसी 31.03.2023	0
67	प्रारंभिक अन्वेषण, जी3 (चरण-I) ब्लॉक 'ए' में हादानूर-तागादुर बेल्ट, मंड्या जिला, कर्नाटक में माफिक-अल्ट्रामैफिक निकायों में Ni-Cr-Cu, PGE-Au-REE के लिए (ब्लॉक क्षेत्र- 7 वर्ग किमी.)	जी3	51वीं टीसीसी 27.03.2023 और 28.03.2023	कर्नाटक	निकेल-क्रोमियल-कॉपर, पीजीई-सोना	मेसर्स जियोएक्सपोर प्राइवेट लिमिटेड	86.12	29 ईसी 31.03.2023	0

अनुबंध - 13

फ़ील्ड फ़ोटोग्राफ़

राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (एनएमईटी) के तहत छत्तीसगढ़ में प्रारंभिक गवेषण (जी3) परियोजना में ड्रिल कोर लॉगिंग

डिंडो-बेलकुर्ता-बसेरा ब्लॉक, जिला - सरगुजा, छत्तीसगढ़ में नाला खंड के साथ ग्रेफाइट युक्त अभ्रक-शिस्ट का अनावरण

राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास(एनएमईटी) के अंतर्गत स्पष्ट भूवैज्ञानिक क्षमता (ओजीपी) वाले क्षेत्रों में
राष्ट्रीय एयरो-भूभौतिकीय मानचित्रण कार्यक्रम

राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (एनएमईटी) के तहत जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में 4500 मीटर (एमएसएल) की ऊंचाई पर स्थित नीलम खान में नीलम की खोज

सत्यमेव जयते

खान मंत्रालय
भारत सरकार